जिला आपदा प्रबंधन योजना, पूर्णिया

2022

कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल, बि०प्र०से०
अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया

सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पूर्णिया

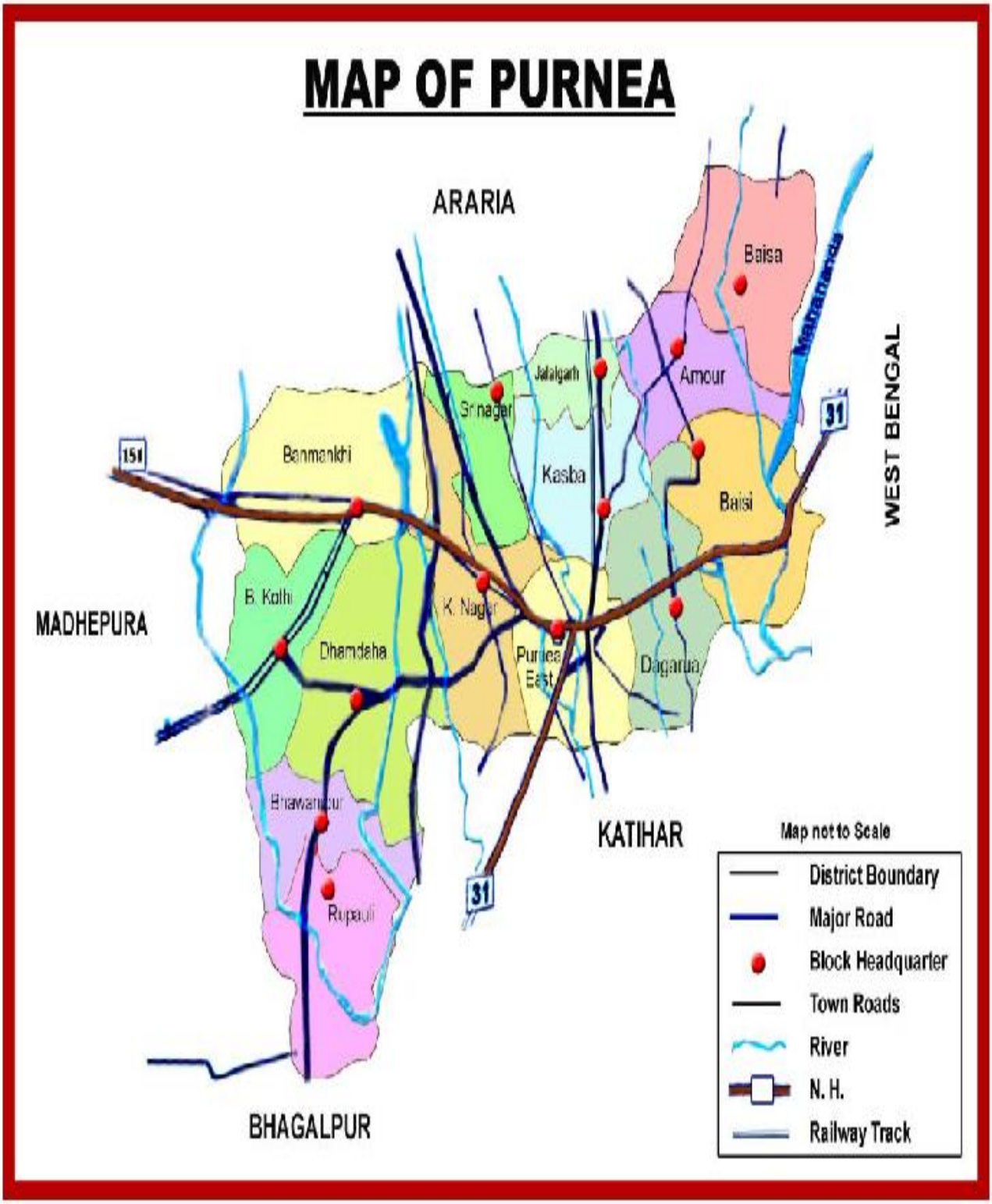

MAP OF PURNEA

संपादक मंडल

❖ **योजना का शीर्षक**

जिला आपदा प्रबंधन योजना, पूर्णिया 2022

❖ **अध्यक्षता**

श्री सुहर्ष भगत, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पूर्णिया

❖ **मार्गदर्शन**

श्री कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पूर्णिया

❖ **विशेष सहयोग**

श्री शशि भूषण कुमार शशि, बि0प्र0से0, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णिया

❖ **शोध, संपादन एवं विकास**

श्री आदित्य रंजन, कंसल्टेंट/डी0एम0 प्रोफेशनल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पूर्णिया

❖ **लिपिक सहयोग**

श्री गौतम बनर्जी, वरीय लिपिक, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णिया

❖ **आंकड़ा संग्रहण एवं विशलेषण**

श्री सत्यजीत शरण एवं श्री गौरव आर्या, (प्रोग्रामर), जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, पूर्णिया

❖ **टंकण कार्य**

श्री प्रवीण कुमार, श्री रंजीत कुमार, श्री विकास कुमार, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, पूर्णिया

सन्देश

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, पूर्णिया (District Disaster Management Plan) को सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्येश्य पूर्णिया जिला को **'डिजास्टर रेजिलिएन्ट'** बनाना है। यह योजना निश्चित रूप से जिला प्रशासन को आपदा प्रबन्धन नियोजन तथा उसके प्रभावशाली क्रियान्वयन में मजबूती प्रदान करेगी ।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना (District Disaster Management Plan) में आपदा पूर्व तैयारी (Preparedness), रोकथाम (Prevention), शमन (Mitigation), प्रत्युत्तर (Response), पुनर्वास (Rehabilitation) एवं अरली रिकवरी (Early Recovery) के गतिविधियों को समावेश किया गया है।

पूर्णिया जिला में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं का प्रभाव निरन्तर बना रहता है। इस योजना में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के उत्पन्न होने की दशा में बचाव के सुव्यस्थित उपायों का उल्लेख किया गया है। योजना में आपदा पूर्व रोकथाम एवं शमन के उपायों को आपदाओं के पूर्व के अनुभवों के आधार पर संज्ञान में लिया गया है। इस योजना में जो भी विवरण व तथ्य दर्ज किए गए हैं, उन सभी का संग्रह विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से किया गया है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना विकसित करते हुए यह ध्यान रखा गया है, कि जिला प्रशासन को इसके माध्यम से आपदाओं की चुनौतियों का सामना करने में आसानी हो और जिला प्रशासन त्वरित गति से प्रत्युत्तर कार्रवाई क्रियान्वित करते हुए आपदा प्रभावित लोगों की जान–माल बच सके।

इस योजना में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सेन्डई फ्रेमवर्क–2015–2030, बिहार डीआरआर रोड मैप 2015–2030 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति 2009 एवं सतत् विकास लक्ष्य 2015–2030 आदि के प्रमुख सुझावों का निगमन किया गया है। इसके प्रकाशन हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन, अनुमण्डल पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं अन्य हितभागियों द्वारा किया गया प्रयास काफी सराहनीय रहा है।

(सुहर्ष भगत, भा0प्र0से0**)**
जिला पदाधिकरी, पूर्णियाँ,
बिहार

आभार

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, पूर्णिया को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह योजना स्थानीय प्रकोप, जोखिम संवेदनशीलता एवं क्षमताओं को ध्यान में रख कर तैयार की गयी है। इस योजना में विभाग स्तरीय योजनाओं तथा अन्य हितभागियों की योजनाओं का सूत्रीकरण सुनिश्चित किया गया है।

आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए जोखिम के निवारण हेतु योजना में जिला प्रशासन तथा समुदाय के विचारों का समावेशन किया गया है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है, कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का स्वरूप, समय तथा व्यापकता में परिवर्तन आ रहा है। यह योजना विभिन्न सरकारी विभागों, जनप्रतिनिधियों व गैर सरकारी संगठनो की सहभागिता तथा आपदा होने की स्थिति में उसके कारण होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के दृष्टिगत परिष्कृत की गयी है।

मैं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा करूँगा कि उनके द्वारा इस जिला आपदा प्रबन्धन योजना का गहनता से अध्ययन कर लिया जाए जिससे उन्हें अपनी भूमिका की सम्यक जानकारी हो सके। अगर प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं की स्थिति उत्पन्न होती है तो विहित व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से व त्वरित गति से प्रभावी क्रियान्वयन करने में इस योजना के माध्यम से उन्हें सफलता प्राप्त हो सकेगी।

जिला स्तरीय अधिकारी, पुलिस प्रशासन, अनुमंडल स्तरीय अधिकारी, अंचल/प्रखण्ड स्तरीय अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि/अधिकारी, निजी क्षेत्र, तथा अन्य हितभागियों को उनके सराहनीय सहयोग हेतु जिला प्रशासन उनका आभार प्रकट करता है।

(कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल)
अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया,
बिहार

राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पड़ाव

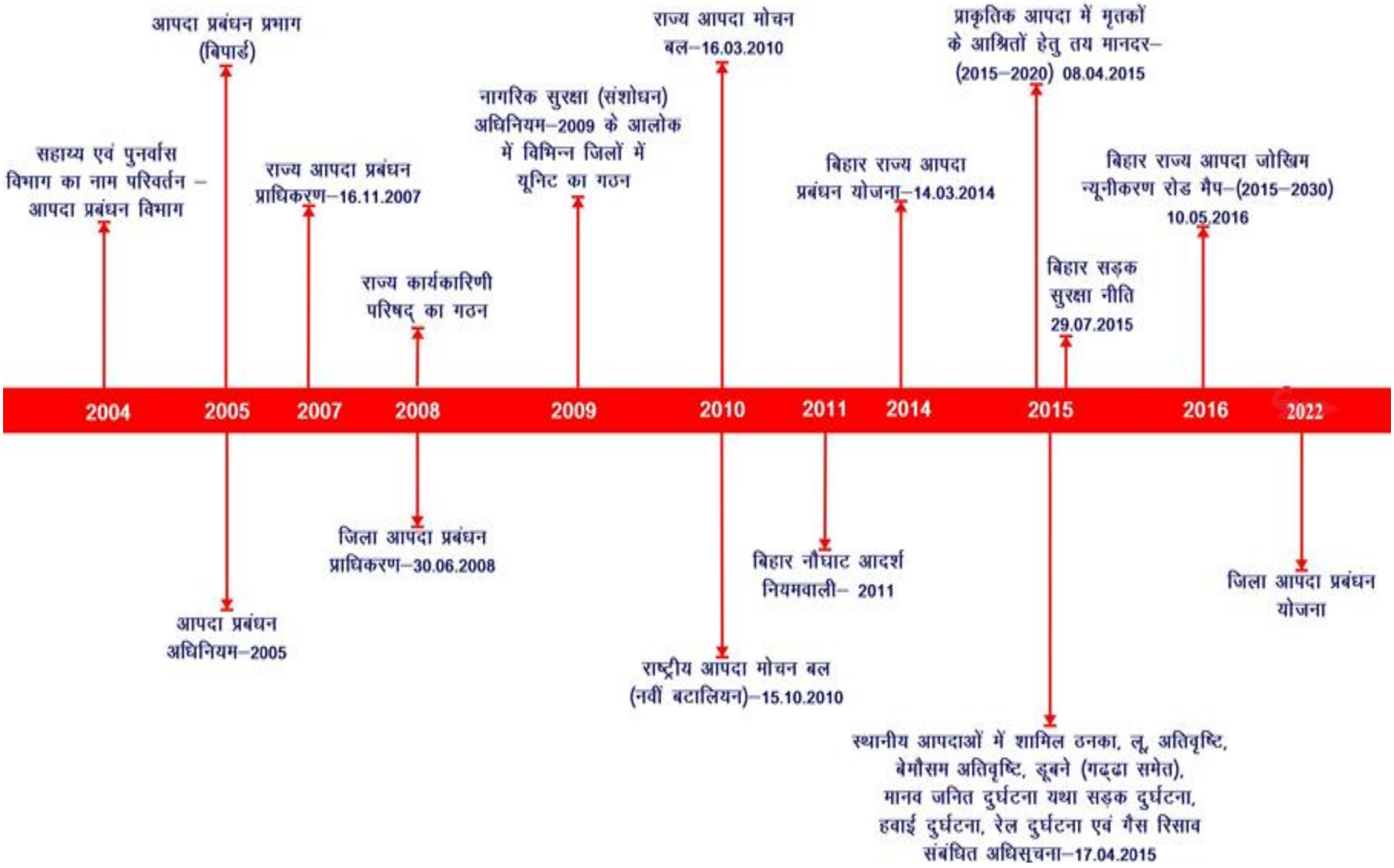

खण्ड–1

बहु–खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ट सं॰
	कार्यकारी सारांश Executive Summary	1–3
1	आपदा प्रबन्धन योजना का परिचय **Introduction to Disaster Management Plan** 1.1 दृष्टि / विजन 1.2 उद्देश्य 1.3 दृष्टिकोण 1.4 रणनीति 1.5 जिला आपदा प्रबन्धन योजना	4-7
2	**जिले का परिचय** **District Profile** 2.1 जिले का परिचय 2.2 नदी प्रवाह प्रणाली 2.3 मौसम एवं जलवायु 2.4 वनस्पति 2.5 मिट्टी एवं कृषि 2.6 पूर्णिया का इतिहास 2.7 पूर्णिया जिला के तटबन्ध 2.8 **जिले का ब्यौरा**	08-12
3	**संस्थागत ढाँचा** **Instituional Arrangement** 4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4.2 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य 4.3 जिला आपदा संचालन केन्द्र :	12-19
4	**खतरा, जोखिम, सवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण** **Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis** 4.1 परिचय 4.2 जिले में बाढ़ का प्रभाव 4.3 संकटग्रस्त व्यक्ति समूह वर्ष 2022 4.4 जिला में प्राकृतिक आपदाओं का विवरण 4.5 जिला में मानव प्रदत्त आपदाओं का विवरण 4.6 जिला पूर्णियाँ का जोखिम / संवेदनशीलता 4.7 जलवायु परिवर्तन 4.8 क्षमता विश्लेषण	20-38
5	**आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय** **Prevention, Mitigation and Preparedness Measures**	39-61

	5.1 विभाग/एजेंसी का विशिष्ट कार्य 5.2 सभी विभाग/एजेंसी के लिए कार्य 5.3 विभागों/एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य 5.4 विशेष संरचनाओं की तैयारी	
6	**क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण** **Capacity Building and Training** 6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण 6.2 समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित 6.3 पेशेवर विशेषज्ञ 6.4 प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सुविधा 6.5 जागरूकता सृजन	62-65
7	**प्रत्युत्तर योजना** **Response Planning** 7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया (हादसा कमान अधिकारी) 7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य 7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक 7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र 7.5 बाढ़ साहाय्य संबंधी कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु कोषांग	66-90
8	**पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति** **Reconstruction, Rehabilitation and Recovery** 8.1 क्षति आकलन 8.2 पीड़ितो को राहत 8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन 8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण	91-94
9	**बजट एवं वित्तीय संसाधन** **Budget and Financial Resources** 9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधित योजनाएँ/कार्यक्रम 9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम 9.3 अन्य स्त्रोत	95-98
10	**अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण** **Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP** 10.1 योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन	99-101

खण्ड–2

जिले का संसाधन, मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश

अनुलग्नक

1	संभावित बाढ़ 2022 के दृष्टिकोण से पूर्णिया जिला में उपलब्ध राहत एवं बचाव सामग्रियों की विवरणी	01-01
2	संकटग्रस्त व्यक्ति समूह वर्ष 2022	02-02
3	संभावित बाढ़ 2022 के दृष्टिकोण से पूर्णिया जिला म चिन्हित किए गए राहत शिविर स्थल	03-15
4	बाढ 2022 : चिन्हित किए गए सामुदायिक रसोई केन्द्रों की सूची	16-29
5	बाढ़ प्रबन्धन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया (SOP)	30-44
6	अग्निकाण्ड से निपटान हेतु मानक संचलन प्रक्रिया (SOP) :	45-48
7	पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया (SOP)	49-53
8	सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया (SOP)	54-84
9	सुखाड़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन	85-89
10	भीषण गर्मी एवं लू प्रबंधन हेतु मानक संचलन प्रक्रिया	90-93
11	गर्मी/लू (सुरक्षा के उपाय एवं लू लगने पर क्या कर	94-94
12	सड़क दुर्घटना दावा निपटारा	95-95
13	सड़क सुरक्षा के उपाय	96-96
14	आगजनी से बचाव हेतु उपाय/आग से बचाव के टिप्स	97-99
15	बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के अवसर पर बनने वाले पंडालों एवं अस्थायी निर्माण को अग्नि से सुरक्षा के उपाय	100-100
16	वज्रपात (ठनका) क्या करें–क्या न करें	101-101
17	शीतलहर से बचाव	102-102
18	2012–13 में शीतलहर/पाले से निपटने के सम्बन्ध मे	103-105
19	सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल हेतु आवश्यक सुझाव	106-106
20	नाव दुर्घटना से बचने के उपाय– सवारी करने वालों, नाविको, नाव मालिकों एवं जिला प्रशासन हेतु	107-108
21	नदियों/तालाबों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन एवं राज्य की जनता को जरूरी सलाह	109-109
22	भगदड़/भीड़ में क्या करें– क्या न करें ?	110-110
23	दशहारा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें	111-112
24	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या करने के संबंध में	113-129
25	आपदा प्रभावितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल आदि के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड	130-136
26	राहत केन्द्र के सम्बन्ध में	137-140
27	जिले का संचार तंत्र	141-150
28	आपातकालीन संचालन केन्द्र	151-154

कार्यकारी सारांश

(Executive Summary)

जिला आपदा प्रबन्धन योजना 'आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005' को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। आपदा प्रबन्धन योजना के भाग 1 (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) को 10 अध्यायों एव भाग 2 (जिले का संसाधन, मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश) को 27 अनुभाग में बाँटा गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण का मुख्य उद्देश्य है, *"जीवन एवं आजीविका के जोखिम का न्यूनीकरण करते हुए स्थायी विकास को प्रोत्साहित करना"*।

योजना में सेन्डई फ्रेमवर्क फार एक्शन (सन् 2015–2030) को दृष्टिगत रखते हुए चार प्राथमिकताओं को विशेष रूप से शामिल किया गया है:, जैसे– जिला में अवस्थित आपदा खतरें को समझना, आपदा जोखिम गवर्नेंस का सुदृढ़ीकरण ताकि आपदा के जाखिमे को कम किया जा सके। स्थायी विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश एवं प्रभावी आपदा प्रत्युत्तर और बिल्ड बैक बेटर अर्थात बेहतर पुनर्निर्माण के लिए आपदा पूर्व तैयारी को बढ़ावा देना।

लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्षेत्रवार, मौसमवार एवं प्रकोपवार जोखिम की पहचान कर न्यूनीकरण हेतु विभागवार सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित किया गया। इन क्रियाकलापों को 5 (पांच) अवयवों में विभक्त किया गया है, यथा– सुरक्षित ग्राम (रेजिलिएन्ट विलेज), सुरक्षित शहर (रेजिलिएन्ट सिटी), सुरक्षित आजीविका (रेजिलिएन्ट लाइवलीहुड), सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ (रेजिलिएन्ट बेसिक सर्विसेज) एवं सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ (रेजिलिएन्ट क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर)।

आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक ढाँचा, कर्मियों की व्यवस्था एवं विशेष रूप जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) की भूमिका एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है।

जिला में प्रकोप, संवेदनशीलता, जोखिम एवं क्षमता की पहचान कर आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए 3 जोन विभाजित किये गये है, जिसमें प्रथम हाई डमैज रिस्क जोन, मिडियम डैमेज रिस्क जोन एवं लो डैमेज रिस्क जोन में विभाजित किया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु विभागवार संसाधनों की पहचान सुनिश्चित किया गया है।

विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलाप:– आपदा प्रबन्धन योजना में विभिन्न विभागों/ एजेंसियों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले क्रियाकलापों की विवरणी अंकित है। क्रियाकलापों के निर्धारण में ध्यान रखा गया है कि विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए क्रियाकलापों को सम्पादित करें।

अनुवश्रवण की व्यवस्था–आपदा प्रबन्धन के क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की भी व्यवस्था रखी गयी है। माननीय् जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ, की अध्यक्षता में आहूत जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) की छमाही बैठक में निर्धारित किये गये कार्यो की प्रगति की समीक्षा कर अनुश्रवण किया जाएगा।

योजना की समीक्षा एवं अद्यतनीकरण

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, पूर्णिया का जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष में दो बार (माह जून एवं नवम्बर) सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपदा पूर्व तैयारीयों की समीक्षा की जायेगी। आपदा प्रबन्धन अधिनियम के नियम 31 के उपनियम 24 के अनुसार "जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा"।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अद्यतन हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभागस्तरीय आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व निर्मित योजनाओं का अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उस योजना की एक प्रति जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन योजना को निर्धारित समयानुसार हस्तगत करना होगा।

पूर्व तैयार योजना का अद्यतनीकरण करते समय निर्माण करने वाले समस्त हितभागियों तथा अधिकारियों को निम्नलिखित सिद्धांतो को अपनाना आवश्यक होगा –

1. **समग्रता आधारित**–जिले के सभी आपदाओं तथा उसके होने वाले संभावित प्रभावों, जोखिम को शामिल करना तथा विभिन्न विभागों द्वारा आपदाओं के सभी चरणों को ध्यान में रखते हुए योजना का पुनरावलोकन एवं अद्यतनीकरण करना होगा।
2. **एकीकृत**– पूर्व तैयारी, राहत एवं बचाव, प्रत्युत्तर एवं न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी आपदाओं से बचाव की योजना में समुदाय, सरकार एवं अन्य हितभागियों की उपयोगिताओं को सुनिश्चित करना होगा।
3. **सहभागी**–योजना का आपदा प्रभावित समुदाय, पंचायत, जिला प्रशासन, सरकार एवं विशेषज्ञ संगठन की सहभागिता सुनिश्चित कराते हुए पुनरावलोकन एवं अद्यतनीकरण करना होगा।
4. **सहयोगी**– सभी हितधारकों द्वारा किये गये कार्यों की उपयोगिता, सीख एवं सार्वजनिक नेतृत्व को महत्व देते हुए उसे एक–दूसरे के साथ साझा करना। व्यक्ति तथा एजेंसियों के बीच प्रभावी सम्बंध बनाने हेतु साझा मंच विकसित करना।
5. **सामाजिक समावेश**– एक आपदा प्रभावित क्षेत्र के विकास को दशकों पीछे छोड़ देती है। यदि प्रभावित समुदाय ने विकास में पर्याप्त जोखिम में कमी के उपायों को शामिल किया होता, तो प्रभाव को कम किया जा सकता है। एकीकृत तरीके से विकास और डीआरआर वाले दृष्टिकोण को डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। इसका मतलब यह भी है कि डीआरआर मेनस्ट्रीमिंग का मौलिक रूप से विस्तार करें ताकि यह एक सामान्य अभ्यास बन जाए, जो आपदा प्रत्युत्तर के लिए तैयारियों के अलावा प्रत्येक एजेंसी की नियमित योजना और कार्यक्रमों में पूरी तरह से संस्थागत हो जाये। सामाजिक स्थितियों के आधार पर खतरों में कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आपदाओं के लिए मानव प्रत्युत्तर अक्सर भेदभाव करते हैं। मौजूदा सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का मतलब है कि आपदाएं समान रूप से समान समुदायों के लिए

अलग–अलग परिणाम पैदा कर सकती हैं, जहां सबसे कमजोर समूह भी दूसरों की तुलना में कई मामलों में असमान रूप से पीड़ित हैं। एनपीडीएम 2009 की प्रस्तावना में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों में आपदाओं के दौरान सबसे अधिक नुकसान होता है। डीएम अधिनियम 2005 विशेष रूप से भेदभाव के सभी रूपों को मना करता है – यह लिंग, जाति, समुदाय, वंश या धर्म पर आधारित हो। सामाजिक समावेश अधिकारों और अवसरों की समानता, व्यक्ति की गरिमा, विविधता को स्वीकार करने, और सभी के लिए लचीलापन बनाने में योगदान देता है, जो किसी समुदाय के सदस्यों को उम्र, लिंग, दिव्यन्गता या अन्य के आधार पर नहीं छोड़ता है।

6. **डी0आर0आर0 मेनस्ट्रीमिंग :–** आपदा की संभावनाओं को पहचाने और पर्याप्त जोखिम में कमी को शामिल किए बिना विकास, वास्तव में, मौजूदा जोखिमों को विकराल बना सकता है और इसके साथ नए जोखिमों के शुरू होने की संभावनायें बढ जाती है, इससे संभावित आपदाओं का नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। मुख्यधारा डी.आर.आर एक दृष्टिकोण है जिसमें विकास और डी.आर.आर दोनों को विकास के सभी पहलुओं – नीतियों, योजना और कार्यान्वयन में एक सहज तरीके से समवर्ती रूप से शामिल किया जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी जोखिम के रूप में कार्य करता है, हर हाइड्रो–क्लाइमेटिक संबंधी खतरे से जुड़ी अनिश्चितताओं को बिगड़ता है, जिससे जोखिम परिदृश्य बदलते हैं। एसडीजी के तहत कार्रवाई और जलवायु परिवर्तन की प्रत्युत्तर एवं विकास की पहल के अभिन्न अंग हैं और इन सभी में आपदा लचीलापन का निर्माण आम विषय है।

7. **जेंडर (Gender):- समाज में सामान्य स्तर पर सामुदायिक और घर के भीतर उनकी बदलती भूमिकाएं और जिम्मेदारियां है। आपदा के बाद के प्रभाव का महिलाओं, पुरुषों, लड़कों और लड़कियों द्वारा अलग-अलग तरह से अनुभव किया गया जाता है।**

8. **लचीलापन (Resilience):**–आपदा जाखिम न्यूनीरकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हेतु रचनात्मक एवं नवीन तरीका अपनाना। योजना में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, नैतिक आचरण, जवाबदेही और निरंतर सुधार आदि पर आधारित ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देना।

9. **विकासात्मकः–** आपदाओं से प्रभावित समुदाय के क्षमता निर्माण हेतु भावी आपदाओं का अनुमान करना तथा उसके निवारण हेतु पूर्व तैयारी के लिए क्षमता निर्माण की योजना को महत्व देना।

अध्याय:1

आपदा प्रबन्धन योजना का परिचय

Introduction to Disaster Management Plan

परिचय

आपदा प्रबन्धन योजना सरकार, समुदाय, निजीगत क्षेत्रों तथा स्वयंसेवी संगठनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण पूर्णिया जिला हेतु निर्मित किया गया है। यह योजना जिला में निवास करने वालों समुदायों, सरकारी विभागों, स्वयं सेवी संगठनों, निजीगत क्षेत्रों एवं समुदाय आधारित संगठनों आदि सभी के लिए है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण, अद्यतनीकरण तथा कार्यान्वयन तथा इसमें नियमित सुधार का जवाबदेही जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पूर्णिया को है। इस योजना के निर्माण में जिले में स्थित सभी हितभागी समूहों ने सहभाग किया है। वर्णित हितभागी समूहों की भूमिकाओं एवं जवाबदेहियों के विषय में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 को ध्यान में रखते हुए योजना के दोनों खण्डों में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

1.1– दृष्टि / विजन

यह विजन नीतियों में परिलक्षित लक्ष्यों, उभरती हुई अंतराष्ट्रीय प्रथाओं और डीआरआर के लिए पीएम के टेन–पॉइंट एजेंडा को शामिल करता है:

सभी विकास क्षेत्रों में आपदा जोखिम में कमी को प्रभावी बनाने के लिए, स्थानीय क्षमताओं पर आधारित समावेशी नियोजन जो आपदा के जोखिम को न्यूनीकरण, जीवन के नुकसान, आजीविका के साथ–साथ सभी प्रकार की संपत्तियों (आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक) के नुकसान को कम करना और प्रशासन के सभी स्तरों के साथ–साथ समुदायों के बीच आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाना। **दुसरे शब्दों में कहे तो,** आपदा तथा गैर आपदा वाले परिस्थितियों में एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना जहाँ लोग आपदा के दौरान अपनी मद्द स्वयं करने को तैयार हों तथा स्थानीय निकाय एवं प्रशासन प्रभावित समुदाय को उनकी गरिमा सुनिश्चित कराते हुए संगठित होकर अबाधित परस्पर सहायता प्रदान करना, इसी दृष्टि से पूर्णिया जिले को बहु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु योजना तैयार किया गया है।

1.2–उद्देश्य

इस योजना में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सेन्डई फ्रेमवर्क–2015–2030, बिहार डीआरआर रोड मैप 2015–2030 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति 2009, सतत विकास लक्ष्य 2015–2030 आदि के प्रमुख सुझावों को शामिल किया है। तदनुसार, डीडीएमपी के व्यापक उद्देश्य हैं:

1. आपदा जोखिम न्यूनीकरण की समझ बनाना
2. संरचनात्मक, गैर–संरचनात्मक और वित्तीय उपायों के साथ–साथ व्यापक क्षमता विकास के माध्यम से आपदा जोखिम में कमी
3. प्रभावी प्रत्युत्तर के लिए आपदा पूर्व तैयारी पर ज्यादा ध्यान
4. रिकवरी, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में ''बिल्ड बैक बेटर'' को बढ़ावा देना
5. आपदाओं से बचाव, जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य और संपत्ति (आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण) में आपदा से नुकसान की पर्याप्त कमी लाना
6. नए आपदा जोखिमों के उद्भव को रोकें और मौजूदा जोखिमों को कम करें
7. आपदा के जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत और समावेशी आर्थिक, संरचनात्मक, कानूनी, सामाजिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यावरण, तकनीकी, राजनीतिक और संस्थागत उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना
8. स्थानीय अधिकारियों और समुदायों दोनों को आपदा जोखिमों को कम करने और प्रबंधित करने के लिए भागीदार के रूप में सशक्त बनाना
9. बहु आयामी खतरों (Multi Hazard) का प्रभावी ढंग से शमन कार्य और समुदाय–आधारित आपदा प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर क्षमता विकास
10. सभी स्तरों पर आपदा जोखिम निवारण और शमन की संस्कृति को बढ़ावा देना
11. सुनिश्चित करना कि योजना सामाजिक रूप से समावेशी हो

12. कृषि क्षेत्र में स्थायी खेती सहित आपदा जोखिम में कमी और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को मुख्य धारा में शामिल करना
13. कृषि और पशुधन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों पर विशेष ध्यान
14. आपदा प्रभावों से निपटने और उबरने के लिए समुदायों की क्षमता और लचीलापन विकसित करने के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देना
15. स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों में रिस्क मैनेजमेंट को एकीकृत करके स्वास्थ्य प्रणालियों का लचीलापन बढ़ाना
16. आपदा–प्रतिरोधक स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना
17. महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना और आपदा जोखिम में कमी में सक्रिय भागीदारी
18. वित्तीय और राजकोषीय साधनों में आपदा जोखिम में कमी के विचारों और उपायों का एकीकरण
19. मुख्य धारा डीआरआर के आधार पर भू–उपयोग (शहरी और ग्रामीण)
20. आपदा जोखिम मॉडलिंग, मूल्यांकन, मैपिंग, निगरानी और बहु–खतरा पुर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना
21. जलवायु परिवर्तन सहित बहु–खतरों वाले आपदा जोखिमों और क्षेत्रीय आपदा जोखिम आकलन और मानचित्रों के विकास पर व्यापक सर्वेक्षण को बढ़ावा देना
22. मुख्य धारा डीआरआर के सभी पहलुओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारंपरिक ज्ञान का प्रभावी उपयोग

1.3–दृष्टिकोण

आज सम्पूर्ण विश्व के साथ–साथ भारत बहु–आपदाओं से निरन्तर प्रभावित होता आ रहा है। इन आपदाओं का एक बड़ी वजह बना है मानव का गलत तरीके से प्रकृति से साथ हस्तक्षेप। प्रकृति के साथ मानव जनित गलत गतिविधियों के कारण ही जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा संकट सम्पूर्ण विश्व तथा भारत के लिए भी बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन के वजह से ही आपदाओं की प्रकृति में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है और इसकी आवृत्ति तथा तीव्रतायें दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। वर्तमान परिस्थिति में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से अप्रत्याशित नुकसान हो रहा है क्योंकि इनका आकार सोच से परे बनता जा रहा है। पिछले 20 वर्षो के आपदाओं के प्रभाव को देखा जाए तो केवल ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं प्रभावित हुए है अपितु उसके साथ–साथ शहरी क्षेत्र भी बहु आपदाओं से प्रभावित होता आ रहा है। आज के इस दौर में आपदाओं के विशाल स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए केवल प्रशासन के ऊपर आश्रित रहते हुए प्रत्युत्तर का इन्तजार करना यह काफी नहीं होगा, अपितु वर्तमान परिस्थिति में समुदाय केन्द्रित आपदा प्रबन्धन के साथ–साथ अन्य हितभागियों को भी आपदा के पूर्व, दौरान एवं बाद की स्थितियों से परस्पर निपटने के लिए सक्षम बनाते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

बहु–आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जिला को आपदाओं से निपटने हेतु सक्षम बनाने के लिए जिला आपदा प्रबन्धन योजना बनाने के लिए निम्न दृष्टिकोण अपनाये गये हैंः–

- जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के दौरान विभिन्न हितभागियों के साथ समुदाय स्तर से जानकारीयाँ एवं सुझाव एकत्र कर योजना में समाहित किया गया।
- योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण/शमन तथा जलवायु परिवर्तन (DRR and Climate change) को ध्यान में रखते हुए एकीकृत गतिविधियां तैयार की गयी हैं।
- जिला बहु–आपदाओं से प्रभावित है। यहाँ नदियों के किनारें बसे गांवों तथा शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आती है। जिला की प्रमुख प्राकृतिक आपदा बाढ़ रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त जिले में अन्य प्राकृतिक आपदायें– भूकम्प, चक्रवाती/ तेज हवायें, अगलगी, शीतलहर, ओलावृष्टि, व्रजपात/ठनका, सर्पदंश एवं नदियों से कटाव तथा मानव निर्मित आपदायें सड़क दुर्घटना, डूबने की घटनाएं एवं नाव दुर्घटना आदि हैं। जलवायु परिवर्तन की बदलती परिस्थिति में आपदाओं के स्वरूप एवं आवृत्ति, प्रवृत्ति व तीव्रता में बदलाव हो रहा है। अतः योजना बनाते समय जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
- जिला में बहु आपदाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धित मुद्दे जैसे– पेयजल में आयरन जिसके रोकथाम हेतु कार्रवाई तैयार किया गया है।

- विभिन्न आपदाओं का प्रभाव समुदाय के अलग–अलग वर्गो जैसे– महिला, पुरूष, बच्चे, दिव्यांगो, बुजुर्गों, लम्बी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों आदि पर अलग–अलग पड़ता है, जबकि आपदाओं के न्यूनीकरण तथा प्रत्युत्तर हेतु बनने वाली योजनाओं में सभी के लिए एक ही गतिविधि निर्धारित कर दी जाती है, जिसका सभी वर्गों को फायदा नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में इस योजना को बनाते समय जेण्डर एवं अन्य संवदेनशील वर्गों से जुड़े मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया और तदनुरूप उनकी संवेदनशीलता को समझते हुए उसके सापेक्ष गतिविधियां निर्धारित की गयी है।

1.4– रणनीति

योजना तैयार करने के तथा क्रियान्वयन के लिए विभिन्न रणनीतियाँ तैयार की गयी है, जिसका विवरण निम्न है–

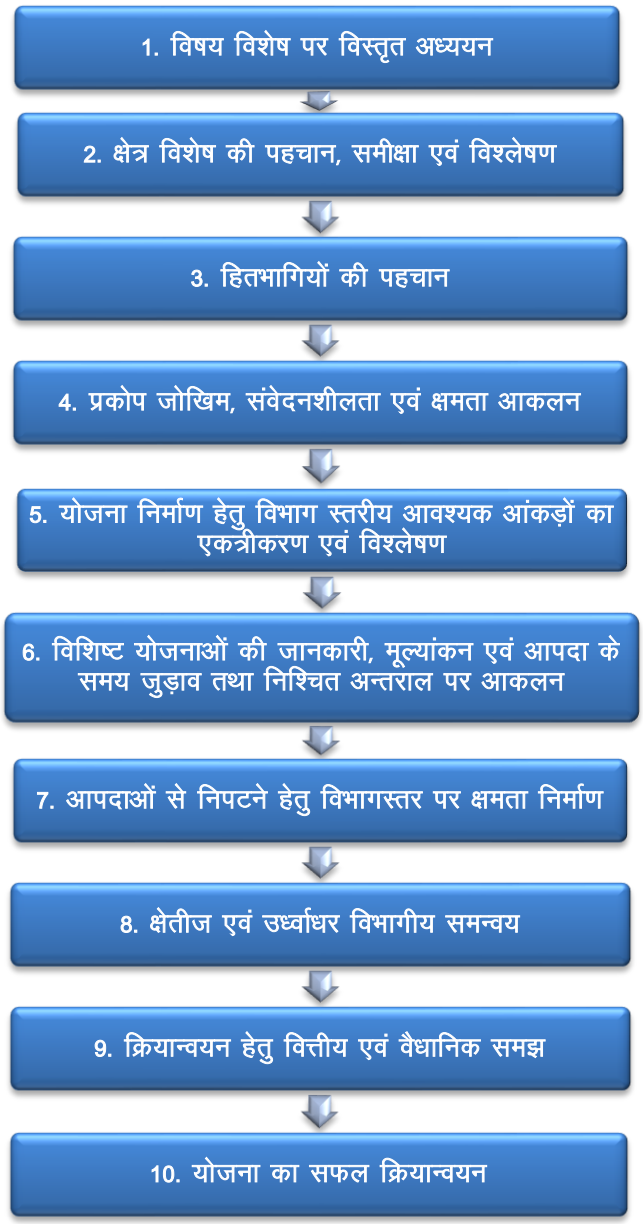

1.5–जिला आपदा प्रबन्धन योजना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना में जिले के खतरा, जोखिम एवं संवेदशीलताएं को वर्णित किया गया है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना (DDMP) जिला स्तरीय विभागों को आपदा प्रबन्धन चक्र में वर्णित समस्त चरणों में कार्रवाई हेतु एक दिशानिर्देश एवं फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। समय–समय पर आपदा प्रबन्धन में उभरते वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों एवं स्थानीय एवं वैश्विक ज्ञान के आधार पर जिला को आपदामुक्त/आपदा का सामना करने में रेसिलिएंट (Resilience) बनाने में डी0डी0एम0पी0 एक "प्रगतिशील दस्तावेज" होगा। यह आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा आपदा प्रबन्धन नीति 2009 के दिशानिर्देश एवं स्थानीय अभ्यासों के अनुसार तैयार किया गया है। जिले में विभिन्न स्तरों पर सभी विभाग एवं एजेन्सियों द्वारा विकास संबंधी योजनाएं तैयार की जाती हैं, परन्तु ये योजनाएं बहु आपदाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनायी जातीं।

यह योजना आपदा जोखिम न्यूनीकरण की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है तथा उसके आधार पर किसी भी आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु सभी जिम्मेदार हितभागियों को स्पष्टता प्रदान करेगा कि कौन सा विभाग/हितभागी किस प्रकार के आपदाओं को प्रबन्धन हेतु जबाबदेह है। डी0डी0एम0पी0 में यह परिकल्पना किया गया है, कि जिले में किसी भी प्रकार की अगर आपदा होती है तो उसकी कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन तत्पर है। डी0डी0एम0पी0 को इस तरीके से बनाया गया है, कि आपदा के किसी चरण में आसानी पूर्वक विस्तृत रूप से प्रयोग किया जा सके।

डी0डी0एम0पी0 का जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष में दो बार (माह जून एवं नवम्बर) सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपदा पूर्व तैयारीयों की समीक्षा की जायेगी। डी0डी0एम0पी0 के अद्यतनीकरण हेतु आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभागस्तरीय आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व निर्मित योजनाओं का अद्यतनीकरण सुनिशिचत किया जायेगा तथा उस योजना की एक प्रति जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा डी.डी.एम.ए.को निर्धारित समयानुसार हस्तगत करना होगा।

अध्याय:2
जिला का परिचय
District Profile

2.1 जिले का परिचय:

पूर्णिया जिला बिहार राज्य में 3202.31 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसके उत्तर में अररिया, दक्षिण में कटिहार और भागलपुर, पश्चिम में मधेपुरा और सहरसा और पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर और पूर्व में किशनगंज से घिरा है। यह 25 डिग्री 13 मिनट 80 सेकंड और 27 डिग्री 7 मिनट 59 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। पूर्णिया की जनसंख्या 2011 के आधार 3,264,619 है, जिसमें क्रमशः 1,699,370 और 1,565,249 पुरूष और महिलाएं हैं।

पूर्णिया शहर राज्य की राजधानी पटना से 300 किमी दूर है। पूर्णिया शहरी और ग्रामीण आबादी के मामले में बिहार का चौथा सबसे बड़ा शहर है और कृषि इस जिले के निवासियो की मुख्य आजीविका है। पूर्णिया का रणनीतिक स्थिति इस स्थान को महत्वपूर्ण बनाता है। पूर्णिया में भारतीय वायु सेना, एसएसबी, भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के कार्यालय भी हैं। यह घना शहर है और महानंदा और कोसी नदियों के किनारे स्थित है।

पूर्णिया जिला भारत के सबसे पुराने जिलो में से एक है और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1770 में अस्तित्व में आया था। जिले के नाम के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्थान पहले एक वन क्षेत्र था, इसलिए इसका नाम दो संस्कृत शब्दों पूर्णिया (कुल) + अरण्य (जंगल) से उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि यह शब्द पूर्णेन (लोटस) से लिया गया है जो इस जगह के पास कोसी और महानंदा नदियों में उगाया गया था। लेकिन अधिकांश लोगों का मानना था कि शहर से 5 किमी दूर स्थित पुराने देवी मंदिर (पुरण) के नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया है।

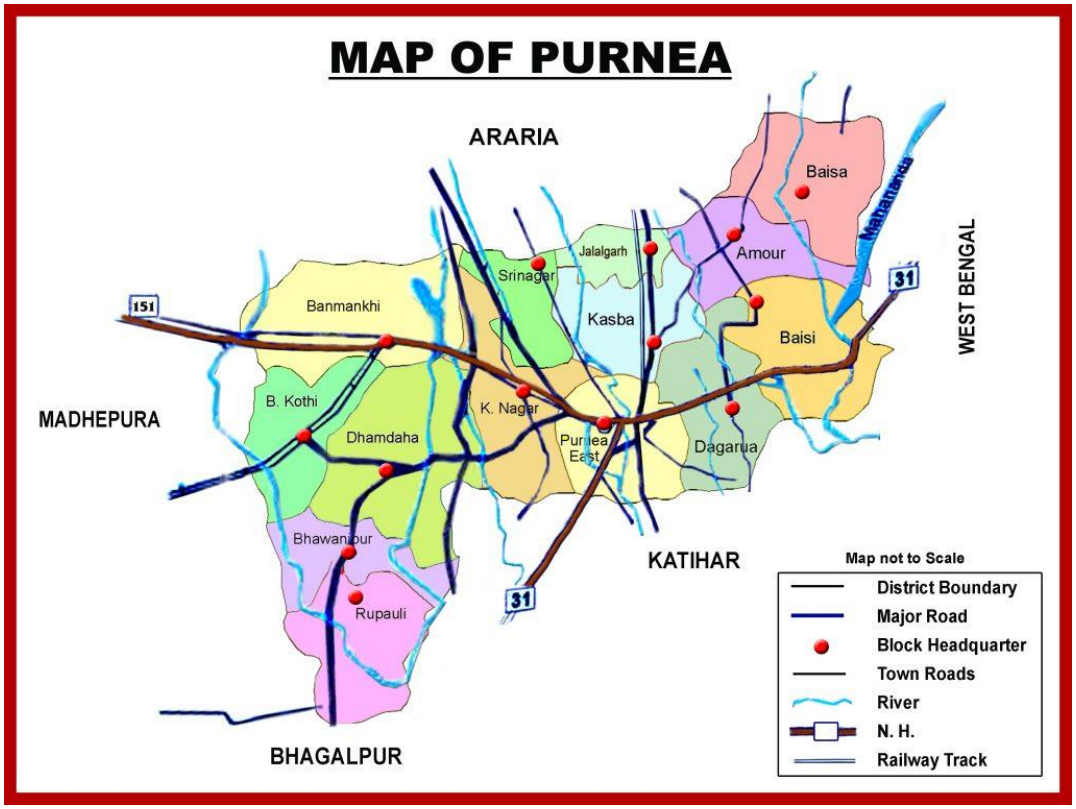

2.2. नदी प्रवाह प्रणाली :–

पूर्णिया जिला नदी प्रधान क्षेत्र है। 1889 में बिहार का शोक एवं भारत का हांग्हो कही जाने वाली कोशी नदी यहां से प्रवाहित होती थी, जिसकी पुरानी धारा आज भी ''मरिया कोशी'' के रूप जलालगढ़, गढ़बनैली एवं कसबा के पूर्वी भाग में है। पश्चिम की दिशा में मार्ग परिवर्त्तन के सहारे कोशी 130 कि0मी0 दूर सुपौल जिला के निर्मली से प्रवाहित होती है। 1987 के बाढ़ की अवधि में इस नदी का मरिया कोशी की धारा का रौद्र रूप दिखाई पड़ा था। वर्त्तमान समय में पूर्णिया के पूर्वी भाग में महानन्दा, कनकई, परवान, मध्यभाग में सौरा, बनभाग, पश्चिमी भाग में कुसहा एवं कारी कोशी नदियाँ प्रवाहित होती है। इनमें कुसहा ऐसी नदी है, जिसमें प्रत्येक एक कि0मी0 पर तीन मोड़ है। विश्व में ऐसी कोई नदी नहीं है, जिसमें इतनी मोड़ हो। पूर्णिया जिला में बहनेवाली नदियों का नाम एवं प्रभावित क्षेत्रः–

क्रम	पूर्णिया जिला में बहनेवाली नदियों का नाम	प्रभावित क्षेत्र
1	महानन्दा, कनकई, पनार, परमान, दास	बायसी अनुमंडल के बैसा बायसी, अमौर, एवं डगरूआ प्रखंड
2	कोशी नदी एवं कारी कोशी	धमदाहा अनुमंडल का रूपौली एवं धमदाहा प्रखंड
3	फरियानी, सौरा, कारी कोशी	सदर पूर्णिया अनुमंडल में कृत्यानन्द नगर, श्रीनगर, कसवा एवं पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड
4	कुशहा नदी	बनमनखी अनुमंडल का बनमनखी, प्रखंड

2.3. मौसम एवं जलवायु :–

पूर्णिया जिला उप उष्ण कटिबंध में स्थित है। देश के अन्य भागों की तरह यहाँ भी तीन मुख्य ऋतुएं–ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु का प्रभाव है। पूर्णिया की जलवायु का मुख्य विशेषता यहाँ मार्च एवं अप्रैल माह में भी ठण्डक लगता है। इसीलिए इसे **मिनी दार्जिलिंग** के रूप में जाना जाता है। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 32^0 से0 है, जो ग्रीष्म काल में बढ़कर 40^0 से0 तथा शीतकाल में घटकर 7^0 से0 तक चला आता है। वर्षा का वार्षिक अनुपात औसत रूप में 120 से0मी0 है। परन्तु निकट के वर्षों में यह अनुपात घटा है। **Purnia Metrological Station** से प्राप्त आंकड़े के आधार पर 1912 से 1915 के बीच औसत वर्षा का अनुपात 95 से0मी0 से 100 से0मी0 के बीच रहा है।

2.4. वनस्पति :–

प्रारम्भ में पूर्णिया पूर्ण अरण्य का क्षेत्र था। मानव अधिकार निर्माण एवं कृषि कार्य के विस्तार के कारण यहाँ के पेड़ एवं झाड़ियों को मानव साफ करता गया। वर्त्तमान समय में यहाँ कोई प्रमाणित वन क्षेत्र नहीं है। यहाँ आम के बगान एवं बांस के कोठ मुख्य वनस्पति स्वरूप है। पहले यहाँ सेमल के पेड़ अधिक थे। उसे अनुपयोगी पेड़ माना जाता था, कहा जाता था कि सेमल ऐसा पेड़ है, जिसके फूल को न तो गिलहरी खाती है और न उसकी लकड़ी से शव जलाया जाता है, परन्तु यहाँ प्लाई बुड के कारखानों के प्रसार से प्रायः सभी पुराने सेमल के पेड़ कट गए। निकट के वर्षों में यहाँ कदम सेमल एवं पोपुलर के पेड़ों के बाग लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ के बन संसाधन के लिए शुभ संकेत है।

2.5. मिट्टी एवं कृषि :–

पूर्णिया जिला में नदियों के निक्षेपण से कांप मिट्टी का विस्तार है। कांप मिट्टी को निक्षेपण अवधि के अनुसार पुराने कांप को बांगर एवं नये कांप को खादर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। मिट्टी की संरचना में बालू कणों के अनुपात एवं आकार के आधार पर इसे चार प्रकार में बांटा जाता है– बलुई मिट्टी (Sandy Soil) वसुई लोम मिट्टी (Sandy Loam Soil) लोम मिट्टी (Loam Soil) एवं चिकनली मिट्टी (Cayce Soil) यहाँ की अनुर्वर बालू प्रधान मिट्टी के परतल के क्षेत्र का उल्लेख कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी पुस्तक **''परती परिकथा''** में किया है, परन्तु कोशी परियोजना में भीमनगर बराज से निकलने वाली पूर्वी कोशी नहर की शाखाओं एवं नलकुप से सिचांई सुविधा के कारण इस क्षेत्र की परती भूमि एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति में अंतर आया है। कहा जाता है **''जब बालू सड़ता है तो मोती फरता है।**'' सिंचाई सुविधा एवं हरित क्रान्ति के आलोक में उन्नत एवं प्रमाणित किस्म के बीज के प्रयोग से यहाँ कृषि, प्रारूप संघनता एवं उत्पादकता में अंतर आया है। पुराने फसल जौ, खेसारी, कोदो, मड़आ, चीनी, रांगून लुप्त प्राय हो गए है। धान, गेहूँ एवं मक्का की नयी प्रजातियों से पूर्णिया के परती भूमि की हरीतिमा बढ़ी है। जिला के दक्षिणी भाग धमदाहा, रूपौली एवं भवानीपुर में केला की खेती सिंगापुर एवं हाजीपुर की तरह हो रही है।

2.6. पूर्णिया का इतिहास

पूर्णियाँ जिला के नामकरण के संबंध में तीन विचार है– प्रथम यह क्षेत्र प्रारम्भ में पूर्ण आरण्य था, इसलिए इसका नाम पूर्णिया पड़ा। दूसरा विचार इस जिला के जल जमाव क्षेत्रों में पूर्णेन का पत्ता अधिक होता है, इसी से इसका नाम पुरैनियां या पूर्णियाँ पड़ा। तीसरा विचार यह आता है कि महाभारत काल में पाण्डव अज्ञात वास में क्षद्म भेष में इसी क्षेत्र में रहते थे, जिसके अनेकों प्रमाण विद्यमान है। उनके अज्ञातवास की अवधि जब पूर्ण हुई तब पूरण देवी मंदिर के पास अर्जुन ने अपने गाण्डीव धुनष के टंकार से अपने अज्ञातवास की अवधि पूर्ण होने का उद्घोष किया। इसलिए मंदिर का नाम पूरण देवी एवं जिला का नाम पूर्णियाँ हुआ।

अपने निमार्ण 1770 से निरन्तर इसका आकार घटता रहा है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गंगा नदी, पूरब में बंगाल पश्चिम में भागलपुर जिला की प्रारंभिक सीमा में परिवर्त्तन होता रहा है। पहली बार 1864 में जिला का दिक्षणी भाग धापर एवं नाथपुर परगना को भागलपुर जिला में सम्मिलित कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य पुर्नगठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नंबर 1958 को पूर्णियाँ जिला का पूर्वी भाग ठाकुरगंज, चोपरा, इस्लामपुर, किशनगंज, गोपालगंज, गोपालपोखर एवं गोपालपुर प्रखंड के कुल 913 गांव जिनका क्षेत्रफल 759 वर्गमील था, पश्चिम बंगाल राज्य में मिला दिया गया। 2 अक्टुबर 1973 को जिला के कटिहार अनुमंडल को अलग जिला बना दिया गया। पुनः 4 जनवरी 1990 को पूर्णियाँ के दो अनुमंडल अररिया एवं किशनगंज को पृथक जिला बना दिया गया। वर्त्तमान समय में पूर्णियाँ का पुराना सदर अनुमंडल ही पूर्णिया जिला है।

2.7. पूर्णिया जिला के तटबन्ध :–

क्रम	तटबन्ध का नाम	नदी का नाम	तटबन्ध की स्थिति
1	श्रीनगर (3.62 किमी)	सौरा	सुरक्षित
2	पामर (4.30 किमी)	सौरा	सुरक्षित
3	सौरा तटबन्ध कप्तान पुल के उपर (1.98 किमी) कप्तान पुल नीचे (2.16 किमी)	सौरा	सुरक्षित
4	फरियानी तटबन्ध (37.20 किमी)	फरियानी	सुरक्षित
5	बेलगच्छी, झौवा (15.94 किमी)	पनार	सुरक्षित
6	खाताहाट (4.42 किमी)	परमान	सुरक्षित
7	मजकुरी जहाँनपुर (2.00 किमी)	कनकई	सुरक्षित

2.8. जिले का ब्यौरा: 4 अनुमंडल /11 शहरी क्षेत्रीय इकाई/ 14 प्रखंड /230 ग्राम पंचायत / 1280 ग्राम/ 3119 ग्राम वार्ड/ 220 शहरी वार्ड)								
अनुमंडल के नाम	**क्रम**	**प्रखंड का नाम**	**शहरी/ग्रामीण स्थिति**	**शहरी वार्डों की कुल संख्या**	**कुल ग्राम पंचायतों की संख्या**	**गांवों की कुल संख्या**	**कुल जनसंख्या (Cencus-11)**	**कुल ग्रामीण परिवारों की सं.**
1. पूर्णियासदर	1	पूर्णिया पूर्व	नगर निगम	46	14	1476090	163,078	31,138
	2	जलालगढ़	ग्रामीण	0	10	47	112,951	23,098
	3	कसबा	ग्रामीण	0	12	61	1,14,861	30,900
	4	नगर परिषद् कसबा	**शहरी**	26	0	4	43,059	…….
	5	के. नगर	ग्रामीण	0	17	84	230,504	46,461
		नगर पंचायत जानकीनगर	**शहरी**	15	0	0	---------	----------
	6	श्रीनगर	ग्रामीण	0	9	27	110,058	22,223
2. धमदाहा	1	धमदाहा	ग्रामीण	0	20	72	2,61,989	55,911
		नगर पंचायत धमदाहा	शहरी	23	0	0	----------	----------
	2	नगर पंचायत मीरगंज	शहरी	17	0	9	26,095	…….
	3	रुपौली	शहरी	0	18	48	2,11,232	47,144
	4	नगर पंचायत रुपौली	शहरी	16	0	7	23454	…….
	5	भवानीपुर	ग्रामीण	0	12	88	161,720	30,772
	6	बी. कोठी		0	19	62	209,000	41,159
3. बायसी	1	नगर पंचायत बायसी	शहरी	10	0	6	12974	…….
	2	नगर पंचायत अमौर	शहरी	12	0	9	15310	…….
	3	अमौर	ग्रामीण	0	24	153	2,75,249	60,042
	4	बैसा		0	16	132	193,127	39,106
	5	बायसी		0	17	130	2,14,732	45,092
	6	डगरवा		0	18	154	221,142	45,567
4. बनमनखी	1	बनमनखी	ग्रामीण	17	24	84	2,46,912	62,750
	2	नगर परिषद् बनमनखी	**शहरी**	26	0	6	44,2,18	……
	3	नगर पंचायत जानकीनगर		15	0	11	29,949	…….
कुल				**220**	**230**	**1280**	**2,921,614**	**581,363**
कुल ग्रामीण और शहरी जनसंख्या							**3,264,619**	**647,777**
शहरी जनसंख्या							**343,005**	**66,414**

अध्यायः 3

संस्थागत ढाँचा

Institutional Arrangement

3.1: जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

भारत में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आपदा प्रबन्धन हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य स्तर मुख्त्रयमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। बिहार में आपदा प्रबन्धन/विकास कार्यों के सक्रिय संचालन हेतु ग्राम पंचायत, प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला एक समेकित प्रशासनिक तंत्र के रूप में गठित है।

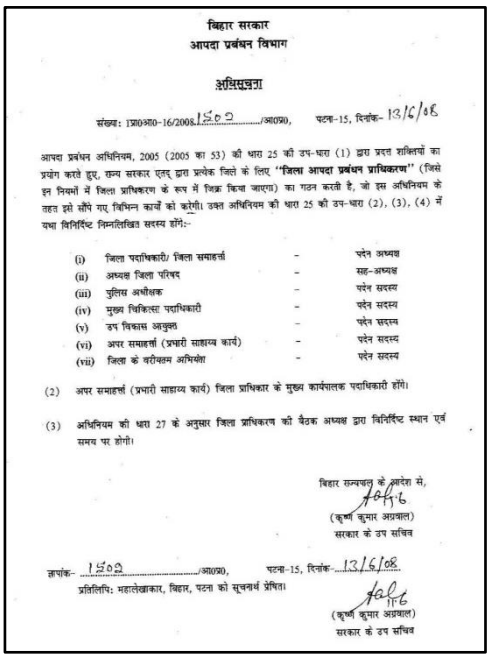

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या: 1प्रा0आ0-16/2008 1502 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 13/6/08

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए "जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" (जिसे इन नियमों में जिला प्राधिकरण के रूप में जिक्र किया जाएगा) का गठन करती है, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2), (3), (4) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i)	जिला पदाधिकारी/ जिला समाहर्ता	-	पदेन अध्यक्ष
(ii)	अध्यक्ष जिला परिषद	-	सह-अध्यक्ष
(iii)	पुलिस अधीक्षक	-	पदेन सदस्य
(iv)	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	-	पदेन सदस्य
(v)	उप विकास आयुक्त	-	पदेन सदस्य
(vi)	अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य)	-	पदेन सदस्य
(vii)	जिला के वरीयतम अभियंता	-	पदेन सदस्य

(2) अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।

(3) अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1502 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 13/6/08
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
सरकार के उप सचिव

आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 30 (2) (xvi) के अनुसार जिला पूर्णिया में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित है। आपदा प्रबन्धन विभाग, पटना, बिहार द्वारा दिनांक 13/6/2008 जारी अधिसूचना पत्रांक संख्या 1 प्रा0आ0–16/2008/1502 अधिसूचना में वर्णित आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए ''जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण'' का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (2), (3), (4), में डी. डी.एम.ए. के सदस्यों का विवरण यथा विर्निर्दिष्ट है–

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1	जिला पदाधिकारी/जिला समाहर्ता	पदेन अध्यक्ष
2	अध्यक्ष जिला परिषद	सह–अध्यक्ष
3	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	पदेन सदस्य
5	उप विकास आयुक्त	पदेन सदस्य
6	अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य)	पदेन सदस्य
7	जिला के वरीयतम अभियंता	पदेन सदस्य

- अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।
- अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विर्निदिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।

जिला पदाधिकारी ही सभी आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु नित्य कार्रवाईयों एवं राहत अनुदान सहायता के लिए जबावदेह पदाधिकारी हैं और आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिले के सभी विभागों के बीच समन्वयन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान की गयी है। जिले में आपदा प्रबन्धन हेतु जबाबदेह हितभागियों में पुलिस, पैरा मिलिट्री, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक, अग्निशमन सेवा, पूर्व सैनिक, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मीडिया और हेम ऑपरेटर आदि संगठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रत्युत्तर, राहत एवं पुनर्वास के लिए जिले में सुव्यवस्थापित सांस्थानिक एवं नीति निर्माण तंत्र कार्यरत हैं। ये तंत्र अभी तक इन कामों में मजबूत एवं प्रभावी

साबित हुए हैं। जिला में आपदा प्रबन्धन के कार्रवाई को सक्रियता पूर्वक करने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन के अतिरिक्त अन्य सरकारी हितभागी है, जिनकों निम्न भागों में विभाजित किया गया है–

- **लाइन डिपार्टमेण्ट्स**– जिले में अवस्थित सभी लाइन डिपार्टमेण्ट्स जिला प्रशासन के प्रति जबाबदेह है।
- **पंचायती राज संस्थायें**–जिले में जिला परिषद एक स्थानीय सरकारी निकाय है। पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद तृतीय श्रेणी का सर्वोच्च है। जिला परिषद् जिले के ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन के मामले देखता है और इसका मुख्यालय जिला में है। पंचायती राज संस्था के जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं।

गैर सरकारी हितधारक :

- **गैर सरकारी संगठनः** जिले में आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण सामुदायिक क्षमता विकास आदि विविध मुद्दो पर सक्रिय कार्य करने वाली अनेक गैर सरकारी स्वंय सेवी संस्थायें है।

- **अन्य हितधारकः** जिले में व्यापारी संगठन, रेडक्रास सोसायटी, नागरिक सुरक्षा, मीडिया, नेहरू युवा केन्द्र, एन0सी0सी0 ऐसे अनेक अन्य हितधारक समूह हैं, जिनके पास किस्म–किस्म के संसाधन एवं क्षमता उपलब्ध हैं और जिन्होंने विभिन्न आपदा के समय में सराहनीय सहयोगी भूमिका निभाई है।

अनुश्रवण–सह – निगरानी समिति का गठन

बाढ़ की तैयारी के लिए आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 1388 दिनांक 24.07. 2004, 1004 दिनांक 08–07–2005, 2160 दिनांक 14–08–2006 एवं 3888 दिनांक 11–12–2007 के अनुसार जिला/प्रखण्ड/पंचायत/नगर निकाय क्षेत्र एवं नगर वार्ड स्तर पर निम्न रूप से बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समितियाँ गठित है, जिन्हें संबन्धित पदाधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया जाना हैः–

जिला राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति

क्रम सं0	जिम्मेदार पदाधिकारी या प्रतिनिधि	पद
1	प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति	अध्यक्ष
2	जिला पदाधिकारी	सदस्य सचिव
3	अध्यक्ष, जिला परिषद्	सदस्य
4	जिला के सभी माननीय सांसद/विधायक/पार्षद एव प्रखण्ड प्रमुख	सदस्य
5	सभी राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी	सदस्य

प्रखण्ड राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति

क्रम सं0	जिम्मेदार पदाधिकारी या प्रतिनिधि	पद
1	प्रखण्ड पंचायत समिति के प्रमुख	अध्यक्ष
2	अंचलाधिकारी	सदस्य सचिव
3	सांसद/विधायक एवं मुखिया गण	सदस्य
4	सभी राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
5	सभी विभागों के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी	सदस्य

पंचायत राहत अनुश्रवण –सह–निगरानी समिति

क्रम सं0	जिम्मेदार पदाधिकारी या प्रतिनिधि	पद
1	मुखिया	अध्यक्ष
2	पंचायत सचिव/राजस्व कर्मचारी	सदस्य सचिव

3	सम्बन्धित वार्ड के सदस्यगण	सदस्य
4	विगत चुनाव में मुखिया पद के हारे हुए निकटम उम्मीदवार (प्रतिद्वन्दी)	सदस्य
5	सभी राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	पंचायत समिति के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हों	सदस्य

उपरोक्त वर्णित समिति का कर्तव्य एवं दायित्वः–

1. सभी प्रकार के राहत सामग्री यथा अन्न, नकद राशि आदि का मुखिया, वार्ड सदस्य और मुखिया पदों के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देख–देख में गाँवों एवं टोलों में वितरण किया जायेगा।
2. वितरण की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्रियों का अनुमान्य राहत (मानदर) की सूचना आम लोगों को देते हुए प्रखण्ड/पचायत के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।
3. सभी बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श, पंचायत स्तर पर पंचायत राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड राहत–सह–निगरानी समिति, जिला स्तर पर जिला राहत अनुश्रवण सह–निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

जिला राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति (नगर क्षेत्रों हेतु)

क्रम सं0	जिम्मेदार पदाधिकारी या प्रतिनिधि	पद
1	प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति	अध्यक्ष
2	जिला पदाधिकारी	सदस्य सचिव
3	अध्यक्ष, जिला परिषद्/महापौर नगर निगम/अध्यक्ष नगर निकाय	सदस्य
4	प्रखण्ड प्रमुख	सदस्य
5	सभी राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी	सदस्य

नोट– राष्ट्रपति शासन अवधि में प्रमण्डलीय आयुक्त–सह–निगरानी समिति (नगर क्षेत्रों हेतु) के अध्यक्ष होंगे

नगर राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति

क्रम सं0	जिम्मेदार पदाधिकारी या प्रतिनिधि	पद
1	नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
2	नगर परिषद/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी	सदस्य सचिव
3	नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के वार्ड सदस्य	सदस्य
4	विगत चुनाव में नगर निकाय/नगर वार्ड/नगर पंचायत के नगर वार्ड सदस्य पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वन्दी)	सदस्य
5	सभी राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य

वार्ड राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति

क्रम सं0	जिम्मेदार पदाधिकारी या प्रतिनिधि	पद
1	सम्बन्धित वार्ड आयुक्त	अध्यक्ष
2	संबन्धित वार्ड के तहसीलदार	सदस्य सचिव
3	विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे निकटम उम्मीदवार (प्रतिद्वन्दी)	सदस्य

4	सभी राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
5	स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त वर्णित समिति का कर्तव्य एवं दायित्वः–

1. सभी प्रकार के राहत सामग्री का वार्ड आयुक्त, विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटम प्रतिद्वन्दी सदस्य, स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दलों के एक–एक सदस्य की उपस्थिति एवं देख–रेख में वार्ड में वितरण किया जायेगा।
2. वितरण की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्रियों का अनुमान्य राहत (मानदर) की सूचना आम लोगों को देते हुए वार्ड के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।
3. सभी बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श, वार्ड स्तर राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

जिला बाढ़ राहत अनुश्रवण–सह–नियंत्रण समिति

जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को मिलाकर जिला स्तरीय जिला बाढ़ राहत अनुश्रवण–सह–नियंत्रण समिति का गठन किया गया है, ताकि पूर्व तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहें।

3.4 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 4, धारा 30, उपधारा (1) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा आधिकथित मार्गदर्शन सिद्वांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाः–

i. जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा।

ii. राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा।

iii. यह सुनिश्चित कर सकेंगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं।

iv. यह सुनिशिचत कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उनके प्रभावो के न्यूनीकरण, तैयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकारों के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जाता है।

v. विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या न्यूनीकरण के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

vi. जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा।

vii. जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

viii. जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

ix. खण्ड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

x. जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं को पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवशयक हों।

xi. तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबंधित विभागों या संबंधित प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों की अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

xii. जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।

xiii. आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुगम बना सकेगा।

xiv. जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

xv. जिला स्तर मोचन योजना, और मार्गदर्शक सिद्वांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

xvi. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

xvii. यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुश्रवण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

xviii. जिला स्तर पर संबंधित सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।

xix. जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों को समन्वयन कर सकेगा।

xx. यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको दिशानिर्देश दे सकेगा।

xxi. जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

xxii. जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका न्यूनीकरण करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

xxiii. जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, या उनका पालन नहीं किया गया है, संबंधित प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिशिचत करने के लिए आवश्यक हो, निर्देश दे सकेगा।

xxiv. ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा, जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा।

xxv. राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा।

xxvi. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा।

xxvii. जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्सहित कर सकेगा।

xxviii. यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक है और आपदा प्रबंधन सुव्यवस्थित रूप से की जा रही है।

xxix. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं।

3.4. जिला आपदा संचालन केन्द्र (DISTRICT EMERGENCEY OPERATION CENTRE (DEOC) :

जिला आपदा संचालन केन्द्र जैसा कि नाम से परिलक्षित है, जिला मुख्यालय में अवस्थित है। जहाँ आपात्कालीन संचालन केन्द्र स्थापित होगा या जिस भवन में यह अवस्थित होगा वहाँ अनिवार्य या आवश्यक सहायता कार्य (ई॰एस॰एफ॰) टीम के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। केवल नोडल ई॰एस॰एफ॰ दल ही आपात्कालीन संचालन केन्द्र में बैठेंगे। वे साथी/सहयोगी एजेन्सियों के साथ जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/ पंचायत स्तर पर चल रहे आपदा प्रबंधन के कार्यों का समन्वय करेंगे। आपात्कालीन संचालन केन्द्र में कारगर संचार सुविधाएँ चालू रहेगी।

■ **ई॰ओ॰सी॰ का सशक्तिकरण** :

जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र को प्रस्तावित उपकरणों से सुसज्जित करना होगा जिनमें प्रमुख है – VSAT, VHF Wireless, GSM Mobile, GPRS, Doppler Radar, SW Radio Receiver, Satellite Phone और उपग्रह आधारित मौसम अनुश्रवण स्टेशन आदि कि व्यवस्था की जा सकती है।

■ **ई॰ओ॰सी॰ की भूमिका** :

चेतावनी का संप्रेषण : जिला स्तर पर मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एजेन्सियों, यथा मौसम विज्ञान केन्द्र/कृषि विभाग, से प्राप्त सूचना के आधार पर सरकार के सभी सहयोगी विभाग सहित आम जनता के लिए चेतावनी जारी करती है।

प्राप्त सूचना को अनुमण्डल, प्रखण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर तक भविष्यवाणी आधारित चेतावनी को अपने अधीन के विभाग सहित आम जनता के लिए प्रेषित करेगी/प्रचारित करेगी। इस प्रकार ई॰ओ॰सी॰ का प्राथमिक कर्तव्य ससमय सही चेतावनी जारी कर देना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि संचार व्यवस्था

सुचारू रूप से कार्यरत हो। जिले में जिला पदाधिकारी, अनुमण्डल में अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा पंचायतों के लिए मुखिया चेतावनी जारी करने में सहभागी हो सकते है।

■ **निम्नांकित संस्थाओं को जानकारी/चेतावनी संप्रेषित की जानी चाहिए**

- जिलाधिकारी कार्यालय को।
- इ॰एस॰एफ॰, आवश्यक सहायता कार्य के सभी दलों को।
- आपदा प्रबंधन विभाग एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को।
- पड़ोसी जिलों के आपात्कालीन संचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰) को आवश्यकतानुसार।
- राज्य/राष्ट्र आपात्कालीन संचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰) को आवश्यकतानुसार।
- अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों को।
- विभिन्न प्रत्युत्तर दल के सदस्यों को, एजेन्सियों को।
- मीडिया कर्मियों को।

जिला आपदा संचालन केन्द्र अपने परिसर/भवन में आवश्यक सहायता कार्य, (इ॰एस॰एफ॰) से सहयोग लेने हेतु एवं कार्यों के समन्वय हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक स्थान उपलब्ध कराएंगे।

■ **सामान्य समय में आपात्कालीन संचालन केन्द्र क्या करें ?**

जिलाधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आपात्कालीन संचालन केन्द्र में एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगें जो आपात्कालीन संचालन केन्द्र से जुड़े कार्यों के प्रति जबावदेह होगा। यह पदाधिकारी सामान्य समय में निम्नांकित कार्यों का सम्पादन करेगें।

- सुनिश्चित करना कि आपात्कालीन संचालन केन्द्र के सभी यंत्र चालू रूप में है तथा कभी भी इसे चालू किया जा सकता है।
- लाईन डिपार्टमेन्टस से आपदा प्रबंधन हेतु नियमित तौर पर आँकड़ा इकट्ठा करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिले के आपदा प्रबंधन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- डाटा बैंक को नियमित अद्यतन करते हुए अभिलिखित करना तथा किसी आपदा की जानकारी/चेतावनी मिलने पर आपदा मोचन तंत्र (ट्रिगर मेकेनिज्म) को सक्रिय करना।

■ **राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचन बल :** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिये गये प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। बिहार प्रांत के आपदा प्रवण स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक इकाई (बटालियन सं॰ 9) पटना जिले के बिहटा में अवस्थित किया गया है। राज्य आपदा मोचन बल को भी बिहटा में ही स्थापित किया गया है। ये दोनों ही इकाईयाँ राज्य की विभिन्न आपदाओं की स्थिति में निश्चित ''प्रोटोकॉल'' के तहत् जिलों में उपलब्ध कराया जाता रहा है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए इसमें अपनाएँ जाने वाले प्रोटोकॉल की चर्चा की है। यह बल शांति काल में विभिन्न समुदाय समूहों, संस्थानों तथा पदाधिकारियों को मॉकड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित करता है।

राज्य आपदा मोचन बल : राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तर्ज पर बिहार राज्य में मार्च 2010 में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बिहटा में अवस्थित है। इसकी इकाईयाँ –

i. गायघाट (पटना),

ii. कोनहारा घाट, हाजीपुर (वैशाली),

iii. कोशी कॉलेज, खगड़िया,

iv. तिलकामाँझी, भागलपुर,

v. बरियारपुर मिडिल स्कूल, सीतामढ़ी,

vi. बायसी, पूर्णिया,

vii. मधेपुर, मधुबनी तथा

viii. मधेपुरा में अवस्थित है।

इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यकारिणी समिति है जो आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद में विभिन्न कार्यों में मदद पहुँचा सकती है। इस प्रकार राज्य स्तर पर राज्य आपदा संचालन केन्द्र (SEOC) स्थापित है जो जिले तक सूचना प्रवाह को बनाये रखने में कारगर होगा। खतरा, जोखिम और इनके समूचित प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय–समय पर 'गाईडलाइन्स' जारी करता है। अतः आवश्यकतानुसार संस्थागत ढाँचे की उपलब्धता आपदा प्रबंधन के कार्य को सुचारू बना सकती है।

अध्याय:4
खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता का विश्लेषण
(Hazards Risk, , Vulnerability and Capacity Analysis)

4.1 परिचय

पूर्णिया बहु–आपदा प्रभावित जिला है। जिले को सर्वाधिक नुकसान परमान, पनार, सौरा, कनकई, फरियानी, काली कोशी, फरियानी, कोशी, दास, कुशहा एवं महानन्दा नदियों से होता है। इसके अतिरिक्त कोशी नदी की पुरानी शाखायें भी इस जिला से होकर बहती है।

महानंदा, कनकई, पनार, परमान एवं दास आदि नदियाँ जिले के पूर्वी हिस्से को प्रभावित करती है, जिससे जिले के बायसी, अमौर, बैसा एवं डगरूआ प्रखण्ड प्रभावित होते हैं। कोशी, सौरा, कारी कोशी एवं फरियानी आदि नदियों से जिले के पश्चिमी एवं मध्य भाग प्रभावित होते हैं। जिले का रूपौली प्रखण्ड मुख्य रूप से कोशी नदी से प्रभावित होता है तथा फरियानी, सौरा, कारी कोशी के जलस्तर बढ़ने से जिले के धमदाहा, बनमनखी, के0 नगर, श्रीनगर, कसबा एवं पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड प्रभावित होता है। बाढ़, चक्रवाती तूफान एवं ठनका आदि आपदाओं के कारण अन्य दूसरी आपदाओं की अपेक्षा जिले का सर्वाधिक नुकसान होता है। जिले में परम्परागत कृषि एवं अन्य नकदी खेती करने की परम्परा विकसित है, लेकिन बाढ़ के वजह से इन्हें भी नुकसान झेलना पड़ता है।

जिले में 70 प्रतिशत से अधिक समुदाय की आजीविका मुख्यतः कृषि है जो विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय आपदा के प्रभाव से अधिक प्रभावित होती है। किसान जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले बाढ़ की स्थितियों को विशेषकर झेलते हैं, जबकि उनकी आजीविका विभिन्न जोखिमों और उनके प्रकोपों से सीधे प्रभावित होती है जिसका असर उनके जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। निम्नांकित ग्राम पंचायतों में बहु–आपदाओं को ध्यान में रखते हुए बहु हितभागियों के साथ एच.आर.वी.सी.ए. आयोजित किया गयाः–

क्र0 स0	समस्या	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
प्राकृतिक आपदायें													
1	बाढ़	सामान्य					मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम	सामान्य	
2	ठनका	सामान्य			उच्च	मध्यम		उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य	
3	जलजमाव	सामान्य						मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य	
4	चक्रवाती तूफान	सामान्य		उच्च	उच्च	उच्च	सामान्य				मध्यम		
5	सूखाड़	सामान्य						उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम	सामान्य
6	ओलावृष्टि	सामान्य		उच्च	मध्यम	सामान्य							
7	सर्पदंश	सामान्य						मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य	
8	भूकम्प	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
9	शीतलहर	उच्च	सामान्य										मध्यम
मानवीय आपदायें													
1	सड़क दुर्घटना	डच्च	सामान्य										मध्यम
2	नाव दुर्घटना	सामान्य						मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य	
3	डूबने की घटना	सामान्य						उच्च	उच्च	उच्च	सामान्य		
4	अगलगी	सामान्य			उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य		सामान्य	मध्यम	मध्यम
5	बिजली से करेण्ट लगना	सामान्य			उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	सामान्य		
6	साम्प्रदायिक दंगा	निम्न											
7	रेल दुर्घटना	वर्ष के प्रत्येक माह में घटना की संभावना बनी रहती है, लेकिन दिसम्बर एवं जनवरी में घने कोहरे के कारण रेल दुर्घटना की अधिक संभावना होती है।											

4.2.जिले में बाढ़ का प्रभाव

जिला आपदा प्रबन्धन विभाग, पूर्णियाँ के प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिले के 13 प्रखण्ड, 148 ग्राम पंचायतें (पूर्ण प्रभावित ग्राम पंचायतें 79 तथा आंशिक प्रभावित ग्राम पंचायतें 69) तथा कुल 788 गांव (पूर्ण प्रभावित गांव 641 तथा आंशिक प्रभावित गांव 147) बाढ़ से प्रभावित रहा है।

तालिकाः–जिले में बाढ़ से नुकसान का विवरण वित्तीय वर्ष 2014 से 2021 तक

वर्ष	बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों की संख्या	प्रभावित ग्राम पंचायतें		प्रभावित गांव		प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित जानवर	प्रभावित क्षेत्र लाख हेक्टेअर में		मानव एवं पशु क्षति		गृह क्षति				पानी से घिरे गांवों की संख्या
												पक्का		कच्चा		
		पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक			कृषि	फसल	मानव	पशु	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	
2014	11	74	36	402	0	11,28000	7100	9678.48	0	33	4	0	42	797	7276	402
2015	7	0	15	0	15	9500	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
2016	11	64	31	416	173	1057000	30000	3202	3202	25	0	5	21	3	35	589
2017	13	79	69	641	147	1231000	0	33628.82	33628.82	41	0	0	0	0	0	0
2018	1	25	0	162	0	342000	40000	5394	5394	18	0	0	407	0	0	162
2019	8	55	62	0	553	909000	21000	15794	15794	9	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1	5	8	10	27	67523	3800	5705	5705	3	1	0	0	0	0	37

विश्लेषण नोट–जिले में सन् 2017 की बाढ़ से सर्वाधिक क्षेत्रों को प्रभावित किया तथा इस आपदा के कारण अत्यधिक सामुदायिक जन–धन की हानि भी रही है। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में बाढ़ प्रभावित कुल 102 ग्राम पंचायतें हैं। सामुदायिक बैठक में जोखिम के प्राथमिकता में इस मुद्दे को समुदाय द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है और जोखिम की श्रेणी में इसे समुदाय द्वारा प्रथम स्थान पर रखा गया।

4.3. संकटग्रस्त व्यक्ति समूह वर्ष 2022

क्र0	अंचल/निगम/नगर पंचायत का नाम	गर्भवती महिला			धातृ महिला	बच्चे की संख्या	चिन्हित संकटग्रस्त व्यक्ति की संख्या			
		03 माह	06 माह	09 माह			विकलांग	निःशक्तजन बीमार	निराश्रित	एस0सी0 एवं एस0टी0
1	पूर्णियाँ सदर	4	12	2	20	166	0	0	0	0
2	पूर्णियाँ ग्रामीण	95	155	104	329	2795	14	8	8	17
3	के0 नगर	3	26	10	37	276	18	0	2	1
4	क्सबा	113	184	93	352	21	178	7	10	6
5	श्रीनगर	56	71	119	217	2116	30	15	0	103
6	कसबा नगर पंचायत	5	2	2	13	39	13	4	5	0
7	जलालगढ़	352	866	255	1123	61	1112	27	28	18
8	बैसा	656	668	746	2129	22495	452	133	37	383
9	बायसी	903	709	568	2202	17234	101	93	27	35
10	अमौर	1023	1300	1376	3954	40952	222	89	231	504
11	डगरूआ	1148	1066	1029	3306	19431	428	455	248	818
12	धमदाहा	73	108	87	218	3460	42	28	6	506
13	बी0 कोठी	14	16	18	52	326	5	0	0	195
14	भवानीपुर	23	23	18	93	1022	13	1	0	64
15	रूपौली	332	423	272	1084	11974	77	20	0	338
16	बनमनखी	76	54	46	74	1920	31	35	0	62
कुलः–		**4876**	**5683**	**4745**	**15203**	**124288**	**2736**	**915**	**602**	**3050**

4.4.जिला में प्राकृतिक आपदाओं का विवरण

4.4.1.ठनका - वज्रपात की घटनाएँ बिहार में प्रत्येक वर्ष बरसात के समय घटित होती हैं। राज्य में प्रत्येक वर्ष ठनका से अनेकों व्यक्ति एवं पशुओं की मृत्यु हो जाती है तथा घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वर्ष 2016, 2017, 2018 एवं 2019 में मानसून के आगमन के समय बड़े पैमाने पर वज्रपात/ठनका की घटनाएं हुई हैं। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार इन चार वर्षों में ठनका से पूर्णियाँ जिला में क्रमशः 07, 18,13 एवं 21 लोगों की मृत्यु हुई। पूर्णियाँ जिला में 26 जुलाई 2020 को वज्रपात/ठनका से कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में ठनका संवेदित 45 ग्राम पंचायतें हैं। ठनका से वित्तीय वर्ष 2019 से 2021 तक सम्पूर्ण जिला प्रभावित रहा है। पूर्णिया जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान वज्रपात से मृत व्यक्तियों की विवरणी :–

क्र0	अंचल का नाम	पिछले तीन वर्षों में वज्रपात से मृत व्यक्तियों की संख्या			कुल
		2019	2020	2021	
01	पूर्णिया पूर्व	3	4	0	7
02	क्सबा	2	0	0	2
03	जलालगढ	0	1	0	1
04	के0नगर	0	1	0	1
05	श्रीनगर	0	0	0	0
06	धमदाहा	6	5	1	12
07	बी0कोठी	5	3	0	8
08	भवानीपुर	0	0	1	1
09	रूपौली	2	0	0	2
10	बैसा	1	0	0	1
11	बायसी	0	0	0	0
12	डगरूआ	0	0	0	0
13	अमौर	0	0	1	1
14	बनमनखी	2	2	3	7
कुलः–		**21**	**16**	**6**	**43**

4.4.2. जलजमावः–

महानन्दा उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला से होता है। यह नदी पश्चिम बंगाल, बिहार एवं बंग्लादेश में 376 किमी0 की लम्बी यात्रा करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी फ्लैट ढ़लानों के कारण नीचे के क्षेत्रों में फैल जाती है, जिसके कारण बिहार के नीचले हिस्से में अवस्थित जिलों में अत्यधिक जलजमाव एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में जल–जमाव से प्रभावित कुल 60 ग्राम पंचायतें हैं। जल–जमाव वाले ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नवत हैः–

- गहरी जमीन वाले 40 ग्राम पंचायतें जिले में अवस्थित है। (बैसा 5, आमौर 01, बनमनखी 07, जलालगढ़ 2, के0 नगर 05, डगरूआ 11, धमदहा 7 एवं पूर्णियॉ 02)
- दो तटबंधों के बीच में अवस्थित ग्राम पंचायतें कुल 20 (बैसा 05 और बायसी में 15) अवस्थित है।

4.4.3. अगलगी

जिले में प्रत्येक वर्ष अगलगी की घटनायें होती रहती है, अतः जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र अग्निकाण्ड के प्रति संवेदनशील है। अगर संवेदशीलता के आधार पर नजर डाली जाए तो प्रखण्ड बैसा, अमौर एवं बैसी अग्निकाण्ड के

प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में अगलगी के प्रति संवदेनशील 91 ग्राम पंचायतें हैं।

सामान्यतः आग सूखे मौसम में मनुष्यों की अपनी असावधानी के कारण बीड़ी, सिगरेट, माचिस आदि के जलते टुकड़ों से लगते हैं। मवेशी चराने वाले, पर्यटकों, यात्रियों द्वारा सुलगते लकड़ी के अवशेषों, बिजली के तार के एकाएक टूटकर गिरने, खेतों में फसलों के अवशेष को जलाने, घरों में जलते चूल्हों, गैस या कोयले की भट्टियों, बिजली की शार्ट सर्किट, बिजली के नंगे तारों एवं उनके ढ़ीले जोड़ों के कारण लापरवाही से उनको उपयोग में लाने, बिजली के उपकरणों में स्पार्किंग या शार्ट सर्किट, ट्रेन, बस या अन्य आवागमन के साधनों की दुर्घटना, हवाओं से उड़े आग की चिन्गारी, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थो में अचानक विस्फोट, रसोई गैस में दुर्घटना, कल कारखानों में विस्फोट या बिजली से उत्पन्न चिन्गारी आदि घर के अन्दर या बाहर लगने वाले आग के प्रमुख कारण होते हैं। गर्मियों में खड़ी फसलों, खलिहानों, झोपड़ियों तथा कच्चे मकानों में आग का लगना एक आम बात होती है। इसी प्रकार शहरों के घनी आबादी वाले भागों में ज्वलनशील पदार्थो का एकत्रीकरण, बिजली की खराबी या रसोई घर में दुर्घटना से भीषण आग पकड़ते हैं।

आग के अन्य कारणों में साम्प्रदायिक दंगे, आतंकी हमले, नक्सली आक्रमण तथा कभी–कभी आतिशबाजी करने या उसके बनाने के समय भी आग लग जाती है जिससे अपार जन–धन की हानि होती हैं। सामुदायिक बैठकों के दौरान लोगों ने आपदा प्राथमिकीकरण में आग से संबंधित आपदा को दूसरे नम्बर पर रखा। अग्निशमन विभाग, पूर्णिया से प्राप्त विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से 2020 तक जिले में कुल 497 आग की घटनायें हुई हैं, जिसमें 99 बड़ी आग, 113 मध्यम आग एवं 285 निम्न आग रही। अग्निकाण्ड की घटना का विवरण निम्नांकित रहा है–

तालिकाः–वित्तीय वर्ष 2018 से 2021 तक अग्निकाण्ड की घटनायें

वित्तीय वर्ष	कुल अग्निकाण्ड	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल अग्निकाण्ड
2018-2019	**पूर्णिया**- 91	10	08	04	06	05	02	04	13	14	06	04	15	**219**
	बायसी – 39	02	03	01	01	00	01	03	03	03	03	03	16	
	धमदाहा- 37	04	03	03	01	02	00	05	12	07	00	00	00	
	बनमनखी- 52	06	02	03	03	02	03	05	07	07	01	08	05	
2019-2020	**पूर्णिया** -81	05	02	11	04	05	03	07	11	05	06	04	18	**213**
	बायसी -52	03	07	05	04	03	01	03	05	03	03	04	11	
	धमदाहा-48	05	07	04	00	02	02	01	05	08	04	04	06	
	बनमनखी-32	04	03	07	01	02	06	04	00	00	00	02	03	
2020-2021	**पूर्णिया**-36	08	03	03	00	00	00	00	00	00	07	07	08	**65**
	बायसी – 09	06	02	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
	धमदाहा-12	04	00	01	00	00	00	00	00	00	02	02	03	
	बनमनखी-08	00	02	01	00	00	00	00	00	00	01	02	02	

4.4.4.चक्रवाती तूफान

जिला चक्रवाती तूफान के दृष्टि से भी संवदेनशील रहा है। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में चक्रवाती तूफान के प्रति संवदेनशील 145 ग्राम पंचायतें हैं। जिले में चक्रवाती तूफान के दृष्टि से सर्वाधिक

संवेदनशील प्रखण्ड रूपौली, बी0 कोठी, बनमनखी, के0 नगर, पूर्णिया पूर्व, आमौर एवं बैसी प्रखण्ड है। सामुदायिक बैठक में जोखिम के प्राथमिकता में इस मुद्दे को समुदाय द्वारा जोखिम की श्रेणी में इसे चौथे स्थान पर रखा गया। जिले में दिनांक 1 मई 2012 को आये भीषण चक्रवाती तूफान का प्रभाव अधिक रहा है।

4.4.5. सुखाड़– सामान्य

आपदा प्रबन्धन विभाग, पटना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पूणियाँ जिले में सन् 1971, 1972, 1979, 1982, 1992 और 2001 में सुखाड़ का असर रहा है। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में सुखाड़ के प्रति संवदेनशील 50 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें पूर्ण रूप से प्रभावित 2 ग्राम पंचायतें और आंशिक रूप से प्रभावित 48 ग्राम पंचायतें है। सुखाड़ का प्रमुख कारण औसत वर्षापात का कम होना एवं सिंचाई सुविधाओं का आभाव रहा है।

4.4.6. ओलावृष्टि

जिला में ओलावृष्टि का भी असर रहता है, जिससे फसल के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। ओलावृष्टि गिरने की सबसे अधिक संभावना मार्च महीने में रहता है तथा कभी–कभी अप्रैल महीने में भी ओलावृष्टि होने की संभावना होती है।

4.4.7.सर्पदंश–

जिले में अधिकांश अबादी नदियों के किनारें बसी हुई है तथा बरसात के दिनों में बाढ़ के आने के बाद लोग अस्थायी रूप से बंधों पर निवास करते है, जिससे उनको सर्पदंश का शिकार होना पड़ता है। समुदाय द्वारा सामुदायिक बैठक में बताया गया कि नदी वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक घर फूँस के है तो कभी–कभी गर्मी के मौसम में झोपड़ी में सांप छिपने के लिए आ जाता है, और रहने वाला व्यक्ति को सर्पदंश का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने बताया कि मवेशीयों के कारण खेतों में फसल नुकसान न हो इस हेतु किसानों द्वारा खुले आसमान के नीचे खेतों के बीच में गर्मियों में सोने जाना पड़ता है, जिससे सोने वाले व्यक्ति को भी सर्पदंश का सामना करना पड़ता है।

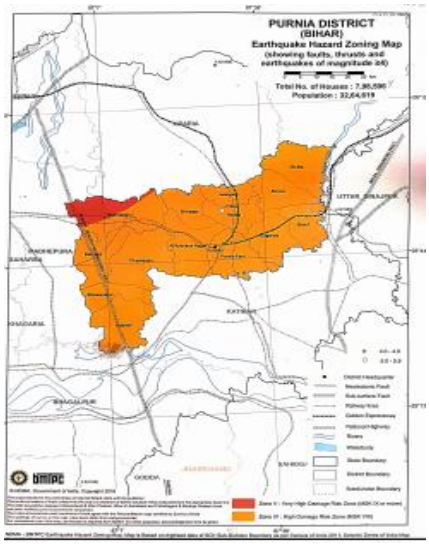

4.4.8.भूकम्प

भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम सिस्मिक जोन मानचित्र के अनुसार पूर्णियाँ जिले का 1 प्रखण्ड बनमनखी का लगभग एक तिहाई भाग भूकम्प के दृष्टि से सिस्मिक जोन V एवं प्रखण्ड का शेष भाग सिस्मिक जोन IV में आता है। ऐसे में भूकम्प से बचाव हेतु पूर्व तैयारी न करने, निर्माण गतिविधियों की उचित निगरानी न होने, उपयुक्त तकनीकी दक्षता का अभाव तथा भूकम्प जोखिम के शमन उपायों पर आम जनता के बीच जागरूकता न होने आदि कारणों से पहले से ही नाजुक भौगौलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों/समुदाय या फिर क्षेत्रों की नाजुकता और भी बढ़ जाती है। सामुदायिक बैठक में जोखिम के प्राथमिकता में इस मुद्दे को समुदाय द्वारा बहुत जोखिम की श्रेणी में इसे तीसरे स्थान पर रखा गया।

4.4.9.शीतलहर

जिले में दिसम्बर माह के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक सर्दी का मौसम रहता है। सर्दी के मौसम में सामान्य कोहरे के साथ ठण्डी हवायें भी चलती है। शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए समुदाय को अलाव आदि का सहारा लेना पड़ता है। शीतलहर के समय सड़कों पर धुंध/फॉग हो जाने के कारण कम दूरी तक दिखाई पड़ती है। इस कारण (Poor visibility) से सड़क दुर्घटनाएँ अधिक होने की संभावना बनी रहती है।

4.4.10. नोवल कोरोना वायरस :–

कोविड–19 एक ऐसी महामारी है जिसका सामना दुनिया दिसम्बर 2019 से कर रही है। कोविड–19 का जीवन पर भारी नुकसान हुआ और विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग नष्ट कर दिया। अचानक हुए लॉकडउन ने स्थिति को और भी खराब कर दिया, हालांकि उस समय के दौरान और कोई विकल्प नहीं था। इसने परिवहन, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र, लघु माध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों जैसे लगभग सभी क्षेत्रों को बाधित कर दिया। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और कई परिवार हाशिए पर चले गए।

इस माहमारी के कारण देश में 4.27 करोड़ लोग प्रभावित हुए जिसमें से 5 लाख से अधिक लोगों की इस बीमारी के कारण जान चली गयी। बिहार की भी स्थिति लगभग ऐसी ही रही है, राज्य में अबतक कुल 8.29 लाख लोग इस महामारी से प्रभावित हुए है एवं 12 हजार से अधिक लोगों की जान गयी है।

पूर्णिया जिला में भी इस महामारी के कारण कभी तबाही हुआ है। महामारी से जिले में 26,393 लोग प्रभावित हुए एवं लगभग 274 व्यक्तियों की मृत्यु नोवल कोरोनावायरस रोग के कारण हुआ। जिले में नोवल कोरोना वायरस से सम्बंधित विवरणी निम्नलिखित है।

वर्ष	नोवल कोरोनावायरस रोग के प्रभावित लोगों की संख्या	नोवल कोरोनावायरस रोग से मृत व्यक्तियों की संख्या
2020	8834	45
2021	14271	221
2022	3288	08
कुल	**26,393**	**274**

4.5. जिला में मानव प्रदत्त आपदाओं का विवरण–

वर्ष 2020 एवं 2021 में पूर्णिया जिला के अंचलों से प्राप्त स्थानीय मानव प्रदत्त आपदा से मृतक की संख्या।

क्र0	अंचल का नाम	2020 में स्थानीय प्रकृति की आपदा से मृतक की संख्या			2021 में स्थानीय प्रकृति की आपदा से मृतक की संख्या		
		पानी में डूबने से	सामूहिक सड़क दूर्घटना	कुल मृतक की संख्या	पानी में डूबने से	सामूहिक सड़क दूर्घटना	कुल मृतक की संख्या
1	बैसा	0	0	0	0	1	1
2	अमौर	10	2	12	5	1	6
3	बायसी	2	0	2	0	0	0

4	डगरूआ	3	0	3	0	0	0
5	बनमनखी	6	1	7	4	1	5
6	बी0कोठी	0	0	0	0	1	1
7	रूपौली	10	0	10	8	4	12
8	धमदाहा	5	1	6	4	0	4
9	भवानीपुर	8	0	8	1	2	3
10	पूर्णिया पूर्व	1	3	4	3	5	8
11	के0नगर	2	1	3	3	4	7
12	जलालगढ़	7	0	7	0	0	0
13	कसबा	1	1	2	0	3	3
14	श्रीनगर	0	0	0	3	1	4
कुल :–		**55**	**9**	**64**	**31**	**23**	**54**

4.5.1.सड़क दुर्घटना

जिले में सड़को का संपर्क काफी अच्छा है, जो कि अच्छे विकास का संकेत है। जिले में 4 प्रमुख हाइवे मार्ग है एन एच 31, एन एच 27, एन एच 107 और एन एच 131 हैं। जिले में मानव द्वारा राष्ट्रीय राज्य मार्ग तथा राज्य मार्ग में जगह–जगह पर बीच–बीच में अपनी सुविधा हेतु कट बना कर सड़क पार किया जा रहा है, तथा वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, कम उम्र में वाहन चलाना आदि सड़क दुर्घटना में वृद्धि हो रहा है। वर्ष 2020 एवं 2021 में पूर्णिया जिला के अंचलों से प्राप्त स्थानीय प्रकृति की आपदा अन्तर्गत सामूहिक सड़क दूर्घटना से क्रमशः 9 एवं 23 लोगों की मृत्यु हुई।

सड़क दुर्घटनओं में घायलों एवं मृतकों के वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के आकड़ों का विश्लेषणः

क्र0	माह का नाम	वर्ष 2021			वर्ष 2022		
		कांड संख्या	मृत्यु	घायल			
1	जनवरी	11	9	8	17	17	6
2	फरवरी	21	17	5	19	17	5
3	मार्च	21	18	13	23	17	15
4	अप्रैल	11	9	8	15	9	7
5	मई	20	16	11	32	32	36
6	जून	14	15	9			
7	जुलाई	12	17	5			
8	अगस्त	23	17	14			
9	सितम्बर	19	14	22			
10	अक्टूबर	14	9	9			
11	नवम्बर	17	12	8			
12	दिसम्बर	18	14	10			
कुल		**201**	**167**	**122**	**106**	**92**	**69**

ब्लैक स्पॉट के मापदण्ड से कम अर्थात 10 से कम परन्तु 2 या 2 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं का थानावार सूची –

क्र0 सं0	जिला	थाना	घटनास्थल	दूरी	NH/SH NO/OTH. ROAD
1	पूर्णिया	बायसी	हिजला	600 मीटर	NH-31
2	पूर्णिया	बायसी	पूर्णिया मोड़ दैलतुपर	600 मीटर	NH-31
3	पूर्णिया	बनमनखी	सुखियों	600 मीटर	NH-107
4	पूर्णिया	बनमनखी	धरहरा पुल के पास	600 मीटर	NH-107
5	पूर्णिया	जानकी नगर	मधुबन	600 मीटर	SH-77
6	पूर्णिया	सरसी	कचहरी बलुआ	600 मीटर	SH-77
7	पूर्णिया	सरसी	बरझाड़ा मोड़	600 मीटर	SH-77

पूर्णिया अन्तर्गत दुर्घटना प्रवण स्थल			
क्र0 सं0	थाना का नाम	दुर्घटना प्रवण स्थल	एन.एच./एस.एच/एम.डी.आर
1	सदर	i. दमका चौक ii. गुंडा चौक iii. सीसाबाड़ी	NH-31
2	मरंगा	फरियानी चौक	NH-31
3	के. हाट	कलाभवन रोड	MDR
4	मिरगंज	मिरगंज बाजार	SH-65
5	धमदाहा	i. धमदाहा चौक ii. विशुनपुर चौक	SH-65
6	भवानीपुर	दुर्गापुर चौक	SH-65
7	जलालगढ़	सौतारी चौक	NH-57

- जिला में वर्ष 2017 के आंकड़ें के आधार पर कुल 2 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया गया है, जो निम्न हैः–
    1. डंगराहा पुल के निकट
    2. चरैया मोड़ (कब्रस्तान के निकट)

4.5.2 नाव दुर्घटना

जिला नाव से दुर्घटना के प्रति संवदेनशील है, क्योंकि जिले में कई नदियाँ बहती है और लोग नदियों में नाव के द्वारा सवारी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा नदी पार करने हेतु बिना रजिस्टर्ड नाव में असुरक्षित रूप से नाव की सवारी की जाती है। आपातकालीन समय में नाव में क्षमता से अधिक लोग नाव पर सवार हाकर सवारी करते हैं, जिससे नाव दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

4.5.3 बिजली का करेण्ट लगना

जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असावधानी पूर्वक बारिश के दिनों में या सामान्य दिनों में बिजली के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली के करेण्ट लगने के अधिक संभावनये होती है।

4.5.4 डूबने की घटना

वर्षा ऋतु में नदी व तालाबों में स्नान करने एवं कपड़ा धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान किशोर/किशोरियों की मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है। कभी–कभी नौका दुर्घटना से भी डूबने से लोगों की मौत हो जाती है। यह स्थिति संबन्धित परिवारों के लिए एक त्रासदी है। जिला में समुदाय के जारूकता के आभाव में नदी में डूबने से वित्तीय वर्ष 2020 एवं वित्तीय वर्ष-2021 में क्रमशः 55 और 31 व्यक्तियों के मृत्यु की घटनाये हुई है। जल स्त्रोतों में डूबने के मामले में भी जिला संवदेनशील है। डूबने की घटनाओं को रोकथाम के उद्देश्य से समुदाय को लाइफ जैकेट के निर्माण एवं उपयोग हेतु शिक्षित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है। ताकि डूबने की घटनाओं में कमी हो सके।

4.5.5 रेलवे दुर्घटना–

रेल दुर्घटना की सर्वाधिक संभावना बरसात एवं शीतलहर के मौसम में होने की संभावना बनी रहती है। रेल की पटरी से उतरने से दुर्घटना, एक रेल का दूसरे रेल से टकराने से दुर्घटना किसी भी समय में हो सकती है, इसका मुख्य कारण पुलों और पटरियों का अनियमित निरीक्षण तथा सिंग्नल की तकनीकि समस्यायें हैं। रेल दुर्घटना के रोकथाम हेतु रेल के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मानक के आधार पर रेल की पटरियों एवं सिंग्नल का निरीक्षण किया जाना चाहिए। पूणिया जं0 उत्तरी पूर्वी सीमान्त के प्रमुख जंक्शन कटिहार प्रमण्डल के अर्न्तगत आता है। पूर्णिया रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। पूर्णिया कटिहार जोगबनी के अनुभाग के बीच स्थित है। पूर्णियाँ से लगातार दिल्ली एवं कोलकाता के लिए ट्रेन की सुविधाएं उपलब्ध है। जिले में पैसेन्जर एवं एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से जोगबनी एवं कटिहार से जुड़ा हुआ है। पूर्णियाँ जंक्शन के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे ने निविदाएं जारी की हैं। ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (ECR) से पूर्णिया बनमनखी से होकर सहरसा से जुड़ा हुआ है। यहां से नियमित व साप्ताहिक ट्रेने दिल्ली, कोलकाता, पटना, दरभंगा और अन्य के निकट स्थानों पर जाती है।

4.6 जोखिम/ संवेदनशीलता

किसी भी व्यक्ति, प्रशासन या समूह की क्षमता आपदा का सामना करने या किसी भी आपदा से त्वरित उबरने में समय लगता है। जिले की संवेदनशीलता विशेष रूप से किसी भी संभावित आपदा के अनुमान, उसका सामना, उससे बचने तथा उबरने की क्षमता के आधार पर निर्धारित होता है। आजीविका के सीमित अवसर, प्रति व्यक्ति आय में कमी, अव्यवस्थित एवं अविकसित संरचना तथा अनियोजित विकास, अव्यवस्थित एवं तीव्र शहरीकरण, जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर प्रचलित सामाजिक ढांचे तथा पर्यावरण क्षरण आदि जिले को बहु आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

4.6.1 भौतिक संवेदनशीलताएँ

क– भूकम्प के दृष्टि से संवदेनशील भवनः–

आपदा के दृष्टि से भौतिक संवेदनशीलता ढांचागत निर्माण की गुणवत्ता के मानकों के आधार पर देखा जाता है। अगर भूकम्प के दृष्टिगत जिले में समस्त भवन भूकम्परोधी निर्मित है, तो वे क्षमतावान की श्रेणी में आयेंगे और यदि जर्जर या भूकम्परोधी मानक के अनुसार नहीं निर्मित तो वे भवन भौतिक संवेदनशीलता के अर्न्तगत आते है। किसी भी प्रकार का ढांचा सम्बन्धित निर्माण अगर आपदाओं के प्रभाव को झेलने में कामयाब होता है, तो वह

रेजिलिएन्स ढांचा माना जायेगा और जो भवन किसी भी प्रकार के आपदाओं को झेलने में सक्षम नहीं है तो वे भौतिक संवेदनशीलता के अर्न्तगत आयेंगे।

जिला पूणिया में भवन प्रमण्डल के प्रतिवेदन के अनुसार भूकम्प के दृष्टिगत रखते हुए 2015 में आये भूकम्प के असर का असेसमेंट विवरण निम्न हैः–

1. **हेरीटेज ब्लिडिंगः–**
   - ए0डी0जे0 कोर्ट
   - डी0जे0 कोर्ट
   - मुन्सफ कोर्ट

टिप्पणीः–भवन की छत सी0ए0 सीट से निर्मित है और दीवाल 10 इंच से अधिक मोटा है। भौतिक निरीक्षण के बाद भवन भूकम्प से प्रभावित नहीं है।

2. **टेन कोर्ट बिल्डिंग**
   - इस भवन में निचला एवं प्रथम तल है।
   - इस भवन की दीवाल उपरी भाग में कुछ क्षतिग्रस्त है और यह भूकम्प से प्रभावित है।
3. **ट्वेल्व कोर्ट भवन**
   - भूकम्प से इस ब्लिंडिंग की डिजाइन एवं छत दोनो सुरक्षित है।
4. **मध्यस्थता केन्द्र (Mediation Centre)**:–इस भवन की बनावट भूकम्परोधी है।
5. **जिला परिवहन भवन** :–इस भवन की बनावट भूकम्परोधी है।
6. **आयुक्त भवन** :–इस भवन की बनावट भूकम्परोधी है।
7. **हेरीटेज भवन (Collector Building)**:–निम्नांकित भवनों पर भूकम्प का कोई असर नहीं रहा हैः–
   - जिला पदाधिकारी कार्यालय
   - ए0डी0एम0 कार्यालय
   - पुलिस अधीक्षक कार्यालय
   - रिकार्ड रूम
8. **सिविल एस0डी0ओ0 कार्यालय**
9. **आपदा भवन व एन0आई0सी0 भवन**
10. **प्रखण्ड आवासीय काम्पलेक्स भवन, जलालगढ़**
11. **उप मण्डल कार्यालय बैसी, बनमनखी एवं धमदाहा**

तालिकाः–जिले के सार्वजनिक जर्जर भवनों का विवरण

क्र0सं0	अनुमण्डल का नाम	अंचल का नाम	सार्वजनिक भवनों की संख्या	अभियुक्ति
1	सदर, पूर्णिया	पूर्णिया पूर्व	3	
2		जलालगढ़	0	
3		कसबा	1	
4		श्रीनगर	0	
5		के0नगर	1	
6		बनमनखी	10	

	बनमनखी			जर्जर हालत में है,जो आवासित नहीं हैं
7	धमदाहा	धमदाहा	1	
8		बी0कोठी	2	
9		भवानीपुर	2	
10		रूपौली	2	
11	बायसी	बायसी	8	1 अदद अनुमंडल पदाधिकारी आवास में, 07 अदद प्रखंड कार्यालय में
12		अमौर	7	4 अदद प्रखंड कार्यालय स्टाफ क्वॉटर
13		बैसा	2	स्टाफ क्वॉटर
कुल योग			**39**	

ख– गोदामों की स्थिति–

जिला प्रबन्धक, रा0 खा0 नि0 पूर्णियाँ, के प्रतिवेदन अनुसार 8 गोदाम भूकम्प रोधी नहीं है ना ही इसमें अग्निशामक यन्त्र स्थापित किया गया है।

ग– बहु आपदा को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशील स्कूल

पूर्णिया जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार जिले में बहु–आपदाओं के दृष्टि से जिला के निम्नांकित स्कूल संवेदनशील हैः–

- **बाढ़ प्रभावित**–जिले में 376 स्कूल बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि ये नदी के समीप है तथा इनका निर्माण अपेक्षाकृत नीचले क्षेत्रों में हुआ है।
- **कटाव की जद में**– जिले में 65 स्कूल कटाव की जद में हैं।
- **भूकम्प संवदितः–** जिले में 1125 स्कूल भूकम्प संवेदित हैं, क्योंकि स्कूल भवन पुरानी है तथा वे भूकम्प रोधी तकनीकी के आधार नहीं बनाये गये हैं।
- **अगलगी संवेदित** – जिले के 356 स्कूल अगलगी के प्रति संवेदनशील है। इन स्कूलों में लगे अग्निशामक यंत्र कुछ तो खराब है और कुछ की रिफिलिंग नहीं हुई है।

घ– जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति

जिला में समेकित बाल विकास सेवा विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी 6 साल तक के बच्चों एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच सुविधा, रेफरल सुविधा, स्कूल से पहले औपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर जागरूक करना होता है।

क्रमाकं	अनुमण्डल का नाम	प्रखण्ड का नाम	झोपड़ी मे संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	कच्चे मकान मे संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	बाढ़ से प्रभावित होने वाले आ0 केन्द्र की संख्या
1	पूर्णियाँ सदर	जलालगढ़	27	5	9
2		श्रीनगर	47	6	3
3		पूर्णियाँ सदर	46	48	16
		पूर्णियाँ ग्रामीण	68	66	14
4		के0 नगर	88	23	5
5		कसबा	8	110	5
6	बायसी	बायसी	170	0	124

7		डगरूआ	39	38	99
8		बैसा	107	16	42
9	**बनमनखी**	बनमनखी	191	68	26
10		धमदहा	134	158	5
11		रूपौली	0	165	73
12	**धमदहा**	अमौर	166	32	158
13		भवानीपुर	82	57	7
14		बी0 कोठी	121	0	8
योग			**1294**	**792**	**594**

च– पशु चिकित्सा केन्द्रों की स्थितिः–जिला में कुल 8 पशु चिकित्सालय बाढ़ एवं भूकम्प के दृष्टिगत संवेदनशील हैं।

छ– नदियों द्वारा कटाव

पूर्णिया जिला में नदी से कटाव एक प्रमुख जोखिम है। नदियों द्वारा कटाव के कारण जिले में अचल सम्पत्तियों की हानि होती रही है। जिला में कटाव माह मई, नवम्बर तथा दिसम्बर में कम एवं जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर में अधिक होता है। माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल में केवल भूमि का क्षरण होता है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, पूर्णियाँ (जल संसाधन विभाग) के अर्न्तगत नदियों द्वारा कटाव के सापेक्ष जोखिम न्यूनीकरण एवं बाढ़ प्रत्युत्तर विषय पर कार्य किया जा रहा है। कटाव के दृष्टि से जिला के सभी प्रखण्ड संवेदनशील हैं। जिला में सर्वाधिक कटाव **परमार** नदी के द्वारा होता है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, पूर्णियाँ के प्रतिवेदन के अनुसार जिले में तटबंधों की भौतिक स्थिति का विवरण नीचे इंगित है–

ज–संवेदनशील तटबन्ध–

जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमण्डल, पूर्णियाँ अर्न्तगत जिले में कनकई नदी पर मजकूरी जहॉनपुर तटबन्ध है, जिसकी लम्बाई 2.00 किमी0 है। यह तटबन्ध आर.डी. 0 (थाकी गांव), आर.डी. 2.20 एवं आर.डी. 5.70 तथा स्कूल के पास संवेदनशील है।

झ– जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता

जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के अर्न्तगत जिला अस्पताल 1, अनुमण्डलीय अस्पताल 2, रेफरल अस्पताल 2, प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र 10, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र 75 तथा कार्यरत स्वास्थ्य उपकेन्द्र की संख्या 486 (भवनयुक्त 160 तथा भवहीन 326) है। जिले में अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण निम्नांकित हैंः–

क्रम संख्या	स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण	संख्या		रिक्त
		अनुमोदित	कार्यरत	
1	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	212	173	61
2	स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकत्री	33	00	33
3	प्रयोगशाला प्रविधिक	55	10	45
4	संख्याता	01	9	1
5	लिपिक	78	68	10
6	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	27	19	8
7	परिचायिका ग्रेड ए	208	78	130
8	एक्सरे टेक्निशियन	7	1	6
9	फार्माशिष्ट	45	9	36

10	जीप चालक	25	8	17
11	ए0एन0एम0 नियमित	1067	278	789
12	आशा	2983	2946	37
13	एम्बुलेंस	15	15	
14	हैजा सुपरवाइजर	2	1	1
15	नेत्र सहायक	8	4	4
16	पुरूष परिवार कल्याण कार्यकर्ता	33	14	19
17	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता	47	00	47
18	ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति	251		
19	ब्लड बैंक अस्पताल	2 (सदर व मैक्स)		

ठ– मनरेगा के अर्न्तगत बाँध का निर्माण एवं मरम्मतीकरण–

जिला ग्राम विकास अभिकरण, पूर्णियाँ, द्वारा बाढ़ से सुरक्षार्थ हेतु मनरेगा के अर्न्तगत अनेकों बाँधों का निर्माण कराया गया है। निर्मित बाँधों में बारिश के कारण जगह–जगह रेनकट बन जाते हैं, चूहों आदि के द्वारा बाँध क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे बाढ़ के दौरान ये जर्जर हो जाता है। जिले में कई स्थानों पर इन बाँधों को सड़क के उपयोग में लिया जाता है और यह ग्रामीणों द्वारा सम्पर्क मार्ग के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

त– चापाकलों की भौतिक स्थितिः–

कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ, के अनुसार जिले में विशेष मरम्मति हेतु 4195 चापाकल खराब है तथा 2096 चापाकल बंद है, जिसका साधारण मरम्मतीकरण करवाना है। जिले में कुल कार्यरत् चापाकलों की संख्या 23872 है।

4.7.जलवायु परिवर्तन

पूर्णिया, जिले में प्रायः शीतलहर, मौसमी बाढ़ आदि जलवायु जनित खतरों से प्रभावित होते रहते हैं। मानसून की भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ ने केवल खड़ी फसलों को ही क्षति नहीं पहुँचाती है अपितु मानव एवं पशुधन को भी नुकसान पहुंचता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप छोटी जोत वाले किसान, पूँजी की कमी वाले लोग, परम्परागत कृषि यंत्र का उपयोग करने वाले, अल्प समर्थन कृषि मूल्य पाने वाले एवं फसल बीमा सुरक्षा से बाहर के किसान ज्यादा संवदेनशील हो सकते हैं।

जोखिम :

- पशुधन के रखरखाव की समस्या।
- तापमान, वर्षा, हवा, नमी एवं अन्य जलवायु संबंधी घटकों में दीर्घकालिक बदलाव ।
- इन बदलावों के साथ अनुकूलन स्थापित करने की समस्या।
- जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षापात, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव।

जोखिम के दुष्प्रभावः

- अत्यधिक गर्मी।
- वर्षा का परिवर्तित स्वरूप ।
- भूजल स्तर में गिरावट।
- सूखे की समस्या।
- कृषि और खाद्य समस्या।
- जल समस्या।
- स्वास्थ्य समस्या।

- पलायन, प्रवासन आदि।

तालिकाः– जिले में औसत तापमान, न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान एवं वर्षापात की जानकारी नीचे सारणी में दी गयी है।

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
औसत तापमान (°C)	16.5	18.9	23.8	28.1	29.4	29.1	29	28.9	28.6	26.5	21.6	17.6
न्यूनतम तापमान (°C)	8.9	11.2	15.6	20.6	23.9	25.3	26	25.9	25.2	21.6	14.5	9.9
अधिकतम तापमान (°C)	24.2	26.6	32.1	35.7	34.9	33	32	31.9	32.1	31.4	28.8	25.4
औसत तापमान (°F)	61.7	66	74.8	82.6	84.9	84.4	84.2	84	83.5	79.7	70.9	63.7
न्यूनतम तापमान (°F)	48	52.2	60.1	69.1	75	77.5	78.8	78.6	77.4	70.9	58.1	49.8
अधिकतम तापमान (°F)	75.6	79.9	89.8	96.3	94.8	91.4	89.6	89.4	89.8	88.5	83.8	77.7
वर्षापात (mm)	17	8	15	26	88	241	366	315	250	91	9	1

स्त्रोत :– भारत मौसम विज्ञान विभाग

4.8. क्षमता विश्लेषन

4.8.1 सभी मौसम में सड़कों, रेल, पानी सहित संचार प्रणाली का नेटवर्क	**नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इण्डिया/ सड़क निर्माण विभाग, पूर्णियाँ**	सड़क सम्पर्क • एन0 एच0 57 से फारबिजगंज, नरपतगंज, पूर्णिया एवं किशनगंज यह सड़क आगे पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी को जोड़ती है। • एस0 एच0 60 • एस0 एच0 92 • बाईपास रोड –पार्ट आफ रोड नम्बर 6
2	**रेलवे**	पूर्णियाँ, रेलवे लाइन किशनगंज, पूर्णियॉ एवं कटिहार जिलों से सीधा कनेक्टीविटी बनाते हुये पश्चिम बंगाल के मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, सिल्लीगुड़ी, न्यू जलपाइगुडी को ब्रोड गेज के माध्यम से जोड़ता है।

4.8.2.जन वितरण प्रणाली

नोट–खाद्य एवं अन्य राहत सामग्री की भण्डारण हेतु सुविधा। प्रखण्ड स्तर पर अन्य सार्वजनिक जगह भी चिन्हित हैं जैसे– नीजी भवन, स्कूल, सुरक्षित स्थान।

4.8.3.यातायात सुविधायें जैसे– ट्रक, बसें और ट्रैक्टर आदि की संख्याः–

ट्रक, बसें और ट्रैक्टर आदि की संख्या जिले स्तर पर प्राप्त हुआ है। जिसका विवरणी BSDRN पोर्टल पर देखा जा सकता है।

4.8.4.खोज एवं बचाव हेतु जे0सी0बी0, बुलडोजर, क्रेन (सरकारी, सार्वजनिक एवं नीजी)

जी0सी0बी0 की संख्या–एवं किरान की संख्या डीवीजन स्तर पर प्राप्त हुआ है। जिसका विवरणी BSDRN पोर्टल पर देखा जा सकता है।

4.8.5. मेडिकल सुविधायें– जैसे अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एम्बुलेंस, डाक्टरों, नर्सो एवं अन्य पैरामेडिक्स की संख्या :

क–मेडिकल सुविधाओं का विवरणः–

क्र0	प्रखंड का नाम	चलंत	स्थायी	अस्थायी	कुल
1	पूर्णियाँ पूर्व	1	4	2	7
2	कसबा	2	1	1	4
3	श्रीनगर	0	0	5	5
4	जलालगढ़	0	0	10	10
5	के0नगर	1	1	1	3
6	बनमनखी	0	0	3	3
7	डगरूआ	0	3	3	6
8	बायसी	1	3	2	6
9	अमौर	2	5	4	11
10	बैसा	1	0	8	9
11	धमदाहा	3	4	1	8
12	भवानीपुर	1	0	1	2
13	बी0कोठी	0	0	1	1
14	रूपौली	2	1	3	6
कुल		**14**	**22**	**45**	**81**

4.8.6. पशु अस्पताल (कार्मिक एवं अन्य सुविधाओं का विवरण):–

क्रमांक	सुविधाओं का विवरण	संख्या
1	सचल दल	36
2	पैरा मेडिकल कर्मी	चिकित्सक-29, कर्मी-17
3	बाढ़/सुखाड़ राहत पशु शिविर केन्द्र की संख्या (प्रत्येक प्रखण्ड में तीन–तीन की संख्या में विकसित किया गया है)	36
4	बाढ़/सुखाड़ राहत उपकेन्द्र की संख्या	26
5	पशु आश्रय स्थल	सभी प्रखंड में 3–3 उँचे स्थलों का चिन्हिकरण किया गया है।

4.8.7. पंचायत के साथ मानव संसाधनों की उपलब्धता– मुखिया, वार्ड सदस्य, पैक्स कार्मिक, आंगनबाड़ी, एम0एन0एस0 सेविकाएं, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, आशा, इन्दिरा आवास सहायक आदि।

क्रमांक	कार्मिकों का विवरण	संख्या
1	कुल ग्राम पंचायत की सं0	230
2	कुल मुखिया	230
3	कुल सरपंच	230
4	प्रखण्ड प्रमुख	14

5	कुल पंचायत समीति	230
6	जिला परिषद सदस्य	34
7	जिला परिषद अध्यक्ष	1
11	ऑगनवाड़ी केन्द्रो की सं0	3425
12	आंगनबाड़ी कार्यकत्री की संख्या	3425
17	इन्दिरा आवास सेवक	152

4.8.9.एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 यूनिटों का विवरण जो जिला या जिले के आस–पास तैनात है।

आपदा प्रबंधन विभाग के निदेश के आलोक में समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 बिहटा, पटना द्वारा पूर्णिया जिला के लिए एस0डी0आर0एफ0 टीम की स्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है। एस0डी0आर0एफ0 टीम जिला स्कूल पूर्णिया के परिसर के अलग भवन में आवासित है। टीम कमांडर एवं 02 (दो) एस0आई0 पदस्थापित हैं। उक्त टीम के साथ कुल–22 सदस्यीय टीम कैम्प कर रही है। नोडल जिला के अन्तर्गत किशनगंज, अररिया एवं कटिहार जिला को इस टीम के साथ गुच्छ (Tag) किया गया है। जिले से प्राप्त अधियाचना के आलोक में एस0डी0आर0एफ0 टीम को राहत एवं बचाव कार्य हेतु भेजा जाता है। उक्त टीम के साथ एक ट्रक Tata-709 (BR-01 GD-3775) एवं एक जिप्सी (BR 01PF-2688) कार्यरत है, तथा उक्त दोनों वाहनों के लिए एक वाहन चालक की प्रतिनियुक्ति एस0डी0आर0एफ0, बिहटा, पटना के द्वारा की गई है। साथ हीं राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित सभी आवश्यक उपकरण एवं एस0डी0आर0एफ0 कर्मियों की सूची टीम कमांडर द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

4.8.10. पंचायत सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण :–

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम अंतर्गत पूर्णिया जिला के 246 पंचायतों से 2460 सामुदायिक स्वयंसेवकों का क्षमतावर्द्धन हेतु अंचल अधिकारी के माध्यम से चयन कर डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। चयनित स्वयंसेवकों में 30 प्रतिशत महिला भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है।
- पूर्णिया जिला के सभी अंचलों के सभी पंचायतों में कुल–1360 सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय (बाढ़ सुरक्षा – पूर्व, दौरान, बाद/भूकंप से सुरक्षा – पूर्व दौरान, बाद) पर ऑन–लाईन प्रशिक्षण दिया गया है।
- पूर्णिया जिला के सभी अंचलों के सभी पंचायतों में कुल–1623 सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय (नाव दुघर्टना, डूबने से होने वाले मौतों, ठनका, शीतलहर एवं लू आदि की गतिविधियों पर क्या करें–क्या न करें) पर ऑन–लाईन प्रशिक्षण दिया गया है।
- विभागीय निदेश के आलोक में बायसी अनुमंडल के अंचल बैसा, बायसी, अमौर एवं डगरूआ के कुल–160 सामुदायिक स्वयंसेवकों को बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से 12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण

एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय, बिहटा, पटना में दिया गया हैं। अन्य प्रशिक्षित बल– गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा एवं सामुदायिक स्वयं सेवकों/मानव संसाधन की विवरणी–

क्रमांक	मानव संसाधन का विवरण	संख्या
1	प्रशिक्षित गृह रक्षक	150
2	नागरिक सुरक्षा	40
3	चयनित सामुदायिक स्वयंसेवकों की संख्या	2300
4	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित सामुदायिक स्वयंसेवकों की संख्या	160
5	प्रशिक्षित गोताखोर	58
6	आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु मास्टर ट्रेनर	10
7	सामुदायिक तैराकी प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर	28
8	प्रशिक्षित पशु चिकित्सक	12
9	प्रशिक्षित पशुधन सहायक	12
10	प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर मुखिया एवं सरपंच	28
11	जीविका के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर	07
12	प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स पंचायत संसाधन केन्द्र के पदाधिकारी	07
13	भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षित अभियंता	49
14	भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षित राज्यमिस्त्री	397

4.8.11. पूर्णिया जिलान्तर्गत अग्निशामालय एवं थानों में प्रतिनियुक्त अग्निशामक वाहनों की सूची अग्निशामालयवार निम्न प्रकार हैं:–

क्र0सं0	अग्निशामालय का नाम	बड़ी वाहन की संख्या	छोटी वाहनों की संख्या	कुल वाहन	अभियक्ति
		वाटर टेंडर			
1	अग्निशामालय, पूर्णिया	2	5	7	स्मॉफ एक्सजॉस्ट (1) कसबा, जलालगढ़, के0 नगर एवं के0 हाट थाना में (M.T)
2	अग्निशामालय, धमदाहा	2	2	4	रूपौली, टीकापट्टी
3	अग्निशामालय, बायसी	2	3	5	अमौर, रौटा एवं अनगढ़
4	अग्निशामालय, बनमनखी	2	1	3	जनकीनगर
कुलः–		**8**	**11**	**19**	

पूर्णिया जिलान्तर्गत अग्निशामालयों में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारियों की सूची अग्निशामालयवार निम्न प्रकार हैः–

क्र0	अग्निशामालय का नाम	स्टेशन औफिसर	सब– औफिसर	प्राधन अग्निक	प्राधन अग्निक चालक	अग्निक	अग्निक चालक	गृहरक्षक चालक	गृहरक्षक	प्रतिनियुक्त गृहरक्षक
1	अग्निशामालय, पूर्णिया	1	1	0	0	10	9	1	4	2
2	अग्निशामालय, धमदाहा	0	1	1	0	6	5	0	1	0
3	अग्निशामालय, बायसी	0	1	1	0	6	5	1	5	1
4	अग्निशामालय, बनमनखी	0	1	1	0	6	3	0	0	0
कुलः–		**1**	**4**	**3**	**0**	**28**	**22**	**2**	**10**	**3**

अध्याय : 5

आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी का उपाय

PREVENTION, MITIGATION & PREPAREDNESS MEASURES

विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ हीं उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में आपदा निवारण, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु विभिन्न हितधारकों के कार्यों की पहचान की गयी है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शमन रणनीति (UNISDR) में अंकित परिभाषायें।

निषेधीकरण (Prevention) : वर्तमान अथवा संभावित नये आपदा जोखिम को टालने की कार्रवाई और उठाये गये कदमों को निषेधीकरण कहा जायेगा।

न्यूनीकरण (Mitigation) : खतरे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई और उठाये गये कदमों को न्यूनीकरण कहा जायेगा।

पूर्व तैयारी (Preparedness) : आपदा मोचन एवं पुनर्प्राप्ति के लिए उत्तरदायी कोई संस्था, समुदाय व्यक्ति या कोई सरकार संभावित अथवा विद्यमान आपदा का सटीक अनुमान लगाकर प्रभावी प्रत्युत्तर या पुनर्प्राप्ति की क्षमता और ज्ञान हासिल या विकसित कर ले उसे पूर्व तैयारी कहेगे।

5.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण : जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए योजना, विर्निमाण इसका कार्यान्वयन तथा समन्वयकर्त्ता निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा। विभिन्न मुख्य कार्यों का दायित्व निम्न प्रकार से होगा :–

विशिष्ट कार्य	जिम्मेवारी
निदेशन, नियंत्रण और समन्वय	जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
सूचना संग्रह, विश्लेषण तथा क्षति आकलन	जिलाधिकारी
संचार	जिला दूरसंचार केन्द्र (सूचना संचरण हेतु)
खोज व बचाव	पुलिस, अग्निशमन बल, परिवहन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
सहाय्य एवं शरण स्थल	जिला प्रशासन, खाद्य आपूर्ति पदा॰, राजस्व एवं भूमि सुधार
स्वास्थ्य सेवा	जिला स्वास्थ्य समिति
पेयजल एवं स्वच्छता	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगरपालिका
पशु शरणागाह एवं चारा	पशुपालन पदाधिकारी
ऊर्जा आपूर्ति का पुनर्स्थापन	पावर होल्डिग कम्पनी
आधारभूत संरचना का पुनर्स्थापन	पथ निर्माण/ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण एवं पुल निर्माण निगम
शव एवं मलवा निपटान	जिला प्रशासन, नगर पालिका, रेड क्रॉस
जन संपर्क, पूर्व सूचना एवं ई॰ओ॰सी॰,मिडिया प्रबंधन	जनसंपर्क कार्यालय(मिडिया को वस्तुस्थिति से अवगत कराना)
कानून एवं व्यवस्था	जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों/संभागो, पंचायती राज संस्थाएँ, सामुदायिक स्तर की संस्थाएँ तथा निजि क्षेत्र की एजेंसियाँ भी उपरोक्त कार्यों में सहयोग दे सकेगी। इन कार्यों में पंचायत चूँकि ग्रामीण स्तर की चुनी हुई संस्था है, अतः उसे खतरा, जोखिम को रोकने, कम करने या पूर्व की तैयारी में विशेष जिम्मेवारी निभानी पड़ सकती है।

5.2 सभी विभागों एवं एजेसियों के लिए समान कार्य :

सभी संबंधित विभाग/संभाग आपदा जोखिम विषय पर समझ विकसित करेंगें तथा प्रशासन प्रणाली को सशक्त करेंगें। आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों तथा प्रभावी रिस्पाँस आदि विषयों को ध्यान में रखकर इस योजना हेतु कारवाई करेंगें।

5.3 विभागों/एजेसियों के आपदानुरूप कार्य :

बाढ़ :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	• ''फ्लड प्लेन जोनिग'' करने के उपरांत नदियों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण एवं लोगों को बसने से रोकने के लिए समुचित अधिनियम बनाना एवं लागू करना।	• जिला आपदा प्रबंधन योजना में बाढ़ से जुड़े शमनीकरण तथा न्यूनीकरण कार्य योजना का अनुश्रवण। • पंचायत स्तर पर की जा रही शमनीकरण, न्यूनीकरण की गतिविधियों का अनुश्रवण करना। पंचायतीराज प्रतिनिधियों तथा बाढ़ राहत प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण। • बाढ़ प्रवण पंचायतों की सूची तैयार करना। ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर बाढ़ जोखिम विश्लेषण। बाढ़ प्रवण पंचायतों की अपनी बाढ़ प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन।	• बाढ़ पूर्वानुमान, चेतावनी तथा आवश्यक सूचना सभी हितधारकों तक तत्काल पहुँचाने के लिए प्रभावी सूचना तंत्र की स्थापना। • बाढ़ राहत प्रकोष्ठ का गठन एवं सदस्यों को आवश्यक जानकारी से अवगत कराना। • बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार खंड 2 के अनुलग्नक–5 पर संलग्न।
2	**जल संसाधन विभाग (बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण)**	• बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण। • पूर्व से निर्मित किन्तु क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की मरम्मति एवं पुर्नस्थापन। • संभावित जलजमाव वाले क्षेत्रों में जल निस्सरण योजनाओं का निरूपन एवं निर्माण।	• आपदा पूर्व संभावित बाढ़ की चेतावनी का प्रसारण । • नदी के जलग्रहण क्षेत्र से काफी अधिक मात्रा में, बाढ़ के पानी के साथ आने वाले गाद को जो बराज के उपरी क्षेत्र में जमा हो रहा है, हटाने की व्यवस्था । • उपरोक्त के आक्राम्य स्थलों को चिह्नित करना। क्षतिग्रस्त होने वाले संभावित जगहों को शीघ्रता से तत्परता पूर्वक समुचित संरचनाओं का निर्माण। • बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लोगों के बीच बाढ़ से बचाव के संबंध में आवश्यक सलाह /जानकारी का प्रचार – प्रसार। • रेलवे तथा सड़क में बने हुए छोटे पुल–पुलिया के स्थल पर हो रहे जल जमाव की त्वरित निकासी की व्यवस्था।	• अंतरराज्यीय नदी में संभावित जलश्राव का अनुश्रवण करने के लिए छोड़े जाने वाले जलश्राव की तत्काल सूचना प्राप्त करने हेतु उच्चस्तरीय समन्वय स्थापित करना। • संभावित बाढ़ के संबंध में जारी निर्देशिका के आलोक में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना। • अन्य बांध, नहरों, नालों, तलाबों आदि पर अतिक्रमण हटाना, इनकी साफ–सफाई करना तथा समय से पूर्व इनकी मरम्मति करा लेना। • बाढ़ प्रबंधन कैलेन्डर का निर्माण। • वर्षा ऋतु में नदियों के जलश्राव पठन (Monitoring) हेतु ''रिवर गेज'' की स्थापना, दैनिक जलश्राव पठन (Monitoring) की निगरानी तथा बाढ़ का पूर्वानुमान। • आपदा पूर्व चेतावनी प्रसारित करने हेतु सूचना तंत्र का विकास एवं नियोजन ।

				• संभावित बाढ़ के दौरान इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्रियों का चिह्नित स्थलों पर भंडारण।
3	**भूमि एवं राजस्व**			• हेलीपैड स्थल की अवस्थिति तय करना। • शरण स्थल का चयन।
4	**शिक्षा**	**बाढ़ प्रवण पंचायतों में :** • बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का निर्माण बाढ़ ग्रस्त जमीन पर नहीं कराना।	**बाढ़ प्रवण पंचायतों में :** • तैराकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इस हेतु विद्यालयों में तैराक सह प्रशिक्षक की नियुक्ति करना। • विद्यालयों में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • बाढ़ से बचाव एवं बाढ़ जनित बीमारियों से बचाव हेतु छात्र–छात्राओं को जानकारी देना। • जन–जागरूकता द्वारा निषेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना जैसे बाढ़ के पानी के प्रयोग से बचना, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास नहीं जाने देना, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना तथा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी उपर्युक्त निषेधात्मक गतिविधियों के अनुपालन पर बल देना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल भवनों को चिन्हित कर रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापको का प्रतिनियोजन। • विद्यालय में आपदा से सबंधित विभिन्न प्रकार के दलों का गठन करना, जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण–स्थल निगरानी दल, बाढ़ प्रत्युत्तर दल तथा इनके नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।
5	**ग्रामीण अभियंत्रण संगठन**		• सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में बाढ़ आपदा प्रबंधन को समेकित ढ़ंग से शामिल करना।	• बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना।
6	**सड़क निर्माण विभाग**	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/ प्रस्तावित सड़क पुर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी सड़क बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना।	• आवश्यक स्थलों पर 'कलवर्ट' का निर्माण करना।	

7	**स्वास्थ्य**	• विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करना।	• पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ. आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिचिंग पावडर इत्यादि का वितरण एवं भंडारण। • चलन्त चिकित्सा केन्द्र में बाढ़ पीडितों को चिकित्सा उपलब्ध कराना। • आपूर्त्ति की जा रही दवा एवं खाद्य पदार्थ के स्तर एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। • प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस के साथ–साथ चिकित्सकों का नियोजन।	• स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड कीट तैयार रखना । • बाढ़ प्रवण इलाकों में सुरक्षित खानपान तथा स्वच्छता के संबंध में स्थानीय नर्सों तथा आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना। • पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ. आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिचिंग पावडर इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण। • विभिन्न बीमारियों से जुड़े टीके लगाने की पूर्व तैयारी रखना। • आशा कार्यकर्ता/ए.एन.एम. का प्रशिक्षण ताकि, राहत शिविर में संभावित प्रसव कार्य सुरक्षित एवं सुगम हो।
8	**खाद्य एवं आपूर्त्ति**			• बाढ़ प्रवण पंचायतों में बाढ़ से पूर्व बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान का भण्डारण कर लेना। • बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना।
9	**पंचायती राज**	• विकास के कार्यो में आपदा प्रबंधन को समाहित करना।	• बाढ़ को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन योजना बनाना। • समुदाय को बाढ़ प्रबंधन की ट्रेनिंग देकर जागरूक बनाना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/प्रस्तावित मकान पूर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी मकान बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना।
10	**कृषि**		• नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुनिश्चित करना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों के लिए वैकल्पिक कृषि से संबंधित SOP तैयार करना। • चौर क्षेत्रों में जहाँ जल जमाव की संभावना हो वहाँ जल सह पौधों जैसे धैचा, ईख आदि फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करना। • अधिकाधिक क्षेत्रों में गरमा फसल उगाने को प्रेरित करना। • अत्यधिक नमी तथा कम समय में उगने वाले

				चारे और फसल के बीज का भंडारण । • धान की वह प्रजाति जिसके पानी में कुछ दिन डुबे रहने पर भी उत्पादन में कमी नहीं होती है, का प्रचार–प्रसार एवं प्रत्यक्षण करना तथा बाढ़ प्रवण खेतों में इसे उगाने पर बल देना ।
11	**पशुपालन**	• सभी पशुओं को खुरहा तथा अन्य रोगों से संबंधित टीकाकरण को सुनिश्चित करना। • पशु चिकित्सक एवं सहायकों को बाढ़ में होने वाले पशुरोग एवं रोकथाम का प्रशिक्षण देना। • पशुधन की बाढ़ से सुरक्षा हेतु लोगो में जागरूकता अभियान चलाना।		• बाढ़ प्रवण पंचायतों में चारे का पर्याप्त भण्डारण करना। • पशुओं के लिए पशु शरण–स्थल चिन्हित करना। • मत्स्य पालन क्षेत्र में चारो तरफ से उँची जाली लगाकर घेर देना, ताकि मछली के बाहर बह जाने को रोका जा सके।
12	**परिवहन**		• नाव परिचालन से संबंधित अधिनियम को सख्ती से लागू कराना। • राज्य प्राधिकरण द्वारा नाविकों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान का संचालन करना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में नियोजन हेतु पर्याप्त संख्या में नाव तथा नाविकों का सूचिकरण।
13	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण**		• शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/ क्लोरीन की टिकिया की आपूर्त्ति एवं इसके उपयोग विधि की जानकारी लोगों को कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में काफी संख्या में चापाकलों लगाना तथा मरम्मति के कार्य करना।	• शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/ क्लोरीन की टिकिया की आपूर्त्ति एवं समुचित भंडारण।
14	**एस.डी.आर.एफ./एन.डी. आर.एफ. एवं अन्य एजेन्सियाँ**		• प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।	• नागरिक सुरक्षा दल का गठन। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में गठित प्रत्युत्तर दलों का प्रशिक्षण। • मॉकड्रिल का आयोजन करना। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में समुदाय का प्रशिक्षण।
15	**केन्द्रीय जल आयोग/ मौसम विभाग**			• बाढ़ पूर्वानुमान की सूचना सार्वजनिक तौर पर संप्रेषित करना।

भूकंप :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	• निषेधीकरण, न्यूनीकरण तथा प्रत्युत्तर एवं पूर्व तैयारी के संदर्भ में निर्धारित मानकों को ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित योजना में शामिल हो को, सुनिश्चित करना।	• जिला आपदा प्रबंधन योजना में भूकंप से जुड़ी शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण। • प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय जोखिम न्यूनीकरण कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण। • ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किए जाने वाली योजनाओं में भूकम्परोधी संरचनाओं की तकनीक को शामिल कराने की पहल करना। • क्षमतावर्द्धन के कार्य–पंचायती राज प्रतिनिधियों का, स्वयंसेवकों का, लाईन विभाग के लोगों का आपदा प्रबंधन योजना (ग्राम स्तरीय) में निर्धारित कार्यों का प्रशिक्षण।	• संरचनात्मक ढाँचों के निर्माण का विश्लेषण एवं जोखिम का आकलन । • विश्लेषण के उपरान्त विभिन्न सहभागी दायित्वों का निर्धारण। • ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण कराने की पहल। • ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दलों का गठन किए जाने को सुनिश्चित करना। • भूकम्प से निपटने की तैयारी के मॉकड्रील का अभ्यास कराना।
2	**भवन निर्माण**	• भूकंपरोधी भवन निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण संहिता–2014 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।	• रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित कमजोर भवनों की रेट्रो फिटिंग। • बिहार आपदा जोखित न्यूनीकरण रोड मैप के अनुरूप बाढ़, भूकंप, आग, जल संरक्षण तथा चक्रवाती तूफान को ध्यान में रख कर नये भवनों का निर्माण।	• पूर्व से निर्मित सभी सरकारी भवनों का, खास कर सभी अस्पताल, स्कूल एवं प्रशासनिक कार्यालय भवनों की भूकंपरोधी क्षमता का आकलन–रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग द्वारा करना। • भूकंप रोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रचार–प्रसार एवं जिले में कार्यरत सभी अभियंताओं, राज–मिस्त्री, शटरिंग–मिस्त्री तथा बार–बाईंडर का प्रशिक्षण। • प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों में अस्थायी आश्रय स्थल की खोज।
3	**नगर निकाय**	• भवन निर्माण के अधिनियम के उपबंधो का अनुपालन करते हुए नक्शा पास करना। • जर्जर भवनों को चिह्नित करना तथा इसके आवासीय उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।	• भूकंप के दृष्टिकोण से कमजोर भवनों की रेट्रो फिटिंग कराना।	• निकाय के पास उपलब्ध भारी वाहन – डोजर, डम्पर तथा क्रेन इत्यादि का समुचित मरम्मति एवं संपोषण कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना। • आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्मित सड़कों को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखना।

4	**स्वास्थ्य विभाग (सिवील सर्जन एवं उनके अधीनस्थ अस्पताल एवं कार्यालय)**		• भूकंप के दौरान घायल व्यक्तियों की त्वरित समुचित चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु नजदीक के ट्रॉमा सेन्टर, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, एम.आर.आई., एक्सरे तथा सर्जिकल सेन्टर को चिन्हित करना । • अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। • अस्पतालों की ''रेट्रो फिटिंग'' का कार्य । • अस्पतालों में बड़ी तादाद में घायलों के उपचार हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना।	• जिला स्तरीय संभावित भूकंप से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना। • एम्बुलेंस को पूरी तरह सुसज्जित कर तैयार रखना । • प्राथमिक चिकित्सकों/आशा कार्यकर्त्ता को सक्रिय एवं तैयार रखना • अस्पतालों में अनिवार्य जीवन रक्षक दवाओं तथा अन्य सहायक सामग्री का पर्याप्त भण्डारण रहना।
5	**अग्निशमन विभाग**		• खोज एवं बचाव हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण। • भवनों में अग्नि सुरक्षा का ऑडिट सुनिश्चित करना।	• भूकंप के दौरान घटित अग्निकांडों से निपटने के लिए अग्निशमन संयत्रों एवं वाहनों तथा प्रशिक्षित कार्यबल को सदैव तैयार तथा तत्पर रखना।
6	**एन.डी.आर.एफ/ एस.डी.आर.एफ/रेड क्रॉस/सिविल डिफेन्स**		• मॉकड्रिल के माध्यम से जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण करना। • समुदाय क्षमता निर्माण कराना तथा स्वयं भी खोज एवं बचाव के लिए तत्पर एवं तैयार रहना।	
7	**शिक्षा विभाग**	• बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का भूकंप रोधी निर्माण सुनिश्चित करना।	• विद्यालयों में प्रति वर्ष भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • स्कूलों में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना सुनिश्चित करना।	• राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल के खेल मैदान को चिन्हित कर के रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन। • जन–जागरूकता द्वारा निषेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना। प्रत्येक स्कूल में भूंकप के दौरान अपने आप को सुरक्षित करने हेतु समय–समय पर मॉकड्रिल कराना। • प्रत्येक स्कूल में भूकंप आपदा प्रत्युत्तर दल जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण स्थल निगरानी दल, आपात्कालीन अलार्म दल, निकासी दल, खोज एवं बचाव दल, इत्यादि का गठन तथा इनको नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।

सूखा :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**		• सूखा टास्क फोर्स का गठन एवं विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना। • मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सभी हितधारकों तक पहुँचाना । • फसल क्षति बीमा योजना में शामिल होने हेतु बढ़ावा देना।	• ग्राम पंचायत/प्रखंड स्तर पर प्रभावित किसानों एवं ग्रामीण हितधारकों से सम्पर्क कर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे/होने वाले जोखिम के प्रति सचेत एवं जागरूक करना। • सूखा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण देखे खंड–2 के अनुलग्नक–8 पर। • सूखाड़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रखना।
2	**कृषि विभाग**	• ड्रीप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देना। • सूखारोधी एवं कम सिंचाई वाली फसलों को लगाने को प्रोत्साहन देना • भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु चेक डैम, जल छाजन तथा जैविक खाद बनाने हेतु योजना का निरूपण एवं क्रियान्वयन। • प्रगतिशील कृषक मंच का गठन कर इसके माध्यम से सूखा अथवा जलवायु परिवर्तन आधारित कृषि (Climate Resilitent Agriculture) को प्रोत्साहित किया जाना।	• वैकल्पिक खेती हेतु भण्डारित बीज को ससमय कृषकों के बीच पर्याप्त मात्रा में वितरित करना। • सूखे की दृष्टि से आकस्मिक फसल योजना का निर्माण। सूखा/कम वर्षा/कम जल आधारित फसल का चयन तथा उनका प्रचार–प्रसार। • चारे से जुड़ी फसलों को लगाने को प्रोत्साहित करना। • चेक लिस्ट के आधार पर शमनीकरण तथा न्यूनीकरण के उपाय का निर्धारण करना तथा हितधारकों को इससे अवगत कराना। • प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान से विकसित तकनीकों का उपयोग खेतों में करना। • सूखे की स्थिति में कृषि डीजल अनुदान देना तथा लोन, मालगुजारी, सिंचाई एवं बिजली रकम अदा करने पर तात्कालिक रोक लगाना।	• सामान्य से कम वर्षा होने पर सूखे की आशंका बढ़ जाती हैं ऐसे समय में ऐतिहातिक कदम उठाने के लिए समय–समय पर हितधारकों को कृषि कार्य संबंधी दिशा निर्देश देने हेतु चेक लिस्ट विकसित करना। • जिला आपदा प्रबंधन योजना में सूखे से जुड़े शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन । • उत्कृष्ट जल प्रबंधन हेतु जन जागरूकता के कार्य करना। इसके लिए कैलेण्डर, बुकलेट, पोस्टर, दिवार पेन्टिंग, होर्डिंग, अखबार, रेडियो संदेश, टेलीवीजन आदि को माध्यम बनाया जा सकता है। • कृषि संयंत्र, खाद, उपचारित बीज आदि का संरक्षण एवं भंडारण। • वैकल्पिक पशुचारा उत्पादन योजना का निरूपण करना। • सूखा एवं जलवायु परिवर्तन के अनुरूप विभिन्न फसलों के लिए अनुसंधान तथा कृषक प्रशिक्षण।

1	2	3	4	5
3	**पंचायती राज विभाग जिला परिषद्/ पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत**	• समुदाय द्वारा उपयोग के बाद अवशिष्ट जल के पुर्नउपयोग पर बल देना।	• सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न रोजगारोंन्मुख सरकारी योजना गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना।	• तालाबों, नहरों आदि की खुदाई/साफ कराना/ सुरक्षित रखना। • सभी पैक्सों में वर्षा ऋतु के पहले अनाज का भंडारण करके रखना। • पर्यावरण सुरक्षा एवं हरियाली हेतु जागरूकता अभियान चलाना।
4	**जल संसाधन**	• सभी सिंचाई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • जल संसाधन के खुले भण्डारों पर सौर उर्जा संयंत्र लगा कर यथासम्भव जल वाष्पीकरण को रोकना।	• सिंचाई नहरों के कमान्ड क्षेत्र में खेतों तक सुचारू रूप से पानी पहुँचाने के लिए जलवाहा/सिंचाई नाली की मरम्मति एवं निर्माण।	• जिले के असिंचित खेतों को सिंचित बनाने के लिए सिंचाई योजना का निरूपण। • विभिन्न सिंचाई योजनाओं के काम में तेजी लाना। • नहर प्रणाली के अंतर्गत क्षतिग्रस्त/अर्धनिर्मित/अनिर्मित नहरों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा उड़ाही करना। • नहरों में सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी होने पर बारी–बारी से सभी खेतों तक आवश्यकता के अनुरूप पानी पहुँचाने की योजना बना कर रखना।
5	**लघु जल संसाधन**		• सभी सिंचाई योजनाओं में शतप्रतिशत सिंचाई क्षमता हासिल करना। • वर्षा जल संरक्षण को खासकर विद्यालय/ घरेलू/सार्वजनिक स्थानों पर, प्रोत्साहित करना। • ड्रीप/स्प्रींकलर सिंचाई पद्धति अपनाने पर बल/जोर देना।	• सभी नलकूपों को उर्जान्वित तथा कार्यकारी बनाये रखना। • सिंचाई नहरों एवं सार्वजनिक पोखरो से गाद को हटाना।
6	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**	• स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करना। • हर घर नल का जल योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	• सूखाग्रस्त इलाके में पानी की खपत पर निगरानी रखना तथा टैंकर से जल आपूर्ति की व्यवस्था करना। • जल स्त्रोतों की नियमित सफाई तथा इसे संक्रमण रहित बनाना। • लाईफ लाईन भवनों यथा अस्पतालों/ विद्यालयों आदि में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को अबाध बनाना।	• सभी पेयजल स्त्रोतों यथा चापाकल, नलकूप, कुआँ के डिसइन्फेक्सन की व्यवस्था करना। बिहार सरकार का SOP देखें खंड–2, के अनुलग्नक–7 पर। • ब्लिचिंग पावडर की पर्याप्त व्यवस्था रखना। • प्रति व्यक्ति कम–से–कम 40 लीटर पानी की व्यवस्था हेतु तंत्र (System) विकसित करना।

7	**पशुपालन**	• पशुओं का ससमय टीकाकरण सुनिश्चित करना।	• पशुचारा शिविर लगाकर पर्याप्त चारे की आपूर्ति। • कृषि अनुषांगिक आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने हेतु डेयरी, कुकुट पालन, पशुपालन आदि को प्रोत्साहित करना।	• जानवरों के लिए सामूहिक चारा शिविर स्थल को चिन्हित करना। • मौसम विशेष की बीमारियों से बचने हेतु पशुओं का टीकाकरण करना।
8	**समाज कल्याण (ICDS)**		• आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ओ.आर.एस. पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	• आंगनबाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाले बच्चे, गर्भवती, दुध पिलाती माता आदि के सूची को अद्यतन करना।
9	**उर्जा**		• विद्युत की नियमित आपूर्त्ति बनाए रखना। • राजकीय नलकूप के पंप को उर्जान्वित बनाये रखना।	
10	**ग्रामीण विकास**		• मनरेगा तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित सात निश्चय योजना के तहत रोजगार मुहैया कराना।	
11	**स्वास्थ्य**		• सूखे से जुड़ी कुपोषण एवं निर्जलीकरण जैसी बीमारियों की निगरानी करना। • आवश्यकतानुसार ओ.आर.एस. पैकेटों का पर्याप्त मात्रा में वितरण करना।	• स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड किट तैयार रखना । • पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ. आर.एस. पैकेट इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण।
12	**गृह**			• चारा वितरण केन्द्र, अन्य वितरण केन्द्रों पर वितरण के समय पुलिस बल तैनाती
13	**मौसम विभाग**			• मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान की ससमय घोषणा करना तथा सम्बन्धित विभागों को इससे अवगत कराना।
14	**बैंक**		• सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना। • विभिन्न ऋण देने वाली एजेन्सियों के द्वारा किसानों को आसान किस्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने का प्रबंधन करना एवं इस आशय की लोगों को जानकारी प्रदान करना।	
15	**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण**		• सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत करना, अन्त्योदय अन्न योजना को प्रोत्साहित करना एवं उचित मूल्य की दूकानों पर निगरानी रखना।	• क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति एवं रख रखाव तथा खाद्यान्न का भंडारण करना।

अग्निकाण्ड :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	• बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। • राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। • निरोधात्मक कार्रवाई के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करना। (देखे खंड–2 अनुलग्नक –6)	• अगलगी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाने, दूरदर्शन एवं रेडियो से जिला स्तर से सुझाव/सलाह का प्रसारण कराना तथा बिहार गृह रक्षावाहिनी का मुख्यालय पटना के पंत्राक 1042 दिनांक 02.03.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना। • अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़ी एक चेक लिस्ट तैयार करना। • इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना।	• आपात्कालीन संचालन केन्द्र को आधुनिक संचार संसाधनों से युक्त करना। • अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़े एक चेक लिस्ट तैयार करना। • इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना। • अग्नि से जुड़ी तकनीकों एवं बचाव उपायों से संबंधित क्षमता निर्माण– पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तरीय कर्मी, स्वयंसेवकों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनधियों का, अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसे गतिविधियों का नियमित आयोजन करना। • अग्नि सुरक्षा से जुड़ा कालबद्ध कार्यक्रम बनाना।
2	**अग्निशमन सेवा**		• बहुमंजली इमारतो एवं कार्यालयों में अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था से युक्त नक्शे के आधार पर हीं निर्माण की अनुमति देना। • जिले में महत्वपूर्ण भवनों का अग्निशमन योजना तैयार करना तथा समय–समय पर इसे मॉकड्रिल के माध्यम से परीक्षण करना। • अग्निशमन कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करना। • लोंगो के लिए अग्नि से बचाव हेतु जन जागरूकता के कार्य करना।	• जिला, अनुमंडल एवं थाना स्तर पर स्थापित अग्निशमन केन्द्र के टेलीफोन तथा मोबाईल नं॰, सार्वजनिक करना। • अपने अग्निशमन वाहन को आवश्यक सामग्री से हमेशा लैश रखना एवं प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों को हमेशा तैयार रखना। • अग्नि प्रवण क्षेत्र के सड़कों का अद्यतन नक्शा रखना, उनसे पूरी तरह परिचित होना तथा उनका नियमित अवलोकन करना। • अग्निशमन के आधुनिकतम यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण**	• ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में प्रत्येक 2 कि॰मी॰ पर हाईड्रेन्ट निर्माण संबंधी राज्य सरकार का संकल्प कारगर है। (पत्रांक 6554 दि॰ 24.12.2015 राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक)	• प्रति 2 कि॰मी॰ पर एक हाईड्रेन्ट को क्रियाशील रखना। • पर्याप्त संख्या में बड़े व्यास वाले नलकूप निर्माण की योजना बनाना।	• नलकूप में अग्निशमन के लिए बनी गाड़ियों में जल भरने की युक्ति को लगाना।

4	**शिक्षा विभाग**	• विद्यालयों के भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध करना।		• सभी विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • सामुदायिक जागरूकता के अन्य कार्य करना।
5	**भवन निर्माण विभाग**	• बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। • राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन। • विभिन्न प्रकार के अस्पतालों, बैंको, रक्त अधिकोषों तथा संवेदनशील कार्यालयों के भवनो को अग्निरोधी बनाने युक्त नक्शे के आधार पर ही निर्माण की अनुमति देना।	• अग्निकांडों से सबक लेकर सुरक्षा संबंधी निदेशों में समय–समय पर आवश्यक सुधार करना।	• भवन निर्माण में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग एवं भंडारण को हतोत्साहित करना।
6	**पंचायती राज विभाग**	• आहर पोखर, पईन के पहुँच पथ को चौड़ा करते हुए अतिक्रमण मुक्त करना। • अग्नि सह मकान बनाने की तकनीक को अपनी पंचायत की भावी योजना में समाहित करना। • अग्नि से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन।	• ग्रामीण भवनों के निर्माण में अग्निशमन तकनीक के प्रयोग पर ध्यान देना। • गर्मी के महीनों में अग्निकांड से बचाव हेतु खाना बनाने के समय में बदलाव। सार्वजनिक कार्यों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य बातों पर पंचायत द्वारा ग्रामीणों को सचेत करना।	• गाँवों के भवन/झोपड़ियों के निर्माण के बीच स्थान जरूर हो ताकि वहाँ तक अग्नि की स्थिति में पहुँच आसान हो सके। • गाँवों में पोखरे, आहर, पईन, ताल तलैया, कुएँ आदि जल स्त्रोतों को बनायें रखना, उनकी उड़ाही करा कर तैयार रखना। • अग्नि से संबंधित जन जागरूकता के कार्य चलाना। • ग्राम स्तर पर अग्निशमन सामग्री यथा जलस्त्रोत, पंपिग सेट, हौस पाईप, नोजल, लंबी सीढ़ी आदि की उपलब्धता को सूचिबद्ध करना।
7	**नगर निकाय**		• अग्निकाण्ड से बचाव के विभिन्न उपायों को दीवारों पर जन जागरूकता हेतु पेटिंग/पोस्टर आदि बनवाना/लगाना। • वैसे भवनों के निर्माण का नक्शा पारित करना जो पर्याप्त या निर्धारित चौड़ाई वाली सड़को पर हो ताकि अग्निशमन वाहन वहाँ पहुँच सके।	• घनी आबादी के बीच गुजरने वाली सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना। • विभिन्न जगहों पर बड़े व्यास वाले नलकूपों को लगाना।

8	स्वास्थ्य विभाग			• अस्पतालों की सूची, उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का विवरण तथा सभी पहुँच पथ की जानकारी स्थानीय अग्निशमन कार्यालय/थाना को उपलब्ध कराना। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडल तथा सदर अस्पतालों में विशिष्ट सुविधा युक्त ''बर्न यूनिट'' की स्थापना । • एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरूस्त रखना।
9	पशुपालन			• पालतू पशुओं को अग्निकांड से सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना। • अग्निकांड से पीड़ित पशुओं के लिए दवाई आदि का समूचित भंडारण करना।

भीड़/भगदड़ :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• भीड़ प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा इसका अनुश्रवण करना। • गुप्ताधाम भीड़ को गुफानुमा/ संकीर्ण मार्ग से गुजरना पड़ता है, उस मार्ग में वायु निकास **(Air Exhaust)** एवं रौशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • एकत्रित भीड़ द्वारा आवश्यकता के अनुसार समय सीमा के अंदर उनके उद्देश्यों को संपन्न करा देना।	• मुख्य त्यौहारों तथा अन्य अवसरों पर भीड़ नियंत्रण योजना बनाना जिसमें हितधारकों की भूमिका सुनिश्चित हो। • संभावित भीड़ में बच्चों/बूढ़ों/महिलाओं /दिव्यांगों हेतु परिचय पत्र का निर्माण एवं वितरण। • चिह्नित स्थल पर महत्वपूर्ण विभाग यथा पुलिस कंट्रोल रूम, अस्पताल, पीने के पानी का स्थल, शौचालय, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विश्राम स्थल इत्यादि को तैयार करना तथा इसकी अवस्थिति के बारे में जगह–जगह पर जानकारी (साईनेज सहित) उपलब्ध कराना। • भीड़ मनोविज्ञान, पूर्व के हादसे तथा की जानेवाली कारवाई पर फिल्म का प्रदर्शन। • पंजीकरण की व्यवस्था। • भीड़/भगदड़ पर नजर रखने के लिए वाच टावर का निर्माण।	• भीड़/मेला वाले स्थान का नक्शा बनाना तथा प्रवेश, निकासी एवं सुरक्षा के स्थान को चिह्नित कर प्रभावी भीड़ प्रबंधन कार्य योजना तैयार करना। • किसी भी स्थान विशेष एवं खास समय पर जुटने वाली संभावित भीड़ की संख्या का पूर्वानुमान। • पुलिस एवं स्वयंसेवकों को भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण । • मॉकड्रील के रूप में भीड़ को नियंत्रित करने का पूर्व अभ्यास। • कार्य योजना का लिखित रूप में आवश्यक होना। • जिले में यदि भीड़–भाड़ वाले चिह्नित स्थान हो तो इसका जोखिम विश्लेषण– हितधारक के दायित्वों का निर्धारण।

2	**पुलिस**	• जहाँ सुरक्षा संदिग्ध हो वहाँ भीड़ एकत्र न होने देना। 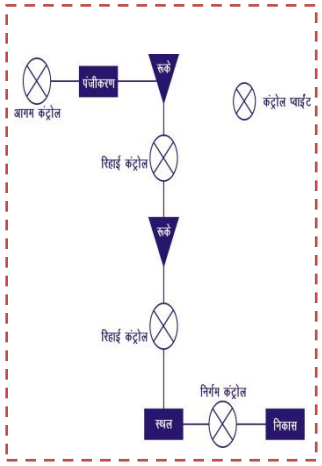 	• यदि निकास एवं प्रवेश मार्ग पर्याप्त क्षमता वाले हो तो दोनो को हीं आने–जाने के लिए खोल कर रखना। • किसी समय यदि भीड़ ज्यादा हो तो आवश्यकातनुसार निकास के समय प्रवेश मार्ग को भी निकास मार्ग में परिवर्तित करते हुए प्रवेश को प्रतिबंधित कर देना। • निकास एवं प्रवेश मार्ग एक हीं हो तो आने एवं जाने के लिए बारी–बारी से खोलना। • वाहन पार्किंग स्थल का चिह्नकरण एवं उद्घोषणा। • भीड़ वाले स्थल से अस्पताल के मार्ग को अवरोध रहित रखना। • असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना। • अफवाहों और अफवाह फैलाने वालो पर नियंत्रण रखना।	• भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति। • त्योहार के अवसर पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकरियों की भीड़ वाले स्थल पर प्रतिनियुक्ति करना। • प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों एवं स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण ।
3	**स्वास्थ्य**		• भीड़–भाड़ वाले अवसरों/स्थानों पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु कार्य योजना बनाना। • संभावित स्थल पर एम्बुलेंस और चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या रखना।	• संभावित भगदड़ वाले स्थल के निकटवर्ती अस्पतालों को चिह्नित कर तैयार रहने का आदेश निर्गत करना। • स्थानीय अस्पतालों को संसाधन युक्त कर रखना। • पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ, बैण्डेज, स्ट्रेचर उपलब्ध रखना ।
4	**अग्निशमन**		• भीड़ एकत्रित होने वाले स्थलों पर निर्मित टेन्ट अथवा पंडाल की ''फायर प्रुफ'' होने की जाँच कर स्वीकृति प्रदान करना एवं अस्वीकृत करना। • अग्निशमन वाहन/दल की सभी स्थलों पर पहुँच पथ सुनिश्चित करना। • पंडाल अथवा टेन्ट आदि लगाने के लिए मानकों (एंटी फायर) की मार्गदर्शिका तैयार करना।	• भीड़–भाड़ वाले स्थान पर हाईड्रेन्ट स्थल की पहचान कर रखना। • अग्निशमन वाहन तथा हाईड्रेन्ट को चालू हालत में रखना। • मॉकड्रिल आयोजित करना।

सड़क/रेल सुरक्षा :–

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण		• Blackspot को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना। (खंड–2 के अनुलग्नक–12 एवं 13 पर सुझाव का व्यापक प्रचार–प्रसार संलग्न है) • हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताहका आयोजन। एन. सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं की वृहद भागीदारी सुनिश्चित कर कार्यक्रम आयोजित करना। • चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना /संबद्धता प्रदान करना।	• जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन एवं नियमित बैठक। • कॉम्यूनिटी पुलिसिंग को प्रोत्साहित करना। • पर्व, त्योहार एवं अन्य अवसरों पर सड़क सुरक्षा संदेश का प्रचार–प्रसार करना।
1	2	3	4	5
2	**परिवहन**	• मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन । • वाहन चलाने के समय मोबाईल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना। • परिवहन विभाग,बिहार सरकार, द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2017 को निम्न आशय के निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना– ✓ गाड़ियां 80 कि॰मी॰/घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं होगी। ✓ सभी स्कूल बसों में उपयोग होने वाली चार पहिया गाड़ियों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु ''गति नियंत्रक'' लगाने की बाध्यता होगी।	• वाहनों की नियत समय पर फिटनेस की जाँच तथा चालकों का समय–समय पर स्वास्थ्य एवं दृष्टि दोष की जाँच कर अनुपयुक्त वाहनों एवं अस्वस्थ चालकों को प्रतिबंधित करना। • सीट बेल्ट/हेलमेट का प्रयोग निश्चित रूप से हो, इसे सुनिश्चित करना। • सड़क सुरक्षा के संबंध में जन–जागरूकता अभियान चलाना।	• सरकारी/गैर सरकारी वाहनो में प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ इसमें लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

		✓ दुपहिया, तिपहिया, अग्निशमक, पुलिस यान, एम्बूलेंस, आदि को गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता नहीं होगी। ✓ डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन को अधिकतम 60 कि॰मी॰/घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा। • परिवहन विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 24.08.2016 को निम्न आदेश के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना – ✓ बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाईन के ''रिफ्लेक्टीव टेप'' (परावर्तक टेप) लगाया जाना है। इसमें ट्रेलर भी सम्मिलित हैं।		
3	**पुलिस**	• ट्रैफिक नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना।		• सड़क दुर्घटना के संबंध में 17 बिन्दुओं वाली परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी फॉर्मेट में जानकारी एकत्रित कर प्रतिवेदित करना। • सभी मुख्य सड़कों एवं चौराहों पर विभिन्न समयों पर ट्रैफिक घनत्व का अध्ययन कर आवश्यकतानुसार ट्रैफिक लाईट की स्थापना तथा ट्रैफिक पुलिस का प्रतिनियोजन। • सड़कों की परिवहन क्षमता तथा ट्रैफिक घनत्व के आलोक में ''नो–इंट्री'' तथा

				''वन–वे'' ट्रैफिक का निर्धारण। • विशेष समारोहों/आयोजनों के समय एवं उसके इर्द–गिर्द के सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण। • दुर्घटना प्रवण स्थलों के आस–पास क्रेन/अग्निशमन वाहन की तैनाती।
4	**स्वास्थ्य**		• पर्याप्त पारामेडिकल कर्मी को ड्यूटी पर नियोजित करना ताकि घायलों को अस्पताल ले जाने में कठिनाई नहीं हो। • सड़कों के आस–पास कोई ट्रॉमा सेन्टर, तथा रेफरल अस्पताल हो उसकी जानकारी सड़क के किनारे संकेतक एवं दूरी के साथ लगवाना।	• Black spot वाले चिन्हित स्थलों के समीप के PHC को उत्क्रमित कर एम्बुलेंस सेवा युक्त चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करना। • Black spot वाले चिन्हित स्थलों के समीप एम्बुलेंस और चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध रखना। • अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ, बैण्डेज, स्ट्रेचर उपलब्ध रखना । • प्रत्येक अस्पताल में नजदीकी ब्लड बैंक, एमआरआई, एक्सरे सेन्टर तथा ब्लड डोनर एवं विशेषज्ञ सर्जन की जानकारी संधारित कर रखना। • समुदाय के स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना। • प्रत्येक अस्पताल में आपदा प्रभावित जनसंख्या की चिकित्सा सहायता के लिए त्वरित मोचन दल (Quick Response Team) का गठन।

5	**सड़क निर्माण / ग्रामीण सड़क निर्माण**	• निर्मित सड़कों से अनाधिकार ठोकरो को हटाना एवं नया ठोकर निर्माण पर पाबंदी लगाना। • उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित गठित समिति ने तीन प्रमुख दिशा निर्देश जारी किये हैं। वे हैं – ✓ उभय पक्ष द्वारा सड़कों के डिजाईन, निर्माण एवं उपयोग की अवस्था में इन सड़क नेटवर्क 'उपयोगकर्त्ता के अनुकुल' हो, इसको ध्यान में रखकर सड़क सुरक्षा अंकेक्षण (रोड सेफ्टी ऑडिट) की जाय। ✓ दस करोड़ से ज्यादा लागत वाली सड़कों का सड़क सुरक्षा अंकेक्षण सुनिश्चित की जानी चाहिए। ✓ राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथ तथा मुख्य जिला सड़कों पर तीखा मोड़ या विभिन्न मिलान वाली सड़कों पर गाड़ियों को धीमा किये जाने संबंधी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट का संकलन।	• सड़क Black spot को चिन्हित कर Signage लगाना। • सड़क सुरक्षा के दस गोल्डेन रूल्स के अनुपालन पर बल देना। • सड़क पर बने पुलों की चौड़ाई बढ़ाना। • वैकल्पिक सड़कों का निर्माण। • सड़क अनुरेखन में सुधार यथा 'ब्लाईडं कर्व' को सीधा करना। • खतरनाक सड़कों की पहचान। • सड़क सुरक्षा पर समय–समय पर नियमित अध्ययन करना। सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े विहित प्रपत्र में एकत्रित करने संबंधी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाना। डीपीआर तैयार करते समय दुर्घटना के विभिन्न कारकों एवं निराकरण को डिजाईन में शामिल करना।	• सड़क पर सफेद रंग का विभाजक चिन्ह् से सभी लेन का स्पष्ट चिह्निकरण । • सड़क सुरक्षा चिह्नों को निश्चित तौर पर सभी आवश्यक स्थानों पर लगाना। • तीखें मोड़ पर स्टील के चमकीले पट्ट लगाना। • पैदल पथ पार करने के लिए जेबरा क्रॉसिंग बनाना। • घनी बस्ती के बीच से जा रही सड़कों से सुरक्षा के लिए बसावट वाले गाँवों में सड़क सुरक्षा संबंधी जन जागरूकता चलाना।
6	**शिक्षा**		• विद्यालयों में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • विभिन्न सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी तथा प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान छात्र–छात्राओं को देना।	

7	**भारतीय रेल**	• सभी फाटक रहित रेलवे कॉसिंग पर रेल मित्र की नियुक्ति करना। • रेलवे सेफ्टी रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराना। • (रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 181 के अन्तर्गत असावधानी पूर्वक मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पार करना दण्डनीय अपराध है तथा इसके लिए एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है।)	• सभी मानवरहित रेल पथ समपार से गुजरने वाले वाहनों के लिए निम्नांकित निर्देश पट्टिका स्थापित करना :– ✓ गाड़ी फर्स्ट गेयर में डालकर ही पार करें। ✓ गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बन्द कर दें। ✓ समपार फाटक पार करते समय इयरफोन का प्रयोग न करें।	• ट्रैक का उचित मेन्टेनेंस करना। • निर्धारित गति सीमा के अनुसार रेल का परिचालन सुनिश्चित करना। • आपातकाल मेडिकल भान, आपातकाल एस. एल. आर. (Seating Lauaggage Rake) दल भान एवं रेल प्रोटेक्शन फोर्स को तैयार रखना। • चलंत अस्पताल को चिकित्सक, पारामेडिकल एवं आपात्कालीन चिकित्सा उपकरण से सुसज्जित एवं तैयार रखना। • समपार के दोनो छोरों पर उँची झाड़ियों की नियमित कटाई एवं सफाई ।

नाव दुर्घटना एवं डुबान (नदी, तालाब, गढ्ढ़े): –

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	• बंगाल नौ–घाट अधिनियम 1885 के अंतर्गत आदर्श नियमावली – मॉडल बोट रूल्स, 2011 का अनुपालन। • नदी, पईन, तालाब, झील, आदि उपलब्ध होना तथा खतरनाक नदी/घाटों पर जोखिम चेतावनी पट्ट लगाना।	• खतरनाक घोषित स्थलों तक परिचालन प्रतिबंधित करना। • खतरों की जगह पर बच्चों की पहुँच को प्रतिबंधित करना। • चिह्नित खतरनाक जगहों में ढांचागत सुधार लाना और चेतावनी संकेत आदि लगाना। • नदी, तालाब के आस–पास वाले गाँव के बच्चों का तैराकी प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना। • बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा चलाये जा रहे 'Safe-Swim' कार्यक्रम को सफल बनाना।	• नदी घाट का निर्माण। • तालाबों की घेराबंदी। • स्थानीय लोगों को जहाँ नाव से नदी/नहर पार करने का स्थान हो, गोताखोरी एवं तैराकी का प्रशिक्षण । • विभिन्न घाटो पर बांस–बल्ला तथा नाव एवं नाविकों की व्यवस्था।
2	**परिवहन**	• बिहार आदर्श नौ घाट नियमावली– मोटर वोट रूल्स, 2011 के अंर्तगत नाव एवं नाविक का निबंधन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। (देखे परिवहन विभाग, बिहार का वेबसाईट)	नाव की बनावट, उसके विभिन्न हिस्से, आकार एवं प्रकार, नाव का रख–रखाव, नौका की भार वाहन व यात्रियों की क्षमता निर्धारित किया जाना। नाव पर भार आलेख (लोडलाईन) चिह्नित किया जाना। नाव पर यात्री एवं सामग्री की एक साथ ढुलाई में सावधानियाँ बरतना।	• नावों का निबंधन। • नावों पर निबंधन संख्या अंकित करना। • नाविकों एवं 'सर्वेयर्स' का प्रशिक्षण कराना।

3	पुलिस		• खतरनाक घाटों का चिह्नीकरण एवं पहरा देना।	
4	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन			• नदी, नहर, तालाब, झील, झरना की घेराबंदी। • घाटों का निर्माण करना।
5	स्वास्थ्य			• प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस और चिकित्सकों की मौजूदगी सुनिश्चित करना।

गर्मी लू/शीतलहर/ठनका : –

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	**(क) गर्मी–लू** • स्कूल/कॉलेज तथा सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। • बच्चों के विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिर्वतन करना। गंभीर लू की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। • मनरेगा के कार्य तथा अन्य निर्माण कार्यों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। खंड–2 के अनुलग्नक–7 पर। **(ख) शीतलहर** • बच्चों के विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिर्वतन करना। गंभीर शीतलहर की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। **(ग) ठनका –** • उँचे भवनों में तड़ित चालक	**(क) गर्मी–लू** • बाजार/रेलवे स्टेशन/बस अड्डा इत्यादि जगहों पर प्याउ की व्यवस्था। **निम्नांकित सुझाव का व्यापक प्रचार–प्रसार–** • यदि बाहर निकलना आवश्यक ही हो तो खाली पेट कभी नहीं निकले। • पानी पी कर एवं सिर को पूरी तरह ढ़क कर निकले। • गर्म हवा से हमेशा अपने को बचा कर रखें। • पीने का पानी लेकर चले तथा निर्जलीकरण से बचें। • फेसमास्क का प्रयोग जरूर करें। **(ख) शीतलहर** • शरीर को बाहरी स्त्रोतों से गर्म रखना, धूप खिलने पर धूप का सेवन। • सार्वजनिक स्थल पर सोने वाले गृह विहीन लोग तथा रैन बसेरा, टमटम पड़ाव, रिक्शा पड़ाव, मुसाफिरखाना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि के निकट कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था करना। • खुले आकाश के नीचे रात्रि विश्राम करने वाले गृह विहिन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बिछाने एवं ओढ़ने के लिए कम्बल उपलब्ध	**(क) गर्मी–लू** • मौसम पूर्वानुमान की घोषणा का संज्ञान लेना। • पहनने के लिए सूती कपड़ों का यथा संभव उपयोग तथा गर्म एवं ताजा खाना खाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना। **(ख) शीतलहर** • अलाव की व्यवस्था रखना। • जाड़े से बचाव हेतु गर्म कपड़ों की व्यवस्था करना। • शीतलहर के प्रभाव एवं उपायों तथा उपबन्धो की जानकारी से लोगों को अवगत कराना। • मरीजों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना। **(ग) ठनका –** • वज्रपात से बचने हेतु क्या करें और क्या न करें से संबंधित सुझाव प्रचारित करना। (देखें खंड–2 अनुलग्नक–16)

		लगाना।	कराना। **(ग) ठनका –** • ठनका की आंशका वाले मौसम में उँचे वृक्ष, बिजली का खम्भा, टावर इत्यादि के नीचे शरण लेने से रोकना। • ठनका की संभावना के मद्देनजर मोबाईल अथवा बिजली के उपकरण के प्रयोग से परहेज की सलाह देना। • घर के खिड़की दरवाजे एवं वृक्ष के बीच धातु के तार जोड़ रखने से मना करना। • ठनका की आशंका वाले मौसम में नदी/नहर/तालाब से बाहर रहने की सलाह देना।	
2	**स्वास्थ्य विभाग**		**(क) गर्मी–लू** • समुदाय के लिए गर्मी–लू से बचने हेतु समय समय पर आवश्यक परामर्श जारी करना । **(ख) शीतलहर** • समुदाय के लिए शीतलहर से बचने हेतु समय समय पर आवश्यक परामर्श जारी करना इलाज करना।	**(क) गर्मी–लू** • गर्मी–लू जनित बीमारी यथा घमौरी (गर्मी के कारण फोड़े), ऐठन (गर्मी के कारण क्रैम्प), बेहोश हो जाना (गर्मी से मुर्छा), गर्मी से थकावट, उष्माघात (सनस्ट्रोक), निर्जलीकरण (डिहाईड्रेशन) की चिकित्सा हेतु आवश्यक मात्रा में दवा का भंडारण। **(ख) शीतलहर** • शीतलहर जनित बीमारी यथा फ्रॉस्टनीप – मनुष्य के अंगों में सुन्नपन होना, अस्थायी तौर पर चमड़ी का रंग नीला सफेद पड़ जाना/फ्रॉस्टवाइट, तुषार उपधात – ठण्ढ़ी धातु के छूने से/चिंलबर्न /हाइपोथर्मिया के इलाज हेतु आवश्यक मात्रा में दवा का भंडारण।
3	**पशुपालन विभाग**		• पशुधन/पॉल्ट्री फार्म/डेयरी फार्म को गर्मी–लू एवं शीतलहर से बचाव के उपायों के लिए उचित सलाह का प्रचार–प्रसार।	• पशु संबंधित दवाईयों का भंडारण करना।

संदूषित जल : –

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण			• जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	• दूषित चापाकल को चिन्हित कर लाल रंग से रंगना। • फ्लोराइड कीट लगा कर पानी शुद्धिकरण। • संक्रमित पंप की पहचान कर उसके उपयोग पर रोक लगाना।	• ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति के माध्यम से पानी के सप्लाई के स्त्रोत में ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। • फ्लोराइड सुधार में निम्नलिखित कदम उठाना जरूरी है– ✓ सुरक्षित एवं दूषित पानी के स्त्रोतों की पहचान। ✓ गाँव स्तर की जियोग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम (जी॰आई॰एस॰) डाटा का संकलन। ✓ सभी हितधारकों हेतु जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के बीच पारदर्शी सूचना प्रणाली विकसित करना। ✓ वैकल्पिक पेयजल स्त्रोत प्रदान करना। • पारंपरिक जल स्त्रोतों, को स्वच्छ कुँओं में कनवर्ट करना। • जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और जल स्त्रोतों की गुणवत्ता का मैपिंग ।	• सामुदायिक स्वयंसेवकों, पदाधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठन हेतु, इन्फोर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन (आइ॰ई॰सी॰) सामग्री विकसित करना। इन सामग्रियों के माध्यम से मिथकों (Myth) तथा वास्तविकताओं (Reality) पर आधारित प्रश्न एवं उत्तर तैयार कर पोस्टर पर संकेत एवं लक्षण, सामान्य जागरूकता आदि चित्र तैयार करना। इसी प्रकार से फील्ड स्टाफ के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना। • उपचार संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव। • जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और जल स्त्रोतों की गुणवत्ता का मैपिंग । • प्रभावित क्षेत्रों में 'लाल और नीले' रंग में रंगे हैण्ड पम्प का अर्थ प्रचारित–प्रसारित करना। • संकटग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली और रिचार्जिंग सिस्टम का व्यापक निर्माण करना। • पाइप जलापूर्ति के लिए सबसे सुरक्षित सतही अथवा भूगर्भ जल भंडार का पता लगा कर उपयोग में लाना।

चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि : –

क्र.	विभाग/संभाग का नाम	निषेधीकरण कार्य	न्यूनीकरण कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		• ग्रामीण इलाकों में विशेष तरह के ढाल वाली छतें तथा बाँस वाली संरचनाओ के निर्माण कार्य में विशेष सावधानियाँ बरतने की जरूरत होगी। इसकी विशिष्टि का विवरण चित्र सहित खंड–2 के अनुलग्नक–55 पर देखा जा सकता है।	• मौसम विभाग से प्राप्त चक्रवाती तूफान/ आँधी/ ओलावृष्टि संबंधी पूर्व सूचना को प्रचारित–प्रसारित करना तथा सभी हितभागियों को सचेत करना। • सार्वजनिक स्थलों पर मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक करते रहना। • गाँव के स्तर पर आँधी, तूफान से संबंधित जोखिम का विश्लेषण करना। विश्लेषण में गाँव के स्तर पर संवेदनशील समुदाय तथा हितभागियों को भी शामिल करना एवं सचेत करना। • सरकार द्वारा जारी advisory (सलाहकारी) का प्रचार–प्रसार करना। • ग्राम स्तर के सरकारी कर्मी, सिविल सोसायटी कर्मी आदि को प्रशिक्षित करना।
2	स्वास्थ्य विभाग			• प्रभावित इलाके के ट्रॉमा सेन्टर सहित सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को तैयार होकर 24 x7 रहने का आदेश देना। • आस–पास के सभी ब्लड बैंक जाँच केन्द्र को सतत् सतर्क रहने हेतु निर्देश देना।

= = = = = =

अध्याय : 6

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

CAPACITY BUILDING & TRAINING

6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building) :

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं एवं उनसे जुड़े लोगों को भी शामिल किया जायेगा। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे जुड़े पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े पदाधिकारी, अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य लाइन विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 'बिपार्ड' में करवाया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तरों यथा– प्रखण्ड, अनुमंडल, जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन के अवधारणा परिवर्तन के पश्चात् नवजनित आयामों यथा– रोकथाम, न्यूनीकरण, त्वरित रिस्पॉन्स, पुर्नस्थापन एवं पुर्ननिर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु–आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम नीतियों राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉस में गति आयेगी एवं किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति से बचा जा सकेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत हो।

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना के सहयोग से विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। प्रशिक्षित बिहार प्रशासानिक सेवा, अंचलाधिकारी, बी.डी.ओ. आदि पदाधिकारियों की सूची बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणके वेबसाईट **(www.bsdma.org)** पर देखा जा सकता है।

6.1.1 विभिन्न स्तरों के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायतीराज संस्थान, नगर निकाय में कार्यरत प्रतिनिधि एवं सामुदायिक संगठनों को आपदा विषयक मुद्दे पर बिहार या देश के अन्य राज्यों में उनके क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। इनके अलावे नीचे स्तर के कर्मचारी यथा आंगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., किसान सलाहकार इत्यादि भी प्रशिक्षित किये जायेंगें। क्षमतावर्द्धन संस्थागत एवं गैर संस्थागत हो सकते है। उपरोक्त के अलावे गैर संस्थागत में जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र में मशीनी एवं यांत्रिक सुविधा बढ़ाकर संचार व्यवस्था तथा आपदा से संबंधित जानकारियाँ हासिल कर सचेत रहने में मदद पाया जा सकता है।

6.2 समुदाय आधारित संस्थायें और पंचायत (Community based Organisations & PRIs) :

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और पंचायते ही उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण किया जाना अनिवार्य है तथा इसके रिस्पॉन्स हेतु समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण है। चूँकि पंचायत के गाँवों और वार्ड सदस्यों को 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में देखा गया है इसलिए उन्हें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में प्रशिक्षित किया है ताकि ये प्रशिक्षित हो कर जिले के सभी पंचायतों में समुदायों को प्रशिक्षित एवं जागरूक कार्य करेंगे। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थायें जो सामुदायिक स्तर पर काम करती है। उन्हें भी उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

6.3 पेशेवर (Professional) :

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अबतक राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अभियंताओं को राज मिस्त्रीयों को भूकंपरोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में कुछ शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण जिलावार जारी है। साथ हीं प्रशिक्षित लोगों में से ही 'मास्टर ट्रेनर' तैयार किये जा

रहे हैं ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से किया जाय। प्रशिक्षुओं द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता बरतने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त सभी पेशेवर लोगों की सूची विस्तार से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) पर देखी जा सकती है।

6.4 पंचायत स्तरः पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रस्तावित विषय :

पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) मुखिया (ख) वार्ड सदस्य (ग) सामुदायिक संगठन	1. पंचायतस्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन,तूफान, ठनका, नाव दुर्घटना आदि पर विशेष बल। 2. पंचायत की विकास योजना में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 3. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए पंचायतस्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। 4. खोज,बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि। 5. आपदा प्रबंधन के अंतगर्त पुर्नस्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। 6. आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी।
02	स्कूल शिक्षक, छात्र एवं अन्य	1. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से स्कूल सुरक्षा (भूकंप, आगजनी) एवं घरेलू आग (गैस चुल्हा, परम्परागत चुल्हा, ढिबरी, लालटेन इत्यादि से जनित) से बचाव। 2. छात्र/छात्रा को नियमित आपदा से बचाव के टिप्स तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण। 3. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन । (डायरिया, निमोनिया, पेयजल एंव स्वच्छता, सर्पदंश, मस्तिकज्वर आदि से बचाव की जानकारी।
03	(क) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका (ख) आशा कार्यकर्त्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव। 2. महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
4	स्थानीय राज मिस्त्री / शटरींग मिस्त्री/ बार बांईडर/मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण ।

6.5 प्रखंड स्तरः प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

प्रखंड स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	प्रखंड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) प्राथमिक सहकारिता साख समिति (पैक्स) (ख) कृषि सलाहकार	1. जलवायु परिवर्तन की जानकारी। 2. मौसम विज्ञान की जानकारी। 3. सूखे के आगाज की पहचान। 4. मौसमीय खेती एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। 5. पंचायत स्तर पर वर्षापात आंकड़ा का संकलन। 6. फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी।

		7. आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं प्रचार–प्रसार।
02	(क) पंचायत सचिव (ख) विकास मित्र	1. पंचायत स्तर के विभिन्न आपदीय एवं संसाधन के आंकड़े जुटाना। 2. आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन एटलस का निर्माण। 3. लेखा संधारण।
03	ग्राम कचहरी/न्याय मित्र	गाँव के गरीब तबकों को आपदा से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला विधिक प्राधिकार के साथ सहायता दिलाने संबंधित प्रशिक्षण।
04	स्थानीय राज मिस्त्री / शटरींग मिस्त्री/ बार बांईडर/मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण ।

6.6 अनुमण्डल स्तर : अनुमण्डल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमण्डल तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्ड/अंचल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

अनुमण्डल स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	अनुमण्डल स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) अनुमंडल पदाधिकारी (ख) अनुमंडल स्तरीय अन्य पदा॰ (ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी (घ) अंचल अधिकारी	1. पंचायत समिति की विकास योजना में प्रखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 2. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए प्रखंडस्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। 3. प्रखंडस्तरीय बहु–आपदा खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का मानचित्रण। 4. आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पुर्नस्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा अन्य किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। 5. आपदा रोधी भवन निर्माण संबंधी मुख्य जानकारी। 6. अनुमंडल में आने वाले प्रखंडों की मजबूती एवं कमजोरियों की पहचान। 7. सभी प्रकार के प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, कम्प्यूटरीकरण एवं संधारण।
02	अंचल निरीक्षक कम्प्यूटर ऑपरेटर	नक्शे एवं आंकड़ों की आवश्यकता एवं संवेदनशील जनसंख्या के पहचान के तरीके।
03	प्रखंड प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य	1. प्रखंड प्रमुख एवं समिति सदस्यों को लेकर प्रखंडस्तरीय स्थायी समितियों का गठन एवं आपदा प्रबंधन में इनका दायित्व। 2. पंचायतों के आंकड़ों को प्रखंडस्तर पर समेकित कराना (योजना की दृष्टि से)।
04	स्थानीय राज मिस्त्री / शटरींग मिस्त्री /बार बांईडर/मेठ एवं स्थानीय संवेदक तथा अभियंता	भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।

6.7 जिला स्तर : जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्यरत सभी लाईन विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

जिला स्तर पर क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र॰	जिला स्तर	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) वरीय उप समाहर्त्ता (ख) सभी लाइन विभाग	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार। 2. इंसिडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। 3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम – बहु–आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA)

		4. आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय। 5. संचार माध्यम। 6. राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ समन्वय। 7. बोट परिचालन रूल्स, बिल्डिंग बायलॉज, फॉयर सेफ्टी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में।
02	स्थानीय संवेदक तथा अभियंता लाईन विभाग के अभियंता/ राज मिस्त्री/बार बाईन्डर/ शटरींग मिस्त्री/मेठ एवं जिला स्तरीय संवेदक	भूकंप रोधी भवन–निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग वायलॉज।
03	(क)कार्यपालक पदाधिकारी (ख) सिटी मैनेजर (ग) वार्ड पार्षद	1. बिल्डिंग बायलॉज। 2. नगर योजना। 3. आपदा प्रबंधन। 4. अग्नि सुरक्षा। 5. भीड़ प्रबंधन। 6. अवशिष्ट प्रबंधन। 7. भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।
04	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण प्रक्रिया का प्रशिक्षण।

नोट :– प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले में तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप बदला जा सकता है।

6.4.1 प्रशिक्षित लोगों की सूची एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल (List of Trained Persons & Training Module) :

जैसा की पूर्व में वर्णन किया गया है, अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम से ही आपदा प्रबंधन के कार्य में लगे पदाधिकारीगण तथा अन्य हितधारक को आपदाओं के न्यूनीकरण, रोकथाम तथा पूर्व तैयारी में सजग किया जा सकता है। इस कार्य को मूर्तरूप देने में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई सफल कदम उठाये हैं। इसने विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन शाखा का यह कर्तव्य होगा कि इन प्रशिक्षित लोगों को रिस्पॉन्स कार्य में उपयोग करें। जिले से यह अपेक्षित है कि बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा पूर्व से तैयार 'प्रशिक्षण माड्यूल' का उपयोग करेगा।

6.5 जागरूकता सृजन (Awareness Generation) :

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिन्हित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई॰ई॰सी॰ सामग्री, नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाईन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवाईजरी) जारी करेंगे।

अध्याय : 7

प्रत्युत्तर योजना

RESPONSE PLANNING

7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया – आपदा प्रबंधन कार्यो के संचालन की जबावदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी हीं आपदा के कमान अधिकारी के रूप में कार्यरत होते हैं। हादसे से जुड़ी कोई भी गतिविधि वगैर जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की सलामती की सूचना जिलाधिकारी अर्थात हादसा कमान अधिकारी को देकर ही हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।

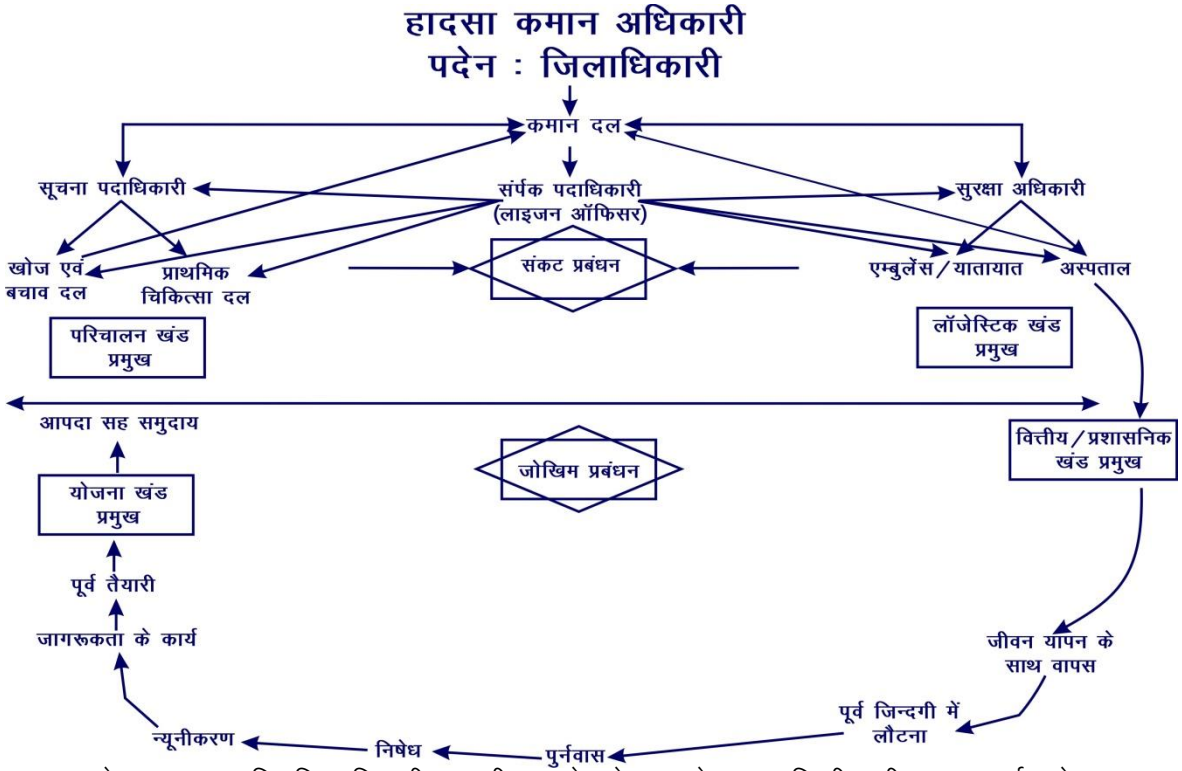

आवश्यकता के अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा किसी वरीय समाहर्त्ता को हादसा कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हो गयी है तो जिलाधिकारी जिले की गंभीरतम तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होंगे, जबकि अन्य वरीय समाहर्त्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

ज्यों ही हादसा कमान अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी या प्रतिनियुक्त वरीय समाहर्त्ता काम करने लगेगें, त्योंही सभी लाईन डिपार्टमेंट तथा गठित नोडल एजेन्सी सीधे हादसा कमान अधिकारी के निर्देश में काम करने लगेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हादसा हो जाने की स्थिति में हादसा कमांडर द्वारा क्षेत्राधीन किसी भी संसाधन को आपदा से निपटने में लगाया/आदेशित/प्रतिनियोजित किया जा सकता है। (आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 द्रष्टव्य)

हादसा कमान अधिकारी द्वारा अपने अधीन कई गतिविधियों के लिए पदाधिकारी या प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जा सकते है। प्रत्युत्तर के लिए कई प्रकार के दल तैयार किये जाते है उन्हें यथास्थान प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। ये दल हादसा स्थल पर अपनी पहुँच की सूचना देते हैं, किये गये कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की सूचना

देते हैं और कार्य समापन के बाद सही सलामती एवं कार्य समापन की सूचना देने के उपरांत कमांड अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही हादसा स्थल को छोड़ते हैं।

विभिन्न सहायक प्रभागों के अंतर्गत कार्य संचालन प्रभाग (उपप्रभाग– खोज एवं बचाव, प्राथमिक सहायता), उपस्कर एवं रसद प्रभाग (एम्बुलेंस एवं अस्पताल सेवा, राहत आदि), योजना प्रभाग एवं वित्त सह प्रशासनिक प्रभाग होंगे। ये प्रभाग स्वतः काम पर लग जायेंगे। इन प्रभागों के प्रभारी अधिकारी को मात्र हादसा कमान अधिकारी ही नियुक्त कर सकता है। ये सभी प्रभाग त्वरित गति से काम करने लग जायेंगे।

सहायक प्रभाग/उपप्रभाग के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अपर जिला समाहर्त्ता, जिलास्तरीय लाईन डिपाटमेंट के प्रभारी अधिकारी, जिले के वरीय अधिकारी या समकक्ष पदाधिकारी के बीच से करेंगे। इनकी नियुक्ति के समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अनुमण्डल या प्रखण्ड के सर्वोच्च पदाधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त नहीं किया जाए क्योंकि ये ही अपने–अपने स्तर के हादसा कमान अधिकारी होते हैं।

प्रत्येक स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय आपात्कालीन परिचालन केन्द्र एक आपातकाल प्रबंधन दल से युक्त होगा ताकि जोखिम न्यूनीकरण के रणनीतियों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई वे कर सके।

7.1.1 हादसा कमान अधिकारी का दायित्व :

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अंतर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अंतर्गत सूचनाओं का आदान–प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरूस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगों के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरतमन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,
- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- हादसा कमान अधिकारी को स्थिति का जायजा लेने हेतु , आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,
- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के वक्त समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,

- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई की जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

7.1.2 जिले में हितधारक एवं इनकी कार्ययोजना : हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है – सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

1. **सरकारी लाईन डिपार्टमेंट:** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती है। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए हैं।
2. **समुदाय आधारित समूह :** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जबावदेह होते हैं जो सीधे जनता के प्रति जबावदेह होते हैं। चुँकि, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित शहरी निकायों के प्रतिनिधि आपदा की रोकथाम के विभिन्न चरणों में सहयोगी हो सकते हैं।
3. **स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन :** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेत रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इण्टर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं है तथा सीधे जिले के सम्पर्क में है।

   व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते हैं। उनके जीवन की गुणवता, उनकी गरिमाएँ उनका समाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारकों का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

   आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते है, अतः वे इनके सम्पर्क में होते हैं। इनसे आपदा न्यूनीकरण के साथ–साथ आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

   ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुर्नस्थापन का प्रयास करती है। अतः उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। यदि ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी

काम कर सकते है, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते है। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते हैं।

7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य :

उपरोक्त कथन के आलोक में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते है :–

(क) पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगो को अवगत कराया जायेगा।

(ख) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(ग) आपात्कालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना स्वयं से प्रयास कर आपात्कालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।

(घ) यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।

(ङ) यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।

(च) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपात्कालीन समर्थक कार्य (इ॰एस॰एफ॰) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपात्कालीन परिचालन केन्द्र (इ॰ओ॰सी॰) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।

(छ) आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमाण्ड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।

(ज) प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।

(ट) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपात्कालीन परिचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपात्कालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।

(ठ) सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा। Slow Onset में आपदा की शुरूआत (यथा सूखा, कीट संक्रमण, रोग महामारी आदि) धीमी गति से होता है परंतु उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। Fast Onset में आपदा (यथा फ्लैश फ्लड, भूकंप आदि) का आगमन अचानक होता है और उसमें तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है।

(ड) इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अंतर्गत –

- आपात्कालीन संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन दल, आदि को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के रिस्पॉन्स दल और आपदा प्रबंधन दल को तुरंत ही सक्रिय कर डालना। ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।
- आपात्कालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
- आपात्कालीन संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
- सूचनाओं का प्रवाह नीचे से उपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपात्कालीन संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

(ढ) आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरांत :

- यदि आपदा प्रखण्ड स्तरीय हो तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी आपदा प्रत्युत्तर के लिए उत्तरदायी होंगे आपात्कालीन समर्थक कार्य (ई॰एस॰एफ॰) और प्रथम प्रत्युत्तर दल (एफ॰आर॰टी॰) आदि के सहयोग से प्रत्युत्तर का कार्य करेंगे।
- प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपात्कालीन संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
- यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :– जिला के वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, आपात्कालीन संचालन केन्द्र, प्रत्युत्तर दल, आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।

(ण) इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेंगे ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।

(त) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर की एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामाग्रियाँ प्राप्त की जायेंगी जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्त्ति की जायेगी।

(थ) सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेंसियां उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौंपेगी।

■ प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :

इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया

जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियों को दूर किया जा सके।

- कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
- हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड अधिकारी, आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
- प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
- अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

7.3 सामान्यतः सभी आपदाओं के प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक निम्नांकित होंगे :–

1. संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System)।
2. कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination)।
3. खोज, बचाव, राहत कार्य (Search, Rescue & Relief operation)।
4. चिकित्सीय प्रत्युत्तर (Medical Response)।
5. शव तथा मलवा का निपटान (Disposal of Dead Bodies & Debris)।
6. क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages and Losses)।
7. रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) ।
8. राहत शिविरों का संचालन (Relief Camp Operations)।
9. सहयोग एवं दान प्रबंधन (Donation Management)।
10. मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination)।

आपदाओं के दौरान प्रत्युत्तर कार्य के उपरोक्त सभी प्रमुख घटकों का उद्देश्य, उसके अंतर्गत आने वाली गतिविधि संचालन का दायित्व तथा उसको प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पूरा करने में व्यतीत होने वाले समय की विवेचना नीचे की सारणी में विस्तार से दर्शाया गया है।

7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण • जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र • जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग। • दूरसंचार निगम, • आकाशवाणी, • दूरदर्शन, • पुलिस बेतार, हैम रेडियो, तथा एच.एफ./भी.एच.एफ. • मोबाईल सेवा प्रदाता/दूरभाष	**भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, चक्रवात, भीड़– भगदड़, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना**	• आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना। • संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन । • अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय। • मौसम विभाग से संपर्क।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)।
	बाढ़	• बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुँचाना। • तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना। • क्षतिग्रस्त संपर्क पथों को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य। • बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एंव दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन । • वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है।	
• अग्निशमन सेवा • पुलिस • पंचायत	**अग्नि**	• अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल कराना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु प्रयत्न करना।	
• कृषि विभाग	**सूखा**	• मौनसून तथा मौसम संबंधी जानकारी।	

7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन, चक्रवात, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	• आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7 कार्य करने वाले)। • जिला आपदा प्रबंधन समिति आपात्कालीन सेवा कार्य तथा आपात्कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/ नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षोपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना । • आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया को सक्रिय करना। • नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक।

• अंचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी। • जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग। • जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा। • राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति।	**भूकंप**	• भूकंप की गंभीरता का आकलन। • भूकंप क्षति का प्रारंभिक आकलन। • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। • सेना की माँग।	
	बाढ़	• हवाई सर्वेक्षण, फुड पैकेट गिराना, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु एयरफोर्स का हवाई जहाज/ हेलीकॉप्टर की माँग। • हेलीकॉप्टर से फुड पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाने की कार्रवाई का समन्वय एवं अनुश्रवण। • बाढ़ आपदा के संबंध में मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई। • राहत एवं बचाव कार्यो का जिला/प्रखंड/नगर/पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी। • बाढ़ की गंभीरता का आकलन। • बाढ़ क्षति का प्रारंभिक आकलन। • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। • सेना की माँग।	
• जिलाधिकारी । • पुलिस ।	**अग्निकांड**	• भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर सहाय्य कार्य को निदेशित करना। • कंट्रोल रूम को चालू रखना। • अग्नि स्थल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ को दूर रखना। • डिवाईडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को निर्बाध (unhindered) जारी रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना।	
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला टास्क फोर्स/जिला कृषि कार्यालय	**सूखा**	• अनुश्रवण। • सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।	

7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन, • अंचलाधिकारी, • अग्निशमन दल, • नागरिक सुरक्षा समिति, • पुलिस, • होमगार्ड • राज्य आपदा मोचन दल, • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, • स्वयंसेवी संगठन	भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबान, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़	• खोज एवं निष्क्रमण करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल की आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना। • खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना। सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना। • जिनका निष्क्रमण संभव न हो उनकी जीवन रक्षा के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना। • अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। राहत शिविरों में रहने खाने, पीने का पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों को नियोजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाईट) • बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरों तक स्थानान्तरण। राहत केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन (राहत केन्द्रों का संचालन के लिए राज्यादेश अनुलग्नक–26 पर संलग्न)। • बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पॉलीथीन शीट का वितरण। • राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध। • तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण।	आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति तक।
• अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) • एस॰डी॰ओ॰/अंचलाधिकारी • फायर ब्रिगेड	**अग्निकांड**	• राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना। • मृतक एवं घायलों को अनुदान प्रदान करना। • अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

		एवं बचाव कार्य। • सहायता केन्द्र स्थापित करना। • क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना। • अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना।	
• कृषि विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • वित्त विभाग/कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग • समाज कल्याण विभाग • शिक्षा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग • ग्रामीण विकास विभाग	**सूखा**	• आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन। • फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण। • सिचांई हेतु डीजल अनुदान देना। • फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान। • किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण। • बैंक ऋणों का पुनर्निधारण। • पशु संसाधन की देखभाल • सामाजिक सुरक्षा • मध्याहन भोजन की व्यवस्था • रोजगार सृजन। • मुफ्त सहाय्य।	

7.3.4 चिकित्सा प्रत्युत्तर (Medical Response) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला स्वास्थ्य समिति, • रेड क्रास सोसाईटी, • निजी नर्सिंग होम, • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशुपालन पदाधिकारी	भूकंप, बाढ़, अग्नि, सड़क, रेल दुर्घटना, डुबान, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़	• चिकित्सा कर्मियों तथा पारामेडिकल कर्मियों को आवश्यक उपकरणों, मोबाइल चिकित्सा वाहन तथा दवा के साथ राहत शिविरों में नियोजन। • घायलों, बीमारों की चिकित्सा तथा गंभीर रूप से घायलों को एबुलेंस से बड़े अस्पतालों में स्थानान्तरित करना। • महामारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता एवं सफाई तथा टीकाकरण की व्यवस्था करना। • नजदीकी ब्लड बैंक/ब्लड डोनर से संपर्क कर खून की कमी वाले घायलों की प्राण रक्षा की व्यवस्था करना।	आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति तक।
• बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं मोबाईल मेडिकल टीम।	**बाढ़, भूकंप**	• महिलाओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की देखभाल हेतु आयरन की गोली, सेनेटरी नैपकीन का वितरण, कुआँ/चापाकल में हैलोजन गोली डालने का कार्य, साँप काटने की चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना। • जल जनित रोग से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा एवं टीकाकरण। • गर्भवती माताओं/धातृ महिलाओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के साथ शरणस्थल/राहत शिविरों में प्रसव होने की स्थिति में जच्चा–बच्चा का स्वास्थ्य परीक्षण,	

		नवजात शिशु का टीकाकरण, धातृ महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था।	
• सिविल सर्जन	**अग्नि**	• चिकित्सक के दल को संदेश देकर तैयार रखना। • अस्पताल में शय्या उपलब्ध कराना।	
• स्वास्थ्य विभाग • समाज कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग	**सूखा**	• स्वास्थ्य सेवाएँ । • महामारी की रोकथाम। • महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल।	

7.3.5 शव एवं मलवा निपटान (Disposial of Dead Bodies & Debris) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला पुलिस • जिला पशु एवं मतस्य संसाधन पदाधिकारी।	**बाढ़, भूकंप**	• शवों का फोटो रखना। • मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौंपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान। • आपदा के कारण मृत पशुओं के शवों का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।
• नगर निकाय • ग्राम पंचायत • पुलिस प्रशासन • रेड क्रॉस सोसाईटी • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी	**भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि**	• आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल–पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।

7.3.6 क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages & Losses) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
• जिला प्रशासन • जिला स्वास्थ्य समिति (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) • जिला पुलिस बल • भवन निर्माण संभाग • पथ निर्माण संभाग • जल संसाधन प्रमंडल • लघु जल संसाधन प्रमंडल • पावर होल्डिंग कम्पनी • पशु पालन संभाग • कृषि विभाग • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल	**भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि**	• आपदा के कारण मृत/ घायलों की सूची तैयार करना। • क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तथा क्षति का ब्योरा संकलन। • क्षतिग्रस्त सड़क, पुल– पुलिया, नहर बाँध का ब्योरा संकलित करना। • क्षतिग्रस्त विद्युत संचार संरचना का विवरण संकलित करना। • पशुधन क्षति/फसल क्षति का ब्योरा एकत्रित करना। • तटबंधो में रिसाव व टूट की आकलन एवं मरम्मति। • बाढ़ से क्षतिग्रस्त चापाकलों की मरम्मति। • कृषि क्षति का आकलन करना।	स्थिति सामान्य होने तथा विश्लेषण के उपरांत।

7.3.7 रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन • खाद्य एंव आपूर्ति संभाग • अंचल/प्रखंड कार्यालय • स्वयंसेवी संगठन • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल • फायर ब्रिगेड • सिविल सर्जन	**भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना एवं आदि**	• राहत शिविरों में तथा खतरों से घिरे लोगों तक रसद पहुँचाने के लिए प्रर्याप्त मात्रा में रसद–पानी का संग्रहण करना। • राहत शिविरों में सामुदायिक रसोई की स्थापना तथा भोजन पकाने एवं वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराना। • अग्निशमन गाड़ियाँ चालू हालत में रखना। • अग्निशमन दल में प्रशिक्षित कर्मी का होना। • अग्निकांड स्थल पर एम्बुलेन्स भेजना।	• सामान्य स्थिति बहाल होने तक। • अनिवार्यता का आकलन करने के पश्चात्।

7.3.8 राहत कार्य (Relief Wrok) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिलाधिकारी • आपदा प्रबंधन प्रभाग • जिला आपदा संचालन केन्द्र • गृह/पुलिस • आपूर्ति संभाग • सहकारिता संभाग • रेड क्रॉस सोसाईटी • नागरिक सुरक्षा • जिला नागरिक परिषद् • एन.सी.सी./स्काउट गाईड • स्वंयसेवी संस्थाएँ (प्रशासन से आज्ञा लेकर)	**बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।**	• स्थल पर राहत शिविर लगाना • निम्नांकित केन्द्रों का निर्माण– ▪ राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र ▪ सामग्रियों का पैकेजिंग केन्द्र ▪ राहत सामग्री पैकेटों का सुरक्षित भंडारण एवं वितरण केन्द्र ▪ स्वयंसेवक आवासन केन्द्र • राहत सामग्री संकलन केन्द्र पर प्राप्ति रसीद की व्यवस्था कर रखना। • राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र में मानक के अनुरूप सामग्रियाँ प्राप्त करना। • पैकेट/बंडल की तैयारी कराना तथा इन्हें भंडारित करना। • राहत सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई और किसे ये सामग्रियाँ दी गयी, इसका दस्तावेज तैयार कर रखना । • वितरण एवं अन्य कार्यों में स्वयंसेवकों को लगाना तथा उनकी आधारभूत जरूरतों यथा भोजन एवं आराम का ख्याल रखना।	• सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

• जिलाधिकारी • विकास आयुक्त • अंचल/प्रखंड कार्यालय • शिक्षा संभाग • कल्याण विभाग(आई.सी.डी.एस.)	**भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना।**	• राहत शिविरो में आपदा प्रभावित लोगों के पहुँचने पर उनका विवरण रजिस्टर में संधारित करना। • सहाय्य सामग्रियों का भंडारण पंजीकरण, पैकेट निर्माण तथा वितरण सुव्यस्थित ढंग से करना। • स्थिति सामान्य होने पर राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचने की व्यवस्था करना। • महिलाओं, वृद्ध तथा बच्चों को चिह्नित करना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

7.3.9 मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय • मिडिया–प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक • सोशल मिडिया (जिला व्हाट्स एप ग्रुप • एन.सी.सी./नहेरू युवा केन्द्र/एन.एस.एस. • स्वंयसेवी संस्थाएँ	**बाढ़, भूकंप, भीषण अग्निकांड, बड़ी सड़क दुर्घटना एवं अन्य**	• आपदा के दौरान एलर्ट मैसेज भेजना। • वरीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित समय में मिडिया ब्रीफिंग करना। • मिडिया से सूचना प्राप्त करना। • अफवाहों का रेडियो, टेलीविजन, जिला व्हाट्स एप के माध्यम से खंडन संदेश भेजना। • मृत, घायल, लापता एवं अन्य की सूची जारी करना। • राज्य स्तर के मिडिया का सहयोग प्राप्त करना। • टॉलफ्री सूचना केन्द्र को प्रचारित करना। • सूचना को प्रचारित करने हेतु एन.सी.सी., नेहरू युवा केन्द्र आदि का सहयोग लेना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

★ क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों में हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या , जनहानि, पशुहानि तथा संरचनात्मक ढांचे के साथ फसल, बाग–बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

★ पीड़ितो को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखें और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।

7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र :–

समन्वय तंत्र

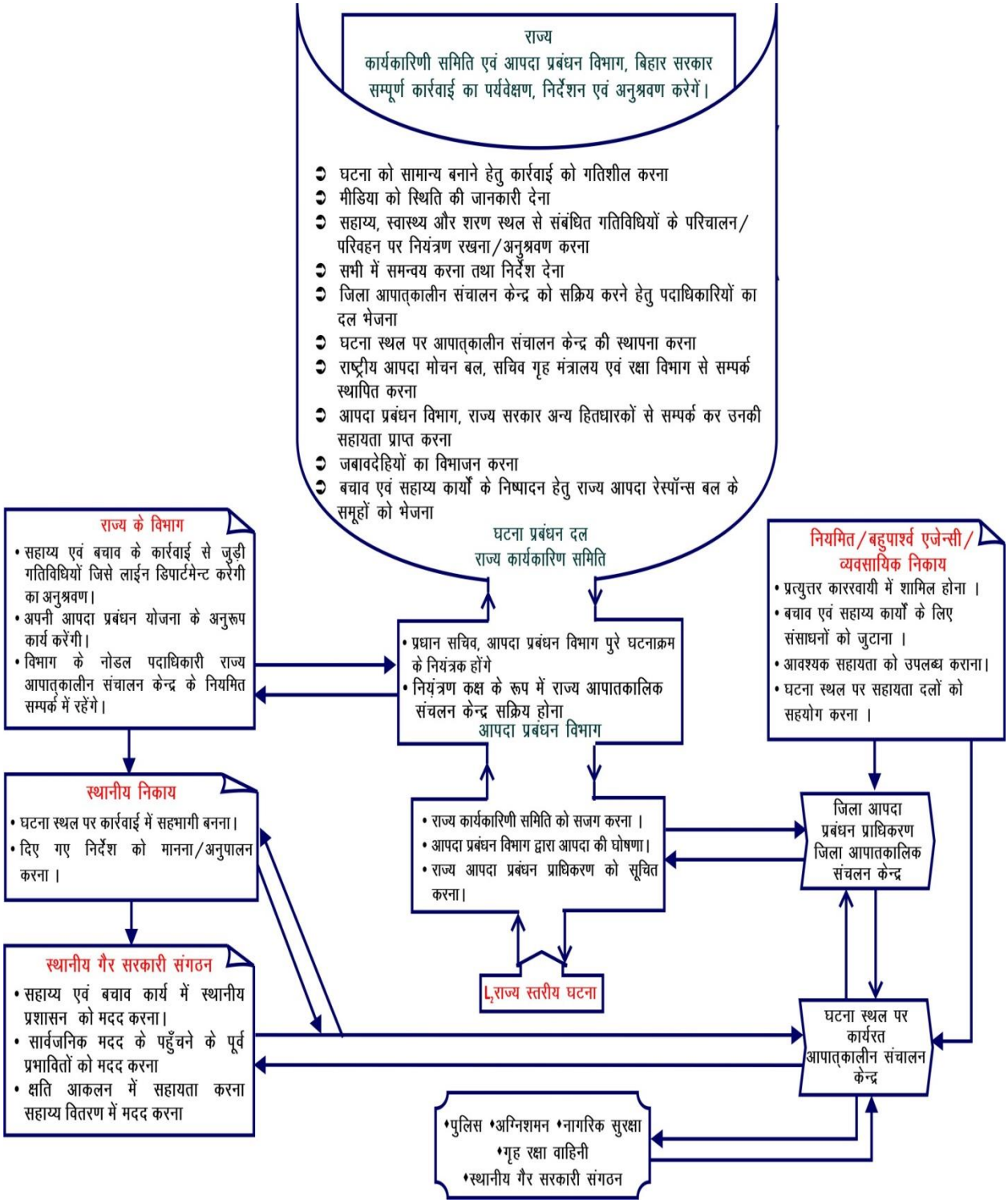

संबंधित आदेश प्रवाह एल 2 (0 से 6 घंटे)

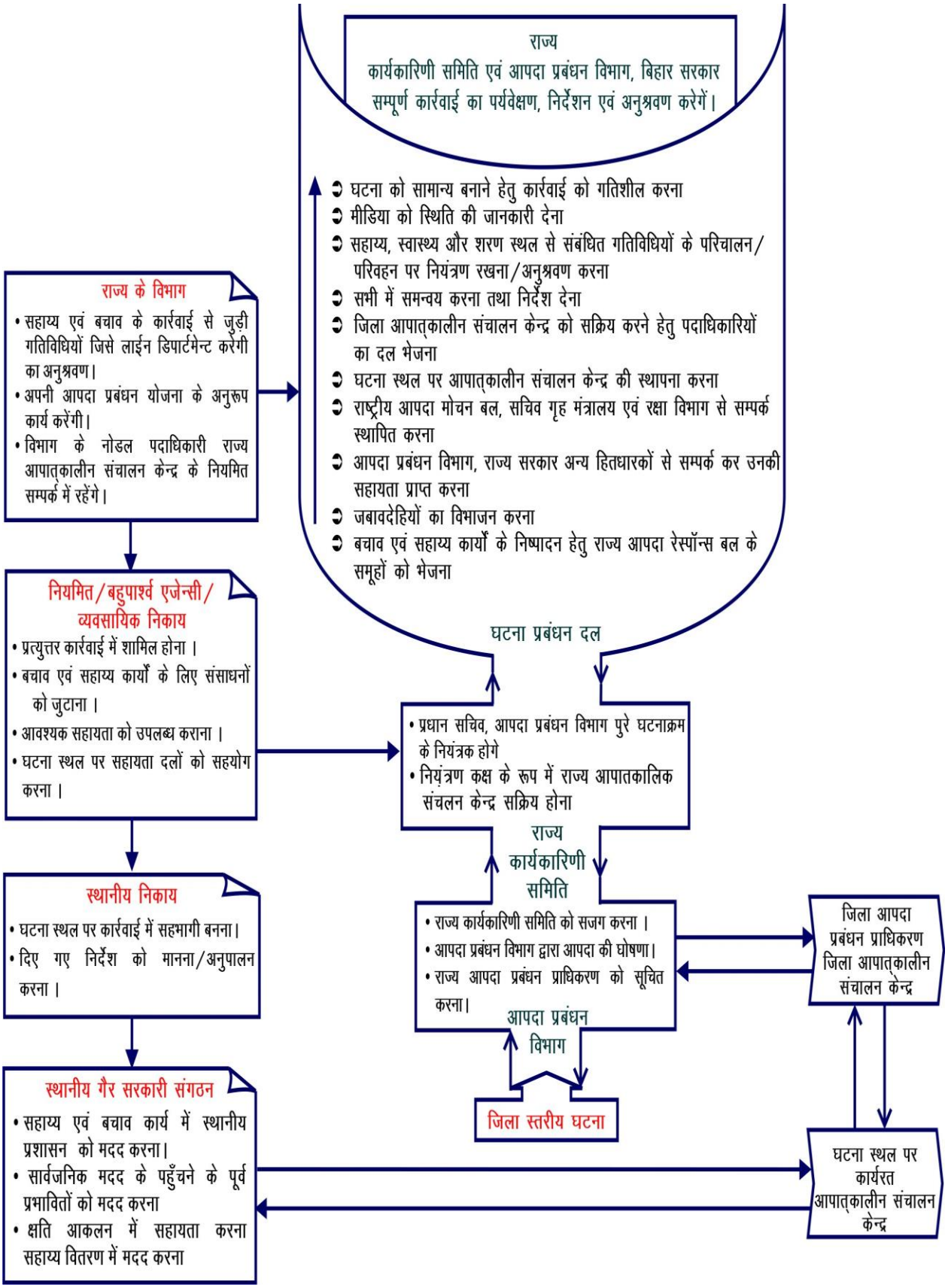

घटना प्रत्युत्तर एल–2 (6 घंटे उपरांत)

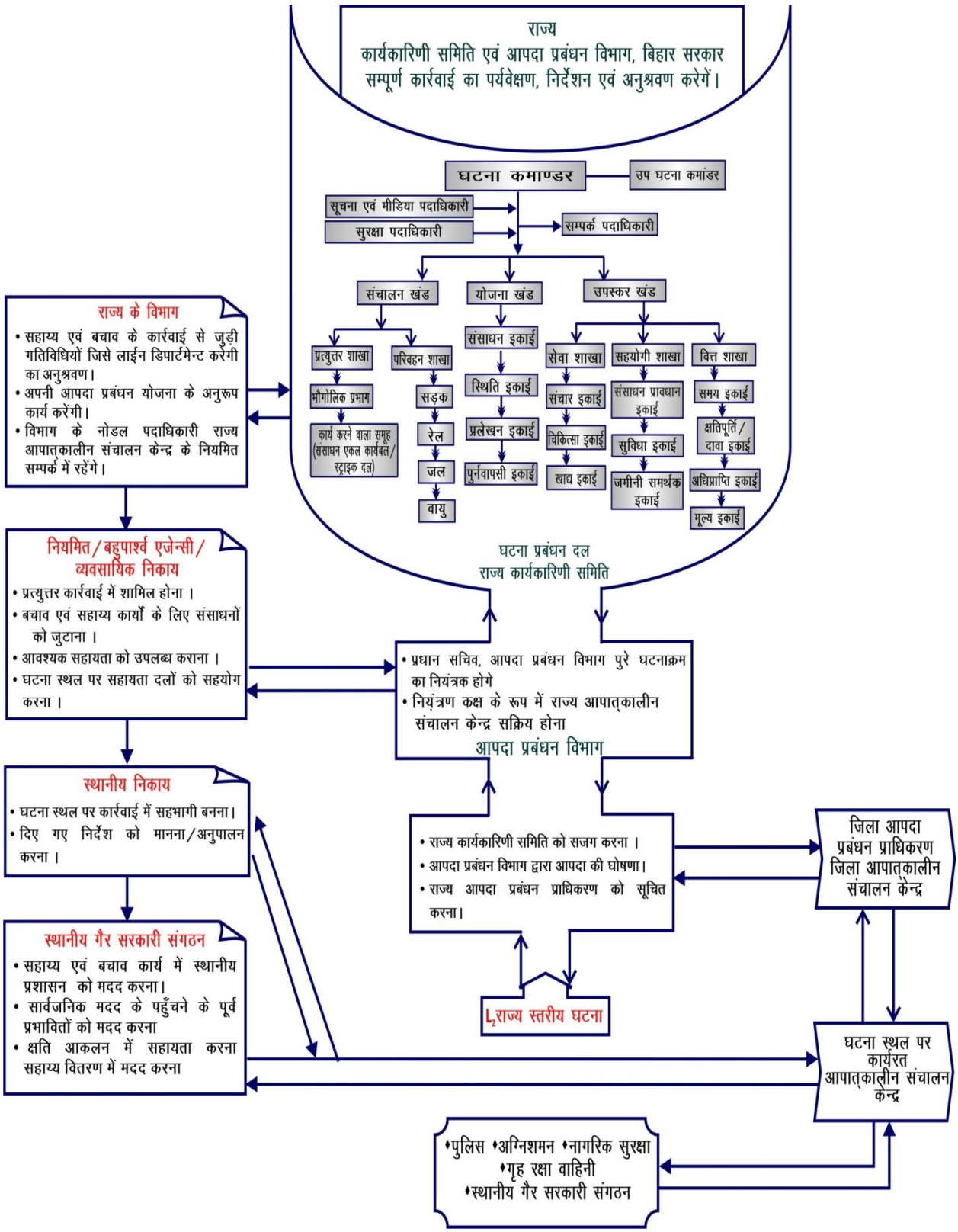

7.5. बाढ़ साहाय्य संबंधी कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु कोषांग–

पूर्णिया जिला में वर्ष 2022 बाढ़/आपदा की विशेष परिस्थिति की संभावना को देखते हुए बाढ़ साहाय्य संबंधी कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु कोषांगो का गठन करना आवश्यक है। अतः संभावित बाढ़ 2022 के सफल संचालन एवं त्वरित गति से कार्यो के निष्पादनार्थ निम्नांकित रूप से कोषांगो का गठन कर उसके नाम के सामने अंकित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अगले आदेश तक के लिए की जाती है एवं संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्यो का ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

i) राहत सामग्री कोषांग–

कोषांग के वरीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी के नाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
उप विकास आयुक्त, पूर्णिया	जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णिया	सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक

कोषांग का मुख्य कार्य–

- राहत सामग्री की आपूर्त्ति निर्बाध रूप से जारी रहे।
- राहत सामग्री गुणवत्तापूर्ण हो, इसे सुनिश्चित् करेंगे।
- राहत सामग्री की मात्रा/वजन सही हो, इसे सुनिश्चित् करेंगे।
- यह कोषांग आपूर्त्तिकर्त्ता/फर्मों से निश्चित स्थान तक सामग्री पहुँचाने हेतु जिम्मेवार होंगे।
- राहत सामग्री की पावती कोषांग के भण्डारगृह के प्रभारी द्वारा ही की जायेगी तथा सामग्री पहुँचाने की सारी जिम्मेवारी आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म की रहेगी, उन्हें वाहन एवं सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करायी जायेगी।
- यह कोषांग अपने पदाधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित् करेगा कि समय पर गुणवत्ता के साथ सामग्री की आपूर्त्ति निरंतर चालू रहे तथा फर्म के कार्यकलापों पर निगरानी रखे ताकि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

ii) कृषि कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ,पूर्णिया	संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया जिला, संबंधित प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णिया जिला

कोषांग का मुख्य कार्य –

- आकस्मिक फसल योजना तैयार करना।
- क्षतिग्रस्त फसल का आकलन करना।
- क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजा हेतु राशि का आकलन कर अधियाचना पत्र भेजते हुए संचिका उपस्थापित करना।
- किसानों के समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक मन्तव्य देना।
- कृषि से संबंधित अन्य सभी मामलों के निदान हेतु कार्रवाई करना आदि।
- दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना।
- फसल क्षति मुआवजा का वितरण करवाना।

iii) विधि व्यवस्था कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया	विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, पूर्णिया	संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया जिला, संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्णिया जिला जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी ,पूर्णिया

कोषांग के मुख्य कार्य–

- बाढ़ के समय विधि व्यवस्था कायम रखना।
- बाढ़ के समय उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना।
- बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के जान–माल की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती की व्यवस्था सुनिश्चित करना आदि।
- विधि व्यवस्था संबंधी आदेश निर्गत करना।
- विधि व्यवस्था के लिए संसाधन प्राप्ति हेतु आवष्यकतानुसार बाहर के जिले से अधियाचना करना एवं प्रतिनियुक्त करना।

iv) तटबंध सुरक्षा कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पूर्णिया	निदेशक, डी०आर०डी०ए०, पूर्णिया	संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया जिला, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णिया, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णिय/बायसी/धमदाहा।

कोषांग के मुख्य कार्य–

- तटबंधों के सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
- तटबंधों के मरम्मति हेतु आवश्यक सामग्री यथा–खाली बोरा, बोल्डर आदि पर्याप्त भंडारण की स्थिति का आकलन करना।
- तटबंधों में दरार, छेद आदि की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत संबंधित विभाग को सूचना उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना।
- बांध पर गश्ती हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के कार्यकलाप का औचक निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।
- विभिन्न नदियों के जल स्तर पर लागातार नजर रखना।
- तटबंध सुरक्षा पर नजर रखना।
- तटबंध पर भ्रमणशील रहना।

v) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/पेय जल एवं शौचालय प्रबंधन कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	श्री राजीव रंजन प्रकाश,	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा० अभि० प्र०, पूर्णिया/धमदाहा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णिया

कोषांग के मुख्य कार्य–

- बाढ क्षेत्रों एवं बाढ़ पीड़ितों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।
- खराब चापाकलों की मरम्मति कराना।
- पशु शिविर में पेयजल उपलब्ध कराना।
- शरण स्थलों पर पेयजल/शौचालय का साफ सफाई की व्यवस्था करना।
- सैन्य बल ठहराव स्थल पर पेयजल/शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना आदि।
- शिविर स्थलों पर महिलाओं के लिए सुविधायुक्त शौचालय का निर्माण करना।
- बाढ़ग्रस्त इलाकों में उँचे प्लेटफार्म युक्त हैंड पम्प लगाना।

vi) स्वास्थ्य सुविधा कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	उप आयुक्त, पूर्णिया जिला	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णिया, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया, (ICDS)	संबंधित पी0एच0सी0, प्रभारी डी०पी०एम० स्वास्थ्य, पूर्णिया।

स्वास्थ्य कोषांग के मुख्य कार्य–

- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में साफ–सफाई एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना।
- महामारी के रोकथाम हतु आवश्यक कार्रवाई करना।
- सभी शरण स्थलों पर चिकित्सक/पारामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- सभी स्वास्थ्य शिविर में जीवन रक्षक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- हैलोजन टेबलेट्स की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा उपलब्ध कराना।
- प्रसव हेतु समुचित व्यवस्था करना आदि।
- हैल्थ कैंप की व्यवस्था करना।
- सर्प दंश दवा यथेष्ट मात्रा में भंडारित करना।
- मानव मृतकों का संस्कार करना।
- एम्बुलेंस की व्यवस्था करना।
- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदनों का ससमय प्रेषित किया जाना।

vii) **पशु दवा, पशु चारा एवं मत्स्य कोषांग**

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया	श्री राज कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्णिया	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णिया, जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी, पूर्णिया।

पशु दवा, पशु चारा एवं मतस्य कोषांग के मुख्य कार्य –

- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं को उँचे शरण स्थल/पशु शिविर में रखवाना।
- बीमार पशुओं का उचित ईलाज करवाना।
- सभी शरण स्थलों में आवश्यक दवाई/पशु चारा/पशु चिकित्सक/पारामेडिकल स्टाफ को प्रतिनियुक्त करना एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना आदि।
- बीमारी से बचाव हेतु पशुओं का उचित टीकाकरण करना।
- बाढ़ समाप्ति के उपरांत/दौरान मृत पशुओं को हटाना।
- पशु क्षति का आकलन एवं सर्वेक्षण कराना तथा नियमानुसार मुआवजा भुगतान कराना।
- मत्स्य पालकों के द्वारा मत्स्य की क्षति होने पर क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।
- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना।

viii) **ग्रामीण सडक एवं पथ निर्माण कोषांग**

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	उप विकास आयुक्त, पूर्णिया	जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णिया	संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया जिला, संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पूर्णिया जिला, कार्यपालक अभियंता, एन0एच0ए0आई0, पूर्णिया।

कोषांग के मुख्य कार्य –

- बाढ़ के समय यातायात व्यवस्था कायम रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
- बाढ़ से क्षतिग्रस्त सडकों का सर्वेक्षण करना।
- बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को साहाय्य कार्य हेतु अविलंब मरम्मत करवाना आदि।
- दैनिक प्रतिवेदन एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना आदि।

ix) सूचना एवं प्रतिवेदन कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णिया	डेजी रानी, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णिया	सलाहकार, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णिया, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में कार्यरत सभी प्रोग्रामर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0बॉय जिला जनसम्पर्क पदाधिकरी, पूर्णिया, आई0टी0 मेनेजर, पूर्णिया।

कोषांग के मुख्य कार्य–

- बाढ़ क्षति से संबंधित प्रतिवेदन एवं उपलब्ध कराये गये साहाय्य संबंधी सभी तरह के प्रतिवेदन ससमय भेजते हुए उपस्थापित करना।
- आवश्यकतानुसार प्रेस कांफ्रेस का आयोजन कराना।
- सरकार से प्राप्त पत्रों को अविलब निदेशानुसार समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक प्रसारित कराना।
- समाचार पत्रों के कतरण को उपस्थापित करना एवं उस पर की गयी कार्रवाई का अनुश्रवण कराना।
- अफवाहों का खंडन करने हेतु विज्ञप्ति प्रस्तुत करना एवं अनुमोदनोपरांत प्रकाशित करना।
- सभी तरह के प्रतिवेदनों को ई–मेल पर अपलोड करने हेतु आई०टी० मैनेजर पूर्णिया को उपलब्ध कराना।
- इंटरनेट पर राहत शिविर, खाद्य सामग्री वितरण इत्यादि के संबंध में सूचना उपलब्ध कराना।
- शरण स्थलों की सूची तैयार करना एवं उसमें रह रहे लोगों की संख्या आदि की जानकारी सभी को देना।
- मीडिया को सूचना उपलब्ध कराना।
- आपदा प्रबंधन विभाग को ससमय वांछित प्रतिवेदन भेजना।
- सभी कोषांगो एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिवेदन ससमय प्राप्त करना।
- हैलीपैड संबंधी सूचना पूर्व से संकलित कर संबंधितों को भेजना।
- वर्षापात संबंधी दैनिक प्रतिवेदन भेजना।
- बाढ़ साहाय्य संबंधी दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना।

x) गुणवत्ता जाँच कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णिया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा, पूर्णिया	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया के द्वारा नामित पदाधिकारी।

कोषांग के मुख्य कार्य–

- बाढ़ साहाय्य में क्रय/आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों का सत्यापन करना, गुणवत्ता की जाँच कराना एवं प्रतिवेदन प्रेषित करना।
- शिविर स्थल भ्रमण कर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान रखना एवं समुचित कार्रवाई करना।
- अंचल/अनुमंडल स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता की ससमय जाँच करना।
- शिविर में गुणवत्तापूर्ण बर्तन भोजन, आवासन, बिजली, पानी, शौचालय एवं बैठने की व्यवस्था करना।

xi) <u>सामुदायिक रसोई</u>

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, बैसा	संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ संबंधित अंचल पदाधिकारी/ संबंधित राजस्व पदाधिकारी/ संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित थानाध्यक्ष/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा/संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया जिला।
		श्री दिक्षीत श्वेतम, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, अमौर	
		भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, बायसी	
		जिला पंचायत राज पदाधिकारी –सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, डगरूआ	
		समाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णिया–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, बनमनखी	
		अपर अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, बी0कोठी	
		भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, रूपौली	
		श्री शशि भूषण कुमार शशि, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, भवानीपुर	
		जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, धमदाहा	
		स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णिया–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, जलालगढ़	
		जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया –सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, कसबा	
		श्रीमती सोनी कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णिया–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, श्रीनगर	
		श्रीमती डेजी रानी, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णिया–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, के0नगर	
		श्रीमती सुनीता कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णिया–सह–प्रखंड नोडल पदाधिकारी, पूर्णिया पूर्व	

<u>कोषांग के मुख्य कार्य–</u>

- बाढ़ राहत शिविरों का सफलता पूर्वक संचालन करवाना।
- चिन्हित बाढ़ राहत शिविरों में पेयजल व्यवस्था/शौचालय निर्माण/आवश्यक दवाईयां/ चिकित्सक/पारामेडिकल स्टाफ आदि का उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं पूर्व से दैनिक समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करना।
- शिविर में आपूर्ति की जाने वाली भोजन सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच करना।
- शिविर में विधि व्यवस्था/ सुरक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।
- शिविर के प्रभारी पदाधिकारी/कर्मचारी को दिशानिर्देश जारी करना एवं उनके द्वारा संधारित पंजियों की जाँच करना एवं सत्यापन करना।
- शिविर में पंजी आदि की व्यवस्था करते हुए योग्य कर्मी को नामित करना।
- बर्तन आदि की व्यवस्था हेतु पूर्व से आकलन कर समुचित आदेश देना।
- जेनेटर/टेन्ट आदि की आकलन कर पूर्व से एकरारनामा आदि करना।

xii) नाव परिचालन एवं वाहन कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया	सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया जिला	मोटर यान निरीक्षक, पूर्णिया, संबंधित अंचल अधिकारी, पूर्णिया जिला, संबंधित राजस्व पदाधिकारी, पूर्णिया जिला।

नाव परिचालन एवं वाहन कोषांग के मुख्य कार्य–

- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नाव की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बाढ़ से घिरे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।
- मोटर वोट का परिचालन कराना।
- अन्य जिलों से प्राप्त नावों/वाहनों आदि को पंजीबद्ध करते हुए मांग के अनुरूप बाढ़ प्रभावितों में उपलब्ध कराना एवं बाढ़ समाप्ति के बाद प्राप्त नावों आदि की वापसी करवाना।
- नाव मालिकों/नाविकों का पारिश्रमिक भुगतान साप्ताहिक सुनिश्चित करना।
- नाव ढोने के लिए व्यवसायिक बड़ी /छोटी वाहनों को चिन्हित कर सूची तैयार करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो जाय।
- माननीय मंत्री/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी तथा साहाय्य वितरण हेतु आवश्यकतानुसार आदेश के अनुरूप छोटी/बड़ी वाहन उपलब्ध कराना।
- वाहनों में ईधन आपूर्ति, अग्रिम एवं मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करना आदि।
- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना।
- नाव पर क्षमता से अधिक लदान नहीं होने देना।
- नाव पर सरकारी नाव निःशुल्क सेवा लाल अक्षरों में निश्चित रूप से अंकित कराना।
- आवश्यक बिन्दु पर नाव व्यवस्था सुनिष्चित करवाना।
- सूर्यास्त के बाद नाव का परिचालन बंद रखना आदि।
- नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित कराना।
- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना।

xiii) संचार एवं विधुत आपूर्ति कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/ पदनाम
1	उप विकास आयुक्त, पूर्णिया	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, पूर्णिया	संबंधित कार्यपालक अभियंता, विधुत विभाग, पूर्णिया जिला, कार्यपालक अभियंता, बी0एस0एन0एल0, पूर्णिया, कार्यपालक अभियंता, भवन निमार्ण, भवन प्रमण्डल, पूर्णिया।

कोषांग के मुख्य कार्य–

- बाढ़ के समय विधुत व्यवस्था, दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ बनाये रखना।
- सैन्य बल ठहराव स्थल पर विधुत आपूर्ति उपलब्ध कराना आदि।
- पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर/विधुत पोल/तार आदि का भंडारण करना।

xiv) सैन्य बल समन्वय कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया	विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, पूर्णिया	पुलिस उपाधिक्षक (मुख्यालय), पूर्णिया, प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत, पूर्णिया, जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, पूर्णिया।

कोषांग के मुख्य कार्य–

- सैन्य बल तथा अन्य बलों की प्राप्ति एवं उन्हें विभिन्न राहत शिविरों/क्षेत्रों में भेजे जाने संबंधी सूचनाओं का पंजी में प्रविष्टी करवाना।
- प्राप्त बलों के ठहराव/आवासन आदि की व्यवस्था करना।
- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना

xv) विद्यालय एवं आंगनबाडी केन्द्र कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	उप विकास आयुक्त, पूर्णिया	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, पूर्णिया जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया	संबधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णिया जिला, संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया जिला।

कोषांग के मुख्य कार्य–

- बाढ़ के समय पठन–पाठन की व्यवस्था कायम रखना।
- आंगनवाडी केन्द्रो का सफल संचालन कराना।
- बाढ़ राहत शिविर में बच्चों के पठन–पाठन, खेलकूद एवं पोषाहार वितरण व्यवस्था सुनिश्चित कराना आदि।
- गर्भवती माता/धातृमाताओं का सर्वेक्षण कराना तथा बाढ़ के समय उनका उचित देखभाल सुनिश्चित करवाना।
- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजवाना।

xvi) खोज एवं बचाव कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया जिला	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निरज कुमार ठाकुर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा	संबंधित प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा टीम कमांडर, एस0डी0आर0एफ0, पूर्णिया, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पूर्णिया, सिविल डिफेन्स, पूर्णिया।

कोषांग के मुख्य कार्य–

- आवश्यकतानुसार एन0डी0आर0एफ/एस0डी0आर0एफ के साथ समन्वय स्थापित कर खोज बचाव कार्य सुनिश्चित करना।
- सुरक्षित स्थानों पर जाने हेतु रूट मैप तैयार करना।
- जिला बाल विकास परियोजना कार्यालय से समन्वय स्थापित कर संकटग्रस्त परिवारों/समुहों को सुरक्षित स्थान पर पहुॅचाना।
- घायलों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना।
- सड़क एवं जल परिवहन हेतु वाहनों की पहचान एवं उन्हें अल्प समय में प्रभावित क्षेत्रों में भेजने हेतु तैयारी सुनिश्चित करना।
- बचाव एवं राहत कार्यों में अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- समुदाय स्तर पर प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का खोज–बचाव में सहयोग प्राप्त करना।

xvii) बाढ़ सहाय्य अनुग्रह अनुदान/GR राशि वितरण कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	संबद्ध पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया जिला	संबंधित अंचल अधिकारी, पूर्णिया जिला	संबंधित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्णिया जिला, संबंधित राजस्व पदाधिकारी, पूर्णिया जिला, संबंधित अंचल निरीक्षक, पूर्णिया जिला, संबंधित राजस्व कर्मचारी, पूर्णिया जिला, आपातकालीन संचालन केन्द्र, पूर्णिया के सभी प्रोग्रामर।

कोषांग के मुख्य कार्य–

- आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर सूची को अपडेट कराना।
- आपदा की स्थिति में GR राशि वितरण हेतु सूची को पंचायत अनुश्रवण समिति द्वारा पारित कराना, यह ध्यान रखा जाय कि कोई भी बाढ़ प्रभावित परिवार GR राशि से वंचित न रह जाए।
- मानव/पशुधन की क्षति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।

xviii) एन०जी०ओ० कोषांग

क्र०	वरीय पदाधिकारी का पदनाम	प्रभारी पदाधिकारी का पदनाम	शाखा में अन्य संबद्ध पदाधिकारी का पदनाम
1	निदेशक, डी०आर०डी०ए०, पूर्णिया	सोनी कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णिया	सलाहकार जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णिया, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पूर्णिया।

कोषांग के मुख्य कार्य–

- बाढ़ के समय स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त राहत सामग्रियों को प्राप्त करना तथा भंडार पंजी में प्रविष्टी करना एवं प्रखंडों को गुणवत्ता जाँच के बाद उपावंटित करना।
- अधोहस्ताक्षरी के निदेशानुसार प्राप्त सामग्रियों को बाढ़ क्षेत्रों में पहुँचाना।

सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी तथा प्रभारी पदाधिकारी आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अपने संबंधित कोषांगों के कार्यों का निष्पादन हेतु करेंगे। सभी कोषांगों से वांछित प्रतिवेदन तैयार कर ससमय अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थिति करने की जिम्मेदारी **प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णिया, श्री शशिभूषण कुमार शशि तथा सलाहकार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पूर्णिया, श्री आदित्य रंजन की होगी।**

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णिया 24X7 कार्यरत रहें, इसके लिए प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णिया रोस्टर बनाकर अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, एवं आवश्यकता हो तो कर्मियों की कमी को देखते हुए अन्य शाखा से भी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णिया को आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक सामग्री यथा ईन्टरनेट, जेनेटर (आवश्यकता हेने पर) आदि की उपलब्धता प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा के अधियाचना की आलोक में तत्काल उपलब्ध कराने की जिम्मदारी प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा, पूर्णिया की होगी।

पूर्णिया जिला में पांच प्रंखड **यथा–बायसी, बैसा, अमौर, डगरूआ एवं रूपौली गंभीर** रूप से बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी पदाधिकारी दैनिक समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णिया को उपलब्ध कराएंगे, एवं शेष सभी प्रखंडों के लिए नामित पदाधिकारी परिस्थितियों का आकलन करते रहेंगे एवं समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे। **अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन सभी कोषागों के वरीय प्रभार में रहेंगे तथा आवश्यक समन्वय करेंगे।**

अध्याय : 8

पुर्ननिर्माण, पुर्नस्थापन तथा पुर्नप्राप्ति

RECONSTRUCTION, REHABILITATION & RECOVERY

भीषण आपदाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक अंतः संरचनाओ में व्यापक क्षति होने के कारण दैन्दिनी की गतिविधियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। अत्यंत संवेदनशील संरचनाये यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाती है। जीवन–यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यो को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है। इस बीच जीवन प्रदायी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है ताकि प्रभावित समुदाय या समाज को जीवन सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

***यूएनआईएसडीआर* द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है :–**

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन प्रदायी संवेदनशील अंतः संरचना सेवा, मकान, जन सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हों, की जगह एक मजबूत (Resillient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालीन पुर्ननिर्माण जो 'टिकाउ विकास 'तथा 'पूर्व से बेहतर निर्माण' की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम न रहे। उसे हम पुर्ननिर्माण कहेंगे।
- **पुनर्स्थापन (Rehabilitation) :** किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापो के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो का त्वरित पुर्ननिर्माण को पुर्नस्थापन कहा जायेगा।
- **पुनर्प्राप्ति (Recovery) :** आपदा पीड़ित किसी समुदाय या समाज के जीविकोपार्जन के साधन एवं स्वास्थ्य और आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण से जुड़े संपत्तियों व्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार अथवा पुर्नस्थापन जो "पूर्व से बेहतर निर्माण" एवं टिकाउ विकास की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम की श्रेणी से बाहर हो, को पुर्नप्राप्ति कहेंगे।

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction) :** चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तत्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तत्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित दल सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ हीं संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा।

  इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

- **पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation) :** आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उनके रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसों से उबरने में सफल हो सके।

8.1 क्षति आकलन (Damage Assessment): आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3601 दिनांक–30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच 'शक्ति की जिम्मेवारी' (Power Delegate) कर सकते है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतः–संरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एवं विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरपाई टिकाउ विकास कार्यो द्वारा की जानी चाहिये।

- आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –
- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओं की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो–सामाजिक संघात

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	• मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।	समुदाय, मुखिया, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	• घायलों को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	• आपदा के उपरांत सरकारी भवनो में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता करेंगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे।	भवन निर्माण प्रमंडल
4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्निर्माण,	• संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	• निजी मकानो को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति	अंचलाधिकारी

		का ब्योरा एकत्र करना।	
6	कृषि/ पशु संसाधन	• फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आंकड़ा, रकबा एवं भू–मालिकों के ब्योरा का संकलन। • पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्यांकन करना।	प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीमा कम्पनी
7	मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए।	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति
8	जीविका के साधन बहाल करना	• जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित/संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुर्नवापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कम्पनी, ग्रामीण विकास संभाग

8.2 पीड़ितो को राहत (Relief to the Victims) : भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्निकाण्ड आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये है इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस॰डी॰आर॰एफ॰ एवं एन॰डी॰आर॰एफ॰) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाई करना।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंड़ों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाई करना।

- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत।

- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि(सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies) नदियों/तालाबों/गड्ढ़ों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- पत्रांक 1692 दिनांक 22.04.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।

8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन (Restoration of Basic Infrastructures) : आधारभूत सरंचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुर्नस्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसिंयों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेंगे।

8.4 जीवन प्रदायी भवनों की मरम्मति (Repair/Reconstruction of Life Line Building) : बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैन्दिनी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो यथा उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपात्कालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण : अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

जीविका का पुनर्स्थापन : आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल क्षति होती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मतस्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

चिकित्सीय पुर्नस्थापन : आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी–कभी इन हादसो के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम–काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो–सामाजिक संघातो से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

दीर्घकालिक पुर्नवापसी : बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यो से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुर्नवापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

= = = = = =

अध्याय : 9

बजट एवं वित्तीय संसाधन

BUDGET & FINANCIAL RESOURCE

आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसके वित्तीय पक्ष का सर्वाधिक महत्व होता है, अतः इसको भी ध्यान में रखते हुए समस्त योजना तैयार की जाती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल की गयी गतिविधियों/क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था एक आवश्यक अंग है। आपदा प्रबन्धन योजना हेतु निम्नांकित वित्तीय प्रबन्धों का प्रावधान किया गया है–

9.1 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला सभी स्तरों पर आपदा रिस्पॉन्स फण्ड और आपदा न्यूनीकरण फण्ड उपलब्ध कराता है। अधिनियम की धारा 46 (1) एवं धारा 48 (1) के अनुसार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010 में पत्रांक सं0 323/2010–एनडीएम–1 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फण्ड एवं राज्य आपदा रिस्पॉन्स फण्ड का गठन किया। इसी अधिसूचना के माध्यम से आपदा राहत कोष को राज्य आपदा राहत कोष में बदल दिया गया।

9.2 राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

13 वें वित्तीय आयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का उद्देश्य विशेष रूप से न्यूनीकरण के उपायों के लिए फण्डिंग करना है।

9.3 क्षमता निर्माण कोष

गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा प्रभावी एवं त्वरित ढंग से आपदा प्रत्युत्तर को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, ताकि मानव जीवन एवं सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा के प्रति रिस्पॉन्स करने वाले समुदायों/लोगों के बीच नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संचालित किया जाये। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के मद में प्रत्येक वर्ष कुल राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष का 10 प्रतिशत प्राप्त होता है। जिले की मांग पर इस क्षमता विकास अभ्यास को जिला स्तर पर किया जाता है और इस हेतु आवश्यक कोष राज्य स्तर से निर्गत होता है।

9.4 प्रधानमंत्री राहत कोष

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कोष की धनराशि बैंकों में जमा खातों में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है।

सामान्यतः, धनराशि या तो तत्काल वितरित कर दी जाती है अथवा उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियत कर दिया जाता है। शेषधन राशि को दीर्घावधि तक सुरक्षित रखने के लिए समुचित रूप से उसका निवेश किया जाता है। अधिकतम सुरक्षित धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की राशि का निवेश बैंकों में आवधिक जमा योजनाओं में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के सहयोग से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के पीछे निम्न उद्देश्य हैं –

- पीड़ित एवं उसके परिजनों को तत्काल वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु।
- खोज एवं बचाव में सहयोग करने हेतु।
- पीड़ितों को स्वास्थ्य देख–भाल पहुंचाने हेतु।
- पीड़ितों को शरणालय, भोजन, पेयजल एवं साफ–सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु।
- सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं एवं परिवहन के अस्थाई बहाली हेतु।

➢ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल बहाली हेतु।

9.5 मुख्यमंत्री सहायता कोष

मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष स्थापित है। जिसमें विभिन्न माध्यमों से अर्थात शासकीय, अशासकीय व्यक्ति अथवा संस्था या कार्यालय द्वारा दी गई दान स्वरूप राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाती है। इस कोष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेक के अनुसार बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा या अन्य विपत्तियों से ग्रस्त या औद्योगिक एवं अन्य दुर्घटनाओं के शिकार या उक्त पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त एवं साधनहीन ऐसे लोगों को भी जिन्हें तत्काल सहायता देना आवश्यक प्रतीत होता है, इस कोष से सहायता दी जाती है। यह दान राशि नगद, मनीआर्डर, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी प्राप्त होती है। यह सहायता प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार के लोगों को सीधे अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

9.6 सांसद राहत कोष

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों/संसाधनों को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाने के लिए, खोज, बचाव, पुनर्निर्माण आदि के कामों में स्थानीय सांसद रू0 10 लाख तक की राशि आपदा प्रबन्धन के कामों में खर्च कर सकता है।

9.7 अधिनियम में प्रावधान :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा–48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिसूचनाओं के जारी किये जाने के ठीक पश्चात्, निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"– (ख) जिला आपदा मोचन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा–48(2) में वर्णन है कि उपधारा–(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध है।

9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ/कार्यक्रम

विभिन्न प्रकार की आमजन योजनाओं जैसे मनरेगा आदि के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। इन योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से वे आपदा के बाद आसानी से राहत कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत कार्यों के लिए अन्य स्थानों से कोष तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। आपदा से प्रभावितों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक दूसरी प्रभावी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना का 10 प्रतिशत इस उद्देश्य हेतु रेखांकित होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मीड–डे–मिल एक ऐसी ही योजना है। बाढ़ एवं सूखाड़ दोनों परिस्थितियों के भूखमरी से प्रभावित लक्षित वर्ग के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना का प्रावधान है। विशेषकर बंटाईदार किसानों के लिए बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015 से जुड़ाव किया जा सकता हैं।

9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम

क्र.सं.	संपोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाल विभाग/संभाग/एजेंसी
1	2	3	4
1	कृषि रोड मैप	इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	मनरेगा	• पंचायत स्तर तक आधारभूत संरचना	ग्रामीण विकास एंव

		खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुर्ननिर्माण, पुनस्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते है। • सामाजिक वानिकी।	पर्यावरण एवं वन
3	सात निश्चय कार्यक्रम	गली–नाली की स्थापना एवं हर घर नल का जल अंतर्गत पाईप से पानी की आपूर्त्ति।	ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता
4	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।	कृषि विभाग
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	शताब्दी अन्न कलश योजना– 2011	निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आपूर्ति)
7	बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	दीनदयाल अंत्योदय योजना – जीविका	महिला सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगों को संबल बनाना।	ग्रामीण विकास विभाग (रूरल लाईवलीहुड मिशन)
9	आंगनवाड़ी	इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण विभाग–आई.सी. डी.एस.
10	लोहिया स्वच्छ बिहार योजना	इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सामूहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार्य सुनिश्चित करने हेतु समुदाय स्तर पर प्रयत्न।	ग्रामीण विकास विभाग
11	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु संरचना निर्माण का स्थापन।	पेयजल एवं स्वच्छता
12	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
13	मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	सर्व शिक्षा अभियान	स्कूल तथा उसमें शौचालय एंव चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
15	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
16	जननी सुरक्षा	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी	जिला स्वास्थ्य समिति

		करना।	
17	मिड–डे–मील योजना	स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना।	मिड–डे–मील जिला कार्यक्रम
18	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
19	सांसद आदर्श ग्राम योजना	सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र के 3 गाँव को 2019 तक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना तथा 5 गाँवों का 2024 तक विकसित करना।	ग्रामीण विकास विभाग
20	सड़क सुरक्षा निधि	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग।	परिवहन विभाग
21	चौदहवी वित्त आयोग(2015–20)	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	आपदा प्रबंधन विभाग
22	पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायती राज/नगर पालिका
23	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति

9.3 अन्य स्त्रोत

इसके अलावा जिला में किसी आपदा के समय प्रभावित समुदाय के सहायता हेतु अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थायें अपनी स्वेच्छा से आती है। ये आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अपनी–अपनी सुविधाओं के अनुसार समुदायिक क्षमता विकास एवं डिजास्टर रेजिलिएन्स प्रक्रिया विकसित करने हेतु बहुतायत परियोजनायें संचालित करती हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य प्राइवेट दानदाताओं से राहत से पुनर्स्थापन एवं अन्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से सहयोग ले सकता है।

अध्याय–10

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

MONITORING, EVALUATION & UPDATION

10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन (Guidelines for Monitoring & Evaluation of the Plan): योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्रवाई की जायेगी–

10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारायें :–

31(4) – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायेगा।

31(5) – उपधारा (2) और उपधारा (4) में निदिंष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।

31(6) – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31(7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुर्नविलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये–

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगे और उसे अद्यतन (Update) करेंगे।

10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन :– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से घनीभूत होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनर्प्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनो तरह के प्रयासो की विवेचना की जानी चाहिये । इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना की प्रभावशीलता की जाँच :– प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक बड़ी आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनर्प्राप्ति या पुनर्स्थापन कार्यो में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुयें हैं। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दुहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाय बढ़ा देते है तो

भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना :– जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्रा तथा शिक्षक–प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियों/स्वयसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यो में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध होना चाहिए। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे–बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिए। समय–समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते हैं। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अध्यतन करना जरूरी है।

10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच (Regular Mock-drills & Exercises to Test Efficacy of the Plan) :– योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापुर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निपटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है।

10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण (Regular Training of Officials for Plan Implementation of Plan) :– जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन (Updation of Plan) :– जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता तथा प्रयासो की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमें लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation) :– सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। पंचायत प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

10.1.9 हितधारकों का प्रशिक्षण (Training of Stakeholders) :– जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी हितधारकों यथा प्रशासन, लाईन विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी तथा समुदाय स्तर के सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करेगा। इस कार्यक्रम के द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना को सुचारू रूप से लागू करने हेतु कार्य योजना तैयार करेगी तथा इसमें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से सहयोग लिया जा सकता है।

10.1.10 समन्वय (Co-ordination) :– सभी हितभागी एजेसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेंगे। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपात्कालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होगें, दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशो का पालन करेंगे।

10.1.11 जन जागरण (Public Awareness) :– जिला आपदा प्रबंधन योजना को जिला के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके परिशिष्टों की सूची से परिशिष्टों के विवरण को लिंक कर दिया जायेगा।